खण्ड-258, अंक-8
सोमवार, 24 श्रावण, शक संवत् 1887
(16 अगस्त, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 258 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३२३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधप्रतापनारायणसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपालसिंह, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गुप्तारसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गँदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीश प्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथचौधरी, श्री
जगमोहनसिंहनेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराअग्रवाल, श्रीमती
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री

बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनार्थसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्तमायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन, श्री
महराम सिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनार्थसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूरी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुनार्थसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनार्थसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री

रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह राजा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेव 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदार सिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १६ अगस्त, १९६५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हस्तगत भूमि का प्रतिकर

**१—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या माल मंत्री बतलायेंगे कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये हस्तगत (एक्वायर) की जाने वाली भूमि के मुआवजे की नीति निर्धारण हेतु जो समिति नियुक्त हुई थी उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है?

**२—श्री मैनेजरसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि हस्तगत की गई भूमि का मुआवजा बाजार भाव से देने की सिफारिश की गई हैं?

**३—श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)—

अगर हां, तो यह निर्णय कब से लागू होने जा रहा है?

राजस्व मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है। अतएव उसमें की गई सिफारिशें बतलाना इस समय जनहित में नहीं है।

देवरिया जिले में राप्ती बांध

**४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिले में राप्ती के बायें किनारे पर नवनिर्मित बांध को कटाव से बचाने के लिये दो ठोकर लगायी जा रही थी? क्या उसका निर्माण पूरा होने के पूर्व १ अगस्त को वह बह गया? यदि हां, तो बांध के बचाव हेतु तत्काल कौन कदम उठाया गया है?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

पहला भाग व दूसरा भाग—जी नहीं।

तीसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

**५—श्री चन्द्रबलीसिंह (अनुपस्थित)—

क्या यदि १०–१५ दिन के अन्दर ठोकर पुनः पूरी न हुई तो बांध बेड़ी बहोरा, जगदीशपुर, नरायनपुर, मिरवा, सचोली, पटवनियां, डहरोली, गाजन के मकानों और जनसंख्या के मिट जाने तथा ५२ गांवों की फसलों के बह जाने की सम्भावना है?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

श्री लखपतराम शर्मा—

मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष ने इसको अल्पसूचित में स्वीकार किया था ८, १० दिन पहले और मेरी सूचना यह है कि इलाहाबाद से और झांसी से सरकार के पास इसकी सूचना आ भी चुकी है, फिर भी इसको टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न स्वीकृत करना सरकार पर निर्भर करता है। हम अगर स्वीकार भी कर लें और सरकार उत्तर के लिए तैयार न हो तो उस स्थिति में हम उसे अल्पसूचित के रूप में नहीं ला सकते।

श्री लखपतराम शर्मा—

मेरा निवेदन यह भी है कि इलाहाबाद और झांसी से इसका जवाब आ चुका है, लेकिन इसको टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब आगामी सप्ताह इसको ले लेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा—

मंत्री जी बैठे हैं। दो शब्द उनसे कहलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी ने ही लिखकर भेजा है कि कृपा कर आगामी सप्ताह के लिये रखें। उनकी सुविधा इसमें थी।

श्री लखपतराम शर्मा—

हमारे अधिकारों की रक्षा आपको ही करनी है।

श्री अध्यक्ष—

सबसे बड़ी रक्षा यही है कि आपके प्रश्न का उत्तर पूरा मिले और जो कुछ उस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहें वह सरकार के पास उपलब्ध रहे ताकि आपके अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर वह उचित रूप से दे सकें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

गाजियाबाद नगरपालिका क्षेत्र में भूमि सम्बन्धी नीति

*१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार जानती है कि कन्ट्रोलिंग अथारिटी रेगुलेटेड एरिया, गाजियाबाद में दिनांक १६ अप्रैल, १९६२ को सप्लीमेंटरी एजेंडा के नं० ३ व (२) के (ए), (बी), (सी और डी) पर, कोई प्रस्ताव निम्न से सम्बन्धित नीति की घोषणा करने के लिये सरकार को रिफर किया था :

(१) कोआपरेटिव सोसाइटीज अथवा व्यक्तिगत निजी भूमि एक्वायर करने के विचार से मुक्त करने (रिलीज फ्राम एक्वीजीशन प्रपोजल) ?

(२) कोआपरेटिव सोसाइटियों को नगरपालिका की सीमा के अन्दर अथवा बाहर भूमि का अलाटमेंट करने की नीति के सम्बन्ध में ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

इस प्रकार का कोई रेफरेंस सरकार को कन्ट्रोलिंग अथारिटी, अथवा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से प्राप्त नहीं हुआ।

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

यदि यह सच है, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हाँ, तो वह क्या है और उस की घोषणा कब, किस सरकारी गजट में हुई है तथा क्या सरकार सम्बन्धित १६ अप्रैल, १९६२ की कन्ट्रोलिंग अथारिटी द्वारा स्वीकृत कार्यवाही की प्रतिलिपि, जिसकी पुष्टि दिनांक २३ मई, १९६२ को की गई थी, सरकार मेज पर रखेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यद्यपि कन्ट्रोलिंग अथारिटी से कोई रेफेरेन्स प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि शासन ने गाजियाबाद नगरपालिका क्षेत्र में भूमि सम्बन्धी नीति अगस्त, १९६२ में और नगरपालिका क्षेत्र से बाहर की भूमि सम्बन्धी नीति दिसम्बर, १९६३ में निर्धारित की है, उसकी एक-एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है। इस नीति का प्रकाशन गजट द्वारा नहीं हुआ, न ही इसकी आवश्यकता थी। समाचारपत्र द्वारा उसका यथेष्ट विज्ञापन किया गया था ।

गाजियाबाद रेगुलेटेड एरिया की कंट्रोलिंग अथारिटी की १६-४-१९६२ की बैठक की कार्यवाही की एक प्रति† सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त प्रस्ताव द्वारा अथारिटी ने कुछ लोगों के निजी मकान निर्माण हेतु नक्शे पास करने और उनकी भूमि एक्वायर न करने का प्रस्ताव भी उक्त तिथि को किया था ? यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और किन-किन लोगों की भूमि को छोड़ने के लिए प्रबन्ध, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट व अधिकृत अधिकारी ने उन व्यक्तियों के निजी मकान निर्माण हेतु उक्त भूमि को एक्वायर करने से मुक्त कर दिया है और कब और किस गजट विज्ञप्ति द्वारा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, कन्ट्रोलिंग अथारिटी ने यह प्रस्ताव पास किया था कि निम्नलिखित लोगों के स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत नक्शों की भूमि से गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अर्जन की शर्त हटा ली जाय और उनके नक्शे, यदि वे और सभी प्रकार ठीक हों, पास कर दिये जायं :—

(१) श्री अमर सिंह,
(२) श्री नेकराम पादरी,
(३) श्री जयप्रकाश (प्रेमवती),
(४) श्री के० पी० शर्मा,
(५) श्री नवल सिंह,
(६) श्री घमंडी लाल,
(७) श्री के० पी० शर्मा,
(८) श्री रोचा राम,
(९) श्री रघुबीर सरन ।

---

†छापी नहीं गई।

श्रीमती प्रेमवती का नक्शा व श्री के० पी० शर्मा के दोनों नक्शे क्रमशः ११-७-६३, ३-१०-१९६२ व १५-१०-१९६२ को स्वीकार कर लिए गये। शेष छः नक्शे कुछ त्रुटियों के कारण अस्वीकार कर दिए गए।

नक्शों को पत्रावलियों में खसरा संख्या उपलब्ध न होने के कारण यह पता नहीं लगाया जा सका कि उनके अर्जन से मुक्त करने की विज्ञप्ति हुई अथवा नहीं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि सैकड़ों लोगों के आवेदनपत्र थे कि उनकी जमीन एक्वायर की जाय और बहुत से लोगों के इस प्रकार के आवेदनपत्र थे कि गलत तरीके से जमीन एक्वायर की गई है, तो जो मंत्री जी ने नियम बताये हैं उनको क्यों जरूरी नहीं समझा गया कि गजट में प्रकाशित किया जाय या लोगों को जानकारी कराई जाये ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

श्रीमन्, जैसा कि अभी बताया गया है कि समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया। जो गवर्नमेन्ट ने नीति निर्धारित की है वह करीब-करीब अथारिटीज तथा अन्य लोगों के जरिये उन लोगों को मालूम हो गई है जो इससे संबंध रखती हैं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

मंत्री जी ने देखा है कि ९ आदमियों को जमीन देने के प्रश्न पर विचार किया गया है, क्या उनके अलावा और लोगों ने आवेदन पत्र दिये थे और नक्शे सबमिट किये थे ? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य ने देखा होगा कि जो प्रस्ताव पास हुआ था उसमें से नक्शे केवल दो के नक्शे पास हुये और भूमि किन्हीं दो को दी गई या नहीं यह नहीं कहा जा सकता। अन्य लोगों का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि इसकी कार्यवाही पूरी नहीं हुई।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, हमें सूचना है कि इन लोगों के अलावा अन्य लोगों ने भी नक्शे सबमिट किये थे और एप्लीकेशन्स भी दी थीं जिन को यहां नहीं लाया जा रहा है। कुछ लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकी है, क्या इसको देखते हुए मंत्री जी जांच करायेंगे कि किन-किन लोगों ने आवेदन पत्र तथा नक्शे दिये थे जो बाद में कैंसिल कर दिये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय सदस्य, यदि खास-खास नाम देंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि लखनऊ में जो टाउन प्लानर हैं, उन्होंने गाजियाबाद तथा अन्य म्युनिसिपैलिटीज में अपने गुट बना रखे हैं और वहां पर जो जमीन ली जाती हैं उनके नक्शे इनकी मार्फत ही पास होते हैं ? इसके अलावा जो नक्शे मंजूर नहीं होते हैं वे इन गुटों की मार्फत मंजूर हो रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ऐसी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी का ध्यान मेरी शिकायत पर गया है जिसमें सहारनपुर के लिये मैंने स्पष्ट लिखा था कि टाउन प्लानर कुछ पार्टियों से मिले हुये हैं और लाखों रुपयों का हेर-फेर हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने क्यों कार्यवाही नहीं की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

यह प्रश्न तो गाजियाबाद से ताल्लुक रखता है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

श्रीमन्, जिन्होंने पहले आवेदन-पत्र दिये थे और उनके साथ न्याय नहीं हो सका, वे हाई-कोर्ट की शरण गये हैं और जो कमियां हैं उन को छिपाने के लिये स्थानीय अधिकारी परिवर्तित कर रहे हैं. तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो कार्यवाही हुई है उसकी सुरक्षा कर दी जाय और कागजात यहां मंगा लिये जायं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

श्रीमन्, अभी तक जो मामले उचित नहीं समझे गये वे रिजेक्ट हो गये। कुछ लोग हाई कोर्ट गये हैं तो उसका फैसला देखा जायगा और उसके ऊपर कार्यवाही होगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या मंत्री जी गाजियाबाद की शिकायत को ध्यान में रखते हुये टाउन प्लानर के खिलाफ जांच करायेंगे और उनके ऊपर ऐक्शन लेने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

श्रीमन्, जो शिकायतें स्पैसिफिक आती हैं उनकी जांच करा ली जाती है।

श्री केदारनाथ मिश्र चीफ इंजीनियर

*४---श्री कमलासिंह यादव तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को गाजियाबाद कालोनाइजर्स की ओर से कोई दरख्वास्त १९६४ में चीफ इंजीनियर टाउन और विलेज प्लानिंग विभाग, लखनऊ के सम्बन्ध में मिली है ? यदि हां, तो उसमें किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

सरकार के पास बहुत-सी दरख्वास्तें आया करती हैं और उन पर वांछित कार्यवाही की जाती है। पूरे विवरण के अभाव में प्रश्न-गत प्रार्थना पत्र का पता लगाना सम्भव नहीं हो सकता है। यदि माननीय सदस्यगण उक्त प्रार्थना-पत्र का पूर्ण विवरण दें तो शासन पता लगाने का पूरा प्रयत्न करेगा।

*५---श्री कमलासिंह यादव तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर साहब डेपुटेशन पर पी० डब्ल्यू० डी० से मांगे गये थे और बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वीकृति के करीब दस साल से अधिक इस पद पर किसके आदेश से हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी हां, श्री केदारनाथ मिश्र, जो इस समय चीफ इन्जीनियर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पद पर कार्य कर रहे हैं, १ जनवरी, १९५० से सार्वजनिक निर्माण विभाग से डेपुटेशन

पर मांगे गये थे। श्री राज्यपाल के आदेश से अब भी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में हैं। क्योंकि वह डेपुटेशन पर थे इस कारण से लोक सेवा आयोग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं समझी गई थी।

*६—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री रामसुन्दर शास्त्री (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि १९६१ से १९६३ तक जनपद होटल, दिल्ली में चीफ इंजीनियर श्री के० एन० मिश्र के नाम से कमरे एलाट किये गये थे? यदि हां, तो कितना रुपया किराये के रूप में कितने दिन का किसके द्वारा अदा किया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, १९६१ से १९६३ तक श्री के० एन० मिश्रा जनपथ होटल, दिल्ली में ११९ दिन रहे और २,९३३ रु० ७५ पैसे किराये के रूप में अदा किया गया। होटल के बिलों के भुगतान की समस्त रसीदें श्री के० एन० मिश्र के नाम की हैं।

सहारनपुर नगरपालिका की कार्यवाही का प्रकाशन

*७—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगरपालिका ने किसी मान्यता प्राप्त साप्ताहिक पत्रों को नियमानुसार कोई विज्ञापन नहीं दिये हैं और अब अपना ही एक मासिक पत्र निकालने का प्रबन्ध किया है? यदि हां, तो सरकार उसमें क्या कार्यवाही करेगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां।

शासन कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि जो नया ऐक्ट लागू हुआ है ३० नवम्बर को, उसमें स्पष्ट है कि जितनी भी कार्यवाही छपेगी वह प्रादेशिक सरकार के मान्यताप्राप्त पत्र में छपेगी। तो सरकार सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ क्यों कार्यवाही करने पर विचार नहीं करती?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, जो नियम है वह यह है, जिसकी तरफ माननीय सदस्य का इशारा है, कि जो नगरपालिका के प्रस्ताव हैं वह उन समाचार-पत्रों में छापे जायं जिनको सरकार की तरफ से विज्ञापन वगैरह देने के लिए मान्यता प्राप्त है। लेकिन माननीय सदस्य का जो प्रश्न ह वह यह है कि विज्ञापन उन्होंने अपने गजट में क्यों छपाया। विज्ञापन के लिये मनाही नहीं है। जो गजट उनका निकलता है उसमें वह छपा सकती है। इस लिये सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह केवल प्रस्ताव पर लागू होता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मेरा प्रश्न विज्ञापनों तक नहीं है। नगरपालिका की पूरी कार्यवाही, नोटिस इत्यादि, जितनी है, सारी उन पत्रों में छपनी चाहिए जिन्हें प्रदेशीय सरकार ने दे रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहारनपुर नगरपालिका की कोई भी कार्यवाही आज तक किसी ऐसे पत्र में छपी है जिसे प्रान्तीय सरकार ने मान्यता दे रखी हो? यदि नहीं, तो सरकार क्यों कार्यवाही करने का विचार नहीं करती?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अगर किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो अगर उसके विषय में माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करेंगे तो कार्यवाही होगी।

श्री लखपतराम शर्मा--

नियमानुसार कोई भी दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पत्र बिना डिक्लेरेशन के नहीं निकाला जा सकता। तो वहां कि नगरपालिका ने जो मासिक पत्र निकाला, जिसमें विज्ञापन दिया गया, उसका डिक्लेरेशन देने वाला कौन था और बिना डिक्लेरेशन के गजट निकाला तो सरकार ने क्या कार्यवाही की और सरकारी कर्मचारी अखबार का काम कर सकता है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह सवाल अलग से है। अगर डिक्लेरेशन जरूरी होगा तो डिक्लेरेशन किया होगा।

श्री लखपतराम शर्मा--

सरकारी मुलाजिम इस तरह का अखबार का काम कर सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह कह रहे हैं कि जो मूल प्रश्न किया है उससे यह असम्बद्ध है। वह यह भी कह रहे हैं कि नियमपूर्वक किया होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो गजट सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी ने निकाला, उसकी आज तक कितनी प्रतिलिपियां छपीं ? ऐसे इर्रेगुलर पेपर को बन्द कराने के लिए सरकार ने आदेश क्यों नहीं दिये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

यह तो दूसरा सवाल है। जब आप सवाल करेंगे तो जवाब दिया जायगा।

[१६ अगस्त, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बांसगांव तहसील में भूमि संरक्षण कार्य

*१--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या कृषि मन्त्री को मालूम है कि गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील के घुरियापार और चिल्लूपार परगना में तरैना नदी के किनारे भाटपार पुल से लेकर चिलवा पुल तक कितनी भूमि है जिसमें भूमि संरक्षण कार्य या अन्य किसी प्रकार से भूमि की पैदावार योग्य या अधिक पैदावार योग्य बनाया जा सकता है ?

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

भाटपार पुल से लेकर चिलवा पुल तक लगभग ३००० एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें भूमि संरक्षण कार्य किया जा सकता है।

*२--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये कौन-कौन से उपाय अमल में लाये जा रहे हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

कृषि विभाग की भूमि संरक्षण योजना के अन्तर्गत उक्त स्थान पर अभी कोई कार्य नहीं हो रहा है।

श्री कल्पनाथसिंह---

जो तीन हजार एकड़ भूमि कृषि मंत्री की नालेज में आयी इसमें कुछ उपजाऊ भूमि है। इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है, इस पर क्या मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अभी तो इस तरह के स्थानों पर ब्लाक्स और पी० आर० डी० के कर्मचारियों द्वारा भूमि संरक्षण का कार्य होता है और जहां पर अधिक गम्भीर समस्या है वहां सरकार ने भूमि संरक्षण योजना चलाई है। उपयुक्त अवसर आने पर यहां की इस समस्या के समाधान के लिये भी सरकार विचार करेगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भूमि किस प्रकार की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

यह जो भूमि है, यह बहने वाली मिट्टी की भूमि है और इसमें स्थान-स्थान पर गड्ढे हैं। इस भूमि का संरक्षण करने के लिये जरूरी है कि उसमें मेड़ें बनाई जायें, उसमें घास लगाई जाये और पेड़ उगाये जायें, ताकि मिट्टी को बहने से रोका जा सके।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ३ हजार एकड़ भूमि वैसे ही पड़ी हुई है। उसको उपजाऊ बनाने के लिये आपके ब्लाक और पी० आर० डी० के कर्मचारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य (जिला गाजीपुर)---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे, क्या उन्हें मालूम है कि जिस जमीन के सम्बन्ध में प्रश्न हो रहा है वह जमीन तरैना नदी के पानी का ऊसर है और उस पानी में यह अवगुण है कि वह जमीन को ऊसर बना देता है, जिसमें कोई उपज हो ही नहीं सकती है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

ऊसर के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आपकी जानकारी में है कि सेन्ट्रल ट्रैक्टर आर्गनाइजेशन इस प्रकार की भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है, क्या उससे आप उस जमीन को उपजाऊ बनाने का प्रयास करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अभी ऐसी कोई योजना वहां के लिये विचाराधीन नहीं है और जब होगी तब विचार किया जाएगा कि किस तरह से काम करना है।

सरकारी सांड़ों द्वारा प्रजनन कार्य

*३—श्री मुमताज मुहम्मद खां तथा श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार पशुधन को सुधारने के लिये सरकारी सांड़ों का स्थानान्तरण इन ब्रीडिंग से बचाने के लिये हर तीसरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देवसिंह आर्य—

सरकारी सांड़ों का हर तीसरे साल स्थानान्तरण द्वारा इन ब्रीडिंग को रोक कर पशुधन के सुधार के लिये राज्य सरकार द्वारा १९४६ में राज्य में सरकारी सांड़ों द्वारा प्रजनन कार्य (स्टड सर्विस) के लिये प्राविधान की नियमावली बनाई जा चुकी है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ब्रीडिंग को रोकने के लिये सिर्फ सरकारी सांड़ों का स्थानान्तरण किया जाता है या जो गांव-गांव में घूमते हैं उनका भी स्थानान्तरण किया जाता है ?

श्री बल्देवसिंह आर्य—

जो सांड़ पशुपालन विभाग की ओर से देहात वालों को दिये जाते हैं, उन्हीं सांड़ों का स्थानान्तरण करने के संबंध में यह उत्तर दिया गया है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हकीकत यह है कि उन सांड़ों का स्थानान्तरण किया ही नहीं जाता है, तो कैसे मंत्री जी इस प्रकार की सूचना दे रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितनी गउयें प्रदेश के अन्दर हैं, उनकी संख्या को देखते हुये जितने सांड़ों की जरूरत है, क्या उतने सांड़ सरकार के पास उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो जो सांड़ इधर-उधर खराब नस्ल के घूमा करते हैं उनसे खराब नस्ल के पशु पैदा होते हैं, तो क्या ऐसे सांड़ों पर सरकार कोई सख्ती से प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेगी जिससे बुरी नस्ल के पशुओं की उत्पत्ति न हो और जिसमें अच्छे सांड़ ही केवल इस्तेमाल किये जायें ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह रिसेन)—

कम पड़ता है, लेकिन आर्टीफिशियल इन्सेमिनेशन इसीलिये किया गया है, जिससे वह जरूरत कवर हो जाती है ।

कानपुर महापालिका में गांव

*४—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के विकास खंड (क्षेत्र) सरसौल, विधनू तथा कल्यानपुर के अन्तर्गत कौन-कौन ग्राम हैं जो नगर महापालिका, कानपुर के मास्टर प्लान के आधार पर नगर महापालिका, कानपुर की सीमा के अन्दर आ जाने या आने वाले हैं जिसके कारण वे चकबन्दी कार्य-क्रम से अलग कर दिये गये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

अभी तक नगर महापालिका कानपुर से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है ।

कानपुर जिले में ऊसर सुधार

*५--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब से पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत ऊसर-बंजर-भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य-क्रम प्रारम्भ किया गया है, कानपुर जिले में कितनी ऊसर--बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये कार्यक्रम में लिया गया तथा उसमें कितनी सफलता मिली है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

तृतीय पंच-वर्षीय योजना में कानपुर जिले के नवाबगंज विकास खंड में कृषकों एवं ग्राम समाज की ऊसर भूमि पर विकास क्षेत्रों के माध्यम से ऊसर सुधार कार्य "क्षारीय एवं लवणीय भूमि सुधार योजना" के अन्तर्गत प्रारम्भ हुआ। १९६३--६४ तक १७६.२५ एकड़ ऊसर-बंजर भूमि का सुधार हुआ। उसमें ४२०.५६ क्विन्टल धान पैदा हुआ।

*६--श्री मुरलीधर कुरील--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २२ फरवरी, १९६५ के प्रश्न २१ के उत्तर में जो कहा गया है कि कानपुर जिले में १,५८,९४४ एकड़ भूमि ऊसर-बंजर है, किन्तु चौथी योजना में कानपुर में इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये योजना नहीं है ऐसा क्यों कहा गया तथा चौथी योजना में इसमें से कुछ भूमि को शामिल करने पर मंत्री जी विचार करेंगे ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में इस भूमि को उपजाऊ बनाने में सरकार क्या-क्या सहायता व सुविधा किसान को देगी यदि किसान भूमि उपजाऊ बना कर खेती के लिये उपयोग करना चाहें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

ऐसा इसलिये कहा गया था कि चौथी पंच वर्षीय योजना में कानपुर जिले में ऊसर सुधार की कोई योजना नहीं है और वही स्थिति अब भी है।

ऊसर सुधार के लिये किसानों को विभाग द्वारा प्राविधिक सलाह देने के अतिरिक्त सौ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ऋण दिया जायगा।

श्री मुरलीधर कुरील--

यह सुविधाएं क्या कानपुर जिले में भी लागू होंगी या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जहां के किसान राज्य सरकार से प्राविधिक सहायता लेना चाहेंगे वह उनको दी जायगी और उसके साथ-साथ तकावी भी दी जा सकती है।

श्री मुरलीधर कुरील--

ऊसर को उपजाऊ बनाने के लिये पिछले दिनों नहरों का पानी इत्यादि मुफ्त देने की बात थी, क्या वह सुविधा अब भी लागू है या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जिन जिलों में यह ऊसर सुधार योजना लागू है वहां यह सुविधा जिसका माननीय सदस्य उल्लेख करते हैं दी जाती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

नैनीताल और तराई के अन्दर बीसों वर्षों तक जो धरती उपजाऊ नहीं बनाई जा सकी उसको पंजाब से आये हुये किसानों ने उपजाऊ बना दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना विचाराधीन है कि ऐसी ऊसर भूमि का इस प्रकार के मेहनती किसानों को दी जाय जिससे वे अपनी मेहनत से उपजाऊ बना दें ?

श्री बलदेवसिंह आर्य–

नैनीताल और तराई की भूमि ऊसर नहीं थी बंजर थी, लेकिन यह भूमि ऐसी है जिसकी ऊपरी सतह पर सफेद बालू रहती और इस ऊसर भूमि को सिर्फ मेहनत के द्वारा नहीं बल्कि एक विशेष योजना द्वारा ही उपजाऊ किया जा सकता है। यह साधारण बंजर जमीन नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर––

मेरा प्रश्न यह था कि जिन मेहनती किसानों ने तराई और नैनीताल की भूमि को उपजाऊ बना दिया जहां सुअर और जंगली जानवर रहते थे, तो सरकार इस भूमि को भी उन्हीं किसानों को देगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

गवर्नमेंट ने सिर्फ अलीगढ़, मैनपुरी और आजमगढ़ में सिर्फ १० हजार एकड़ में यह ऊसर सुधार का कार्य शुरू किया है। सरकार जिनकी जमीन है उनसे लेकर दूसरे, मेहनती लोगों से तो उस पर सुधार नहीं करा सकती है। वह तो योजना के द्वारा उन्हीं किसानों से जिनकी वह जमीन है उसका सुधार करा सकती है।

श्री मुरलीधर कुरील––

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सुविधाएं जहां पर योजना लागू हैं किसानों को दी गयी हैं क्या वही सुविधाएं यदि कानपुर जिले के किसान अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये लेना चाहें तो वह देंगे या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

मैंने उत्तर में निवेदन किया कि किसानों को राज्य सरकार की ओर से प्राविधिक सहायता दी जायगी वह चाहे कहीं के किसान हों और उसके साथ साथ १ सौ रुपये प्रति एकड़ तक तकावी भी दी जा सकती है।

श्री रामअवधसिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश के अन्दर ऊसर और बंजर भूमि को अच्छी भूमि बनाने के लिये जो योजना चालू की गई है उसमें सरकार को कितने प्रतिशत अभी तक सफलता प्राप्त हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य––

जिन जिलों का मैंने अभी उल्लेख किया है वहां पर १९६४–६५ में कार्य आरम्भ हुआ और अभी तक सर्वेक्षण अवस्था में कार्य चल रहा है।

रीजनल फूड कंट्रोलर के कार्यालय में क्लर्कों की पदोन्नति

*७––श्री मुमताज मुहम्मद खां––

श्री राम किशोर त्रिपाठी द्वारा पूछे गये प्रथम सत्र १९६५ के ६वें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ८–९ के संदर्भ में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर के कार्यालयों के लिपिकों की पदोन्नति हेतु क्लर्क के पदपर सीनियारिटी के आधार पर की जाती हैं या सेलेक्शन द्वारा ? अगर सेलेक्शन द्वारा की जाती हैं तो सेलेक्शन में किन-किन योग्यताओं का होना अनिवार्य है ?

खाद्यमंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)––

रीजनल फूड कन्ट्रोलर के कार्यालयों में हेडक्लर्क के पद पर पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर, जो पदोन्नति के अयोग्य पाये जाते हैं उन्हें छोड़कर की जाती है। हेड क्लर्क के पद पर पदोन्नति केवल मेरिट के आधार पर नहीं की जाती है।

*८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर के चारों रीजन में ए० आर० एफ० सी० के कहीं एक और कहीं दो पद होते हैं ? यदि हां, तो उस स्थान पर हेड क्लर्क को, जिसको कि कार्यालय संबंधी पूर्ण ज्ञान होता है, पदोन्नति न करके एस० एम० आई० को किया जाता है जो फील्ड वर्कर होता है ? अगर ऐसा है, तो क्यों ? क्या भविष्य में हेड क्लर्क की पदोन्नति ए० आर० एफ० सी० के पद पर करने की समुचित व्वयस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इस समय चारों रीजनों में से प्रत्येक में दो-दो असिस्टेन्ट रीजनल फूड कन्ट्रोलर हैं । इन पदों पर सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर को पदोन्नति करके नियुक्ति की जाती है । असिस्टेन्ट रीजनल फूड कन्ट्रोलर के पद के लिये फील्ड वर्क का अनुभव होना आवश्यक है । अतः असिस्टेन्ट रीजनल फूड कन्ट्रोलर पद के लिये सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर उपयुक्त समझा जाता है। इसी आधार पर उसको असिस्टेन्ट रीजनल फूड कन्ट्रोलर के पद पर पदोन्नति की जाती है । रीजनल फूड कन्ट्रोलर के कार्यालय के हेड क्लर्क को केवल लिपिक संबंधी कार्य का ज्ञान तथा अनुभव होता है, अतः असिस्टेन्ट रीजनल फूड कन्ट्रोलर के पद पर उनको पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पदोन्नति में योग्यता या अयोग्यता का आधार किन ग्राउन्ड पर तय किया जाता है और अभी तक कितने पदोन्नत लोग रीजन में कार्य कर रहें हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

योग्यता और अयोग्यता का आधार यही होता है कि उसका कैरेक्टर रोल क्या कहता है, उसने कैसा कार्य किया है । इस बात की सूचना मेरे पास नहीं है कि आज तक कितने इस प्रकार के पदोन्नत किये गये हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६४ में कितने आदमी पदोन्नत किये गये और उनमें कितने सीनियारिटी के हिसाब से हुये और कितने अन्य हिसाब से हुये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों पदों की योग्यता में कोई अन्तर है ? यदि नहीं, तो क्लर्कों को इन पदों पर उन्नति न देने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

योग्यता के विषय में केवल शैक्षिक योग्यता की बात नहीं है । दफ्तरों के अलावा फील्ड वर्क भी होता है । इसलिये इसमें फील्ड वर्क ही काउन्ट किया जाता है ।

शारदासागर नानकसागर, धौरा बांध पर मछली पकड़ने का ठेका

*९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६३–६४ के लिये मछली पकड़ने और पकड़ी हुई मछलियों को खरीदने के लिये शारदा सागर, पीलीभीत में कितने टेंडर आये और उनमें से किसका किस रेट में मंजूर हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

१९६३–६४ के लिये शारदा सागर, पीलीभीत में मछली पकड़ने तथा पकड़ी हुई मछलियों को खरीदने के लिये ३ व ५ टेन्डर क्रमशः क्रय बोर्ड द्वारा निर्धारित समय तक प्राप्त हुये। मछली पकड़ने हेतु तथा मछली खरीदने हेतु दोनों के लिये सबसे कम रेट के टेन्डर श्री अब्दुल करीम के थे, जो मंजूर किये गये। मंजूर किये गये रेटों का ब्यौरा संलग्नक में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५७ पर)

*१०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १९६४–६५ के लिये शारदा सागर, धौरा डैम और नानक सागर के लिये मछली पकड़ने और पकड़ी हुई मछलियों को खरीदने के लिये कितने टेंडर आये और किस-कस का मंजूर हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

शारदा सागर में मछली खरीदने मारने अर्थात् मछली पकड़ने के टेन्डर तीन साल के लिये १९६३–६४ में ही मंजूर किये जा चुके हैं, अतः इस संबंध में टेन्डर प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता। मछली खरीदने के लिये १९६४–६५, में विशेष परिस्थिति में श्री अब्दुल करीम के पिछले साल अर्थात् १९६३–६४ के टेन्डर के रेटों में १२ १/२ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके उनके कन्ट्रेक्ट को २ साल अर्थात् जून ३०, १९६६ तक बढ़ाने की स्वीकृति सरकार ने दे दी है।

धौरा डैम तथा नानकसागर में १९६४–६५ के लिये मछली पकड़ने के लिये ५ तथा ६ टेन्डर और पकड़ी हुई मछलियों को खरीदने के लिये ९ तथा ६ टेन्डर क्रमशः प्राप्त हुये। धौरा डैम के लिये श्री मुहम्मद सिद्दीक (बिजनौर) तथा श्री उस्मान अहमद (इलाहाबाद) और नानक सागर के लिये श्री मुश्ताक हुसैन (काशीपुर) तथा श्री हाफिज हबीब उल्ला एवं अल्ला बक्श (बिजनौर) के टेन्डर क्रमशः मछली पकड़ने तथा पकड़ी हुई मछलियों को खरीदने के लिये मंजूर किये गये।

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नानक सागर तथा शारदा सागर और धौरा डैम में पृथक्-पृथक् ठेकेदारों ने १९६३–६४ में कितनी मछली पकड़ीं और कितनी ठेकेदारों ने खरीद की और सरकार को हर ठेके से कितना मुनाफा हुआ ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

नानक सागर तथा धौरा डैम सन् १९६४–६५ अर्थात् जुलाई, १९६४ से सिंचाई विभाग द्वारा मत्स्य विभाग को मत्स्य विकास हेतु ट्रांसफर किये गये हैं अतः १९६३–६४ में इन जलाशयों से मछली पकड़ने, खरीदने एवं सरकार को मुनाफा होने का प्रश्न नहीं उठता।

शारदासागर से १९६३–६४ में ठेकेदार के द्वारा २१७५.९९ क्विन्टल मछली निकाली गई एवं उपरोक्त मछली की मात्रा खरीदने वाले ठेकेदार ने खरीदी जिससे सरकार को ७८,०६५.९३ रुपये की आय तथा १८,३६६.२२ रुपये का मुनाफा हुआ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि १९६४–६५ में कुछ विशेष परिस्थितियां थीं इसलिये यह इंतजाम किया गया, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह विशेष परिस्थितियां क्या थीं और उस वक्त यह टेंडर मांगा गया था या नहीं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह शारदा सागर एक बीहड़ जंगल में स्थित है और वहां आने जाने के रास्ते नहीं हैं। पहले एक ठेकेदार को काम दिया गया था वह बीच में छोड़ कर चला गया। जब से यह ठेका

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

अब्दुल करीम को दिया गया है उसने बड़ी मेहनत से काम किया और वहां की कठिनाइयों को देखते हुए १९६३-६४ के टेन्डर में साढ़े बारह परसेंट बढ़ोत्तरी करके उसी को यह ठेका दो साल के लिये दे दिया गया। यही विशेष परिस्थिति थी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि वे टेंडर पुनः मांगे जायं क्योंकि दूसरे लोग भी ठेका लेने को तैयार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

यह तो उसी समय संभव हो सकता है कि जब यह एग्रीमेंट समाप्त हो जाय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जितनी मछली पकड़ी जाती है वह ठेकेदार द्वारा बेच दी जाती है अथवा उसका बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसका तो इस प्रश्न से ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप को जानकारी नहीं है तो कह दीजिये कि सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि साढ़े बारह परसेंट बढ़ा कर दो साल का ठेका सरकार द्वारा दिया गया अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

इसकी स्वीकृति सरकार ने दी है।

गलाथा ग्राम का कथित फार्म

*१२--श्री रघुवीर सहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम गलाथा, तहसील बिन्दकी के कुछ अदद सरकारी फार्म हैं जिसके नीलाम की तिथि दिनांक २१ दिसम्बर, १९६४ नियत की गयी थी ? यदि हां, तो कहां के किन व्यक्तियों को कितनी-कितनी भूमि कितने कितने रुपयें में नीलाम की गई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

ग्राम गलाथा, तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर में सरकारी फार्म नहीं हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार--

मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि ग्राम गलाथा में १८०० बीघे का एक फार्म है जो कलकत्ता वाले मोतीलाल जी का था। वह छोड़ कर चले गये, उसको सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। तो जब वह सरकारी फार्म नहीं था, तो २१ दिसम्बर, १९६४ को सरकार ने फार्म को विभिन्न लोगों के नाम नीलाम क्यों किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

मैंने निवेदन किया कि गलाथा में कोई सरकारी फार्म नहीं है तो जमीन बांटने न बांटने का सवाल कहां से होता है ?

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि नीलाम अधिकारी कम जुडीशियल आफिसर ने इस फार्म की जमीन को २१ दिसम्बर, १९६४ को नीलाम किया है और उसमें से ४--५ सौ बीघा श्री जवाहर लाल, सब-इंसपेक्टर और उनके परिवार के नाम भी करके छोड़ा है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---

अगर माननीय सदस्य को ऐसी शिकायत है और लिखकर देंगे तो उसकी जांच करा-ली जायगी ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---

स्पष्टीकरण के लिए जो दोनों प्रश्न हटाये गये हैं तो क्या स्पष्टीकरण के बाद पुनः इस सदन के सामने आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

अभी १३-१४ का जवाब नहीं पढ़ा गया है । उनसे बाद में मिल लीजियेगा ।

*१३-१४---श्री रघुवीर सहाय कैथवार---

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिये गये ।]

नदियों में गन्दा पानी गिरने से रोकने की योजना

*१५---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---

विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ४६, दिनांक २३ अक्तूबर, १९५६ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ तथा अन्य शहरों का जो गन्दा पानी और पाखाना आदि नालों के द्वारा बह कर गंगा तथा जमुना आदि नदियों में जाने से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रोके जाने की व्यवस्था सरकार कर रही है वह व्यवस्था हो गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---

जी नहीं । प्रदेश के शहरों का गंदा पानी गंगा आदि नदियों में बहने से रोकने की जो योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं वे अभी सम्पूर्ण नहीं हो पाई हैं । सम्पूर्ण न होने के कारण ये हैं कि ये योजनाएं बहुत बड़ी होती हैं तथा इनकी लागत भी अधिक होती है । इनको सम्पूर्ण होने में भी काफी समय लग जाता है । पर्याप्त धन प्राप्त न होना भी इन योजनाओं का अपूर्ण रहने का एक कारण है ।

बढ़ना सकरिया तालाबों के निकट चिड़ियाघर बनाने का सुझाव

*१६---श्री रतीपाल (जिला राय बरेली) (अनुपस्थित)---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रोहनियां, गुड़वा, तहसील उलवन, जिला रायबरेली के बढ़ना व सकरिया तालाबों के पास सरकार कोई चिड़ियाघर बनाने जा रही है ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी चिड़ियां पाली जायेंगी और वह कहां से लाई जावेंगी ?

श्री चरणसिंह (वन मंत्री)---

जी नहीं । चूंकि कोई यहां जू बनाने का प्रस्ताव नहीं है इसलिये चिड़ियां लाने और पालने का प्रश्न नहीं उठता ।

*१७---श्री रतीपाल (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि उक्त तालाबों में कोई बाहरी चिड़ियां जाती हैं जो केवल जाड़े के दिनों में रहती हैं और बाद में चली जाती हैं ? यदि हां, तो फिर इन चिड़ियों को कैसे पाला जायेगा ?

श्री चरणसिंह—

जी हां, चूंकि यहां चिड़ियाघर (जू) बनाने का विचार नहीं है इसलिये चिड़ियां पालने का प्रश्न नहीं उठता।

जिलापूर्ति कार्यालय, देवरिया के विरुद्ध शिकायत

*१८—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १९ मई, १९६५ को जिलापूर्ति कार्यालय, देवरिया के विरुद्ध कोई शिकायत, खाद्य आयुक्त को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*१९—क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २१ अप्रैल, १९६५ को कुछ व्यक्तियों ने जिलापूर्ति कार्यालय, देवरिया के कर्मचारियों के विरुद्ध जो शिकायत पत्र खाद्य आयुक्त को दिया गया था उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में की गई जांच की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

जी हां। जांच कराई गई। मामला सरकार के विचाराधीन है। जांच की रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना प्रशासकीय दृष्टि से उचित नहीं है।

टाउन एरिया, कुरावली के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायत

*२०—श्री गणेशचन्द्र काछी (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले की टाउन एरिया, कुरावली के चेयरमैन के विरुद्ध कुराबली टाउन एरिया की जनता ने ऐसा प्रार्थना पत्र नवम्बर, सन् १९६४ में जिलाधीश, मैनपुरी को व जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मैनपुरी को दिया है कि श्री मुल चन्द्र जैन कुरावली के कुंए पर तथा और भी कई कुओं के ऊपर और किनारों पर पाखाने बनाने की इजाजत देकर पाखाने बनवा दिये हैं जिससे कुओं का पानी खराब होने का अंदेशा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में क्या हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में हवादार मंजिल का रिक्वीजीशन

*२१—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हवादार मंजिल गंगा प्रसाद रोड़ लखनऊ का रिक्वीजीशन सरकार ने कब किया और उसमें कौन-कौन लोग किस-किस तारीख से किराये पर रहते हैं ?

श्री हरदत्त कांडपाल—

हवादार मंजिल नामक भवन जिलाधीश, लखनऊ द्वारा १६ सितम्बर, १९४८ को रिक्वीजीशन किया गया। इस भवन के भिन्न-भिन्न भाग संप्रति निम्नलिखित व्यक्तियों के कब्जे में है—

(१) ऊपरी रिहायशी भाग : श्रीमती रजिया बेगम १ मार्च, १९५८ से।

(२) ऊपरी रिहायशी भाग : श्री [illegible] १ मार्च, १९५८ से।

(३) दूकान (एकदर) : श्री सियापत राम ११ जनवरी, १९५१ से।

(४) दूकान (एकदर) : श्रीमती ज्ञानवती सिन्हा ३ जून, १९४९ से।

(५) दूकान (एकदर) और एक साथ की दूकान : श्री अजीमुल्ला २२ सितम्बर, १९५५ से।

(६) दूकान (दो दर) :डा० अफरोज जहां बेगम ११ नवम्बर, १९४८ से।

*२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन किरायेदारों ने किस-किस साल का कितना कितना किराया अदा कर दिया है और जो किराया बाकी रह गया है उसका क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

किराये की अदायगी से सम्बन्धित सूचना† सदन की मेज पर रक्खी है।

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या खाद्य मंत्री यह बतायेंगे कि मालिक, हवादार मंजिल और सरकार के बीच मुकदमेबाजी होने के क्या कारण हैं, जबकि मालिक मकान ने बार-बार किराया हासिल करने के लिये जिलाधीश को नोटिस दी और सरकार ने किरायादारों से मकान का किराया क्यों और कितना अब तक वसूल नहीं किया जबकि किराया सरकार ने पास से अदा किया और मुकदमेबाजी में भी काफी रुपया सरकार का खर्च हुआ ? इस सारे नुकसान का जिम्मेदार कौन है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

मकान मालिक से मुकदमे बाजी के मुख्य कारण किराये के भुगतान की तिथि तथा उन्हें किरायादारों द्वारा सीधे भुगतान की गई धनराशि और जिलाधीश द्वारा भुगतान की गई धनराशि में मतभेद था। इसके अतिरिक्त मालिक मकान द्वारा बकाया किराये पर सूद मांगना तथा मकान के रीइंक्वीजीशन के बाद भी जिलाधीश को किराये के लिये जिम्मेदार समझना था। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है जो किराये की धनराशि वसूल नहीं हो पाई उसका †ब्योरा सदन की मेज पर प्रस्तुत तालिका में दिया है। सरकार को किराये की अदायगी दीवानी अदालत के फैसले के अनुसार करनी पड़ी है जिसकी जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष पर सिद्ध नहीं होती है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मन्त्री जी को मालूम है कि २९-३-६५ को अदालत मुंसफी से इस हवादार मंजिल मकान के लिए यह हुक्म हुआ कि यह मालिक मकान को और लोगों से खाली करा करके वापस कर दी जाय और जितना भी रुपया मालिक मकान का अब तक का है वह अदा किया जाय मय ६ परसेंट सूद के ? अगर सही है तो उसके ऊपर कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जिस जजमेंट की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं वह मेरे पास नहीं है, उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरा सवाल यह है कि वहां रहने वालों ने तो रुपया देने की ढील की, मगर मैं पूछना चाहता हूं सरकार ने रुपया वसूल करने में ढील क्यों की और किस कारण से रुपया वसूल नहीं किया, क्योंकि लगभग ९ हजार रुपये किरायदारों पर बाकी हैं ?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, यह किस्सा बहुत पुराना है । सन् १९४८ में यह बिल्डिगं रिक्वीजीशन हुई थी । उसके बाद मकान मालिक से कुछ झगड़ा चलता रहा किराये आदि के बारे में । उसी में काफी समय लग गया । जो किरायेदार रहा वह भी यही सोचता रहा कि पहले किराया तय हो जाय तो उसी हिसाब से दिया जाय । इसी भ्रम में इतना समय लग गया ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि इस इमारत में एक गुलशन वाच कम्पनी भी है और उससे आपने कोई किराया नहीं लिया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी —

सरकार के पास तो डिले की बात आयी । वह भी इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में आयी। अब इस संबंध में जितनी बातें आप कह रहे हैं उसकी जानकारी हमें नहीं है, आप अगर लिख कर हमें देंगे तो हम जरूर जांच करा लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि इस हवादार मंजिल के सिलसिले में जितनी भी अनुचित कार्यवाही हो रही है, यदि मैं लिख कर दूंगा तो वे उस सब की जांच करायेंगे और उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

सरकार अनुचित कार्यवाही तो कतई नहीं होने देगी ।

आगरा में बेकरीज व बिस्कुट फैक्टरीज को मैदा व शकर

*२४—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में जो बेकरी तथा बिस्कुट के कारखाने हैं उन्हें प्रतिमाह कितना-कितना मैदा तथा चीनी दी जाती है और इन कारखानों के नाम क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

आगरा नगर नें जिन बेकरीज या बिस्कुट फैक्ट्रीज को मैदा व चीनी का कोटा स्वीकृत हैं उनकी सूची सदन की मज पर रख दी गई है ।

परन्तु मैदा व चीनी की वास्तविक सप्लाई इनकी उपलब्धता पर निर्भर होने के कारण हर माह घटती बढ़ती रहती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८५८–८५९ पर)

सहारनपुर में राशन कार्डों की जांच

*२५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता की शिकायतों पर कि सहारनपुर नगर में ६०,००० से ऊपर जाली राशन यूनिट हैं, अपूर्ण जांच पर केवल दो राशन की दुकानों (हकीकतनगर गिल्ल कालोनी) पर ५,००० जाली यूनिट पकड़े गये ? यदि हां तो जांच जारी न रखने के क्या कारण हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह कहना सत्य से परे है कि प्रश्नकर्ता की शिकायत पर हकीकत नगर तथा गिल्ल कालोनी में कार्डों की जांच का कार्य प्रारम्भ किया गया । तथ्य तो यह है कि उक्त क्षेत्र के एक सरकारी सस्ते गल्ले के दूकानदार द्वारा यह सूचना देने पर कि उसकी दूकान से लगे कुछ कार्डों पर गत दो मास से राशन नहीं लिया जा रहा है, जांच कराई गई । नगर में जांच का कार्य जारी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि यह कहना सत्य से परे है । मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं और मैंने लिखित रूप में शिकायत भी की थी, जिलाधीश से भी शिकायत की थी कि सहारनपुर में इस समय करीब २ लाख ३६ हजार के करीब यूनिटों के कार्ड बने हुये हैं जब कि वहां की आबादी १ लाख ६० हजार के करीब ही है । तो क्या सरकार इसको सही मानती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जो जांच हमने की उसमें करीब २,३४० यूनिटें कम हुईं । कुछ इसमें ऐसे कार्ड थे कि जो एक मोहल्ले को छोड़ कर दूसरी जगह चले गये और उन्होंने अपना राशनकार्ड कैंन्सिल नहीं करवाया । ६० यूनिट ऐसे मिले जो जांच अधिकारी को जांच के समय नहीं मिले, किन्तु बाद में प्रार्थना पत्र आने पर आवश्यक जांच के बाद फिर से भेज दिये गये । वैसे आबादी के लिहाज से १९ हजार के करीब हम मानते हैं कि ज्यादा हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सहारनपुर में कुल २ लाख ३६ हजार यूनिट्स हैं और उसमें से १ लाख ८७ हजार आबादी है । वह ३ परसन्ट के हिसाब से बढ़कर २ लाख हो जाती है । लेकिन गवर्नमेंट सप्लाई करती है ८५ प्रतिशत के हिसाब से । उस हिसाब से टोटल ६६ हजार जाली यूनिट्स हो जाते हैं । मैंने शिकायत भी की । जिस दूकानदार का मैंने नाम लिया उसको लेकर मैं डी० एस० ओ० के पास गया । ५ हजार यूनिट्स पकड़े गये । मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दो दूकानों की जांच होने से पांच हजार जाली यूनिट्स पकड़े गये । तो सरकार के जो बाकी ७० डिपो हैं उन तमाम की जांच कराने की कृपा सरकार ने क्यों नहीं की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जांच की । मैंने तो यह भी कहा कि १,८५,२१७ वहां की आबादी थी । २० प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह मानना पड़ेगा, इसलिये २,२२,२५६ हुई और बढ़ते हुए २,३६ हजार की वहां पापुलेशन हुई । १९ हजार का अन्तर है । यह मैं कह रहा हूं कि आपके कहने से हुआ यह सत्य से परे है । वह स्वयं ही दूकानदारों की वजह से हुआ ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि इनका यह कहना है कि मेरी शिकायत पर हुआ, यह सत्य से परे है । मैंने स्वयं मंत्री जी को लिखकर दिया और उन्होंने जवाब दिया पिछले सत्र में.....

श्री अध्यक्ष—

सत्य से परे का मतलब यह नहीं है कि आप झूठे हैं । इसका मतलब यह है कि हमारी जो सूचनायें हैं उसकी दृष्टि से आप सूचना जो दे रहे हैं वह गलत है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मैं दोबारा लिखकर देने को तैयार हूं । प्रति दूकानदार २,५०० यूनिट जाली आज भी मौजूद हैं । मटियामहल में दो यूनिट पाये गये और किताब में २०२ यूनिट्स चार वर्ष से राशन हासिल करते रहे .....

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने पहिले भी अर्ज कर दिया कि जांच हो रही है । जहां तक आपके देने का सवाल है मुझे दी आपने, मैं मानता हूं । हमने डिस्ट्रिक्ट को कागजात भेजे तो उन्होंने कहा कि हम पहिले ही देख रहे थे । वे पहिले ही से कार्यवाही कर रहे थे ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य ने सहारनपुर जिले की बात बतायी, मैं भी मंत्री जी को इलाहाबाद के विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि इलाहाबाद में ५ लाख की आबादी है, लेकिन ७ लाख यूनिट्स हैं । यह सम्भवतः सारे प्रदेश में इस तरह के जाली कार्ड इन्सपेक्टरों की सांठगांठ करके चोरबाजारी का कारण बने हुए हैं और जो गरीबों के लिये गल्ला आता है, उनको महंगे दामों पर मिलता है । तो क्या प्रदेशीय स्तर पर इस चीज को रोकथाम करने के लिये एक हल्की-फुल्की कार्यवाही करने के बजाय कोई बड़ी कार्यवाही करने की मंत्री जी सोचेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं चाहते थे कि इस चीज की जांच हो । मगर पैसे की कमी की वजह से, पूरा स्टाफ न होने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं । ज्यों-ज्यों इस कार्य में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हम जांच को किस मुकम्मिल तरीके से हो सके, इस बात की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

माननीय मंत्री जी यह जांच स्थानीय अधिकारियों द्वारा करा रहे हैं या कोई ऐसी व्यवस्था वह करेंगे कि यहां से प्रदेशीय लेविल पर कोई अधिकारी वहां भेजकर सारे मामलों की छानबीन करायी जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कार्ड बनाने या उसकी जांच कराने का काम यहां से किसी एक आदमी को भेजकर तो नहीं हो सकता है, वह तो स्थानीय ही करना पड़ेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिल कालोनी वाली दूकान पर ५ हजार यूनिट्स जाली पकड़े गए वह चाहे मेरे कहने से या दूकान दार के कहने से हुआ, लेकिन क्या सरकार ने कोई कार्यवाही वहां पर किसी के विरुद्ध आज तक की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अभी तक कोई ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आयी । अगर आप लिखकर देंगे तो जांच करा देंगे और उस पर कार्यवाही की जायगी ।

सहारनपुर में सीमेंट की कमी

*२६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सहारनपुर नगर में पिछले दो-तीन महीनों से सीमेंट नहीं है इसका क्या कारण है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

सहारनपुर नगर से अप्रैल-जून, १९६५ की तिमाही में सीमेन्ट की कमी अवश्य रही है जो उसी नगर के लिये लागू नहीं बल्कि यह कमी सभी जिलों में रही है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है :

(१) इस त्रैमास में पब्लिक को केवल २५ प्रतिशत कोटे का ऐलाटमेन्ट हुआ और बकिया ७५ प्रतिशत का लघु सिंचाई योजना के लिये।

(२) सीमेन्ट का कारखानों से कम उत्पादन होने तथा वैगनों की कमी के कारण जिलों में कम तादाद में आना।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, सीमेंट कम आयी यह सरकार ने मान लिया। तो क्या सरकार इस बात की जांच करवाने को तैयार है कि इन दिनों में जितने मकान सहारनपुर में बने और कम्प्लीट हुए हैं उनमें कितनी-कितनी सीमेंट लगी और यहां से वह सीमेंट एलाट नहीं हुई तो कहां से आयी ? सीमेंट के इस ब्लैक को पकड़वाकर उसके ऊपर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल---

जी यह संम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव---

आप कह रहे हैं कि यह सम्भव नहीं हो सकेगा, लेकिन यह बात बिलकुल खुली हुई है कि ३० रुपये या ३२ रुपये बैग सीमेंट चोरबाजारी में मिल रही है, जिस शहर में चाहें ब्लैक में ज्यादा रुपये देकर दूना तिगुना या चौगुना तक दाम देकर जैसा मैंने कहा तीस बत्तीस रुपये में सीमेंट मिल जाती है, इसकी कमी कहीं नहीं है, तो कहीं न कहीं वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी है, जैसे प्लानिंग विभाग को एलाट होता है तो वहां से आता हो या और कहीं से आता हो, तो इस बात की रोकथाम करके इसकी कोई उचित व्यवस्था सरकार करेगी ताकि पब्लिक को आवश्यकतानुसार सीमेंट मिले और यह जो ब्लैक चल रहा है वह रुके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

सीमेंट के बारे में लोगों को भ्रम है कि हमारी वितरण व्यवस्था की वजह से यह ब्लैक में जाता है। जितना कुल सीमेंट आता है वह पहले मैटीरियल रिसोर्सेज कमेटी द्वारा अलग-अलग विभागों को चला जाता है, इरीगेशन को अलग पी० डब्ल्यू० डी० अलग और और सब विभागों को अलग चला जाता है। हमारे पास सिर्फ जनरल कोटे का थोड़ा सा रह जाता है। उसमें से भी ७५ परसेंट प्लानिंग को हम दे देते हैं। कुल २५ परसेन्ट रह जाता है। एक जिले का जैसे सहारनपुर का मैं बता दूं ५५२ टन का सारा एलाटमेंट हुआ, मगर वहाँ पर प्राप्ति हुई २३८ टन। ३१४ टन की इस तरह कमी रह गई। इसी तरह हर जिले में हमारे पास बहुत कम रहता है। अलावा इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से काम चल रहे हैं और हमारे अलग-अलग विभागों के भी काम चल रहे हैं तो यह पता नहीं चल सकता कि कौन ठेकेदार किस विभाग का कहां सीमेंट बेच रहा है। गवर्नमेंट चाहती है कि यह चीज न हो और हमने इस बात का प्रयास भी किया कि उस पर रंग भी डाल दिया जाय तो गवर्नमेंट का हो, लेकिन उसमें कठिनाई मालूम हुई। ऐसी सूरत में वह जो इन्होंने कहा कि यह सम्भव नहीं होगा, वह ठीक ही कहा क्योंकि हर विभाग जब तक इसको चेक नहीं करेगा तब तक केवल हमीं इसको चेक कर पायेगें यह सम्भव नहीं हो सकता। हमारी सम्मिलित जिम्मेदारी भी है, इसको भी हम समझते हैं, लेकिन बावजूद देखने के और उसको रोकने की कोशिश करने के भी इसमें पर्याप्त सुधार नहीं कर पाते हैं और इसका कारण यही है कि पता नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम जो चल रहे हैं उनसे आ रहा है या कहां से आ रहा है और फिर पब्लिक में से कितना

[श्री जगमोहनसिंह]

आयेगा ? तो इससे रोक पाना कठिन है । लेकिन फिर भी कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और हम इनकी और कोशिश करेंगे, पर पूरे तौर पर इसका आश्वासन देना कठिन है कि हम इसको बिलकुल पूरे तौर पर बन्द कर देंगे ।

श्री ए० सी० ग्राइस--

कानपुर में इतनी बिल्डिन्स बनती चली जा रही हैं, लेकिन डी० एस० ओ० से सिमेंट नहीं मिलती है । यूटीलाइजेशन सर्टीफीकेट अगर ले लिया जाय तो ब्लैक मार्केटिन्ग बन्द हो जाय । तो क्या मंत्रीजी यूटीलाइजेशन सर्टीफीकेट लेने का इन्तजाम करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

यूटीलाइजेशन सर्टीफीकेट लिया जाता है सिवाय एकाध बोरे के जो मामूली मरम्मत के लिये दिया जाता है ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

क्या तीसरी योजना बनाते समय इसका अनुमान लगाया गया था कि कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी ? यदि हां, तो उसकी पूर्ति के लिये क्या प्रबन्ध किया गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

आंकड़े देने के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

स्थानीय डी० एस० ओ० ब्लैक के मामले पुलिस के हाथ में देने की कृपा क्यों नहीं कर हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

वे करते हैं और कई जगह पकड़े गये हैं ।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

जिनके मकान ब्लैक के सीमेंट से बनते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा मंत्रीजी करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अगर कोई यह लिखकर दे कि फलां आदमी ने ब्लैक से सीमेंट लेकर मकान बनाया है तो उसकी जांच हो सकती है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मैंने रामसिंह के विरुद्ध लिखकर दिया कि वह म्यूनिसिपल कमिश्नर और ठेकेदार हैं और ३ मकान उसके बने हैं और एक बोरी भी उसे इसके लिये नहीं मिला ।

(उत्तर के लिये सम्बद्ध मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

(श्री केशरीप्रसाद पांडेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अगर आपको असन्तोष है तो नियम ५० में आ सकता है ।

लखनऊ तथा कानपुर में सीमेंट वितरण

*२७--श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६५ से जून, सन् १९६५ तक की अवधि में लखनऊ तथा कानपुर नगरों में ऐसे कितने व्यक्ति तथा फर्म हैं जिनको एक या इससे अधिक वैगन सीमेंट एक बार में दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

जनवरी, १९६५ से जून, सन् १९६५ तक की अवधि में लखनऊ तथा कानपुर नगरों में ११८ व्यक्तियों तथा फर्मों को एक या इससे अधिक वैगन सीमेंट एक बार में दिया गया ।

*२८--श्रीराम (जिला बिजनौर)--

[४ थे बुधवार के लिये प्र० सं० ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

पिंडरा ब्लाक में सस्ते गल्ले की दूकानें बन्द होना

*२९--श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगारी बाजार, अदालत पंचायत-मंगारी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में जो सस्ते गल्ले की दूकान कोआपरेटिव सोसाइटी को दी गयी है उसको बन्द क्यों कर दिया गया है जबकि वहां काफी लोगों को सस्ते गल्ले की आवश्यकता है ? क्या उस दूकान को पुनः चालू किया जायेगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--

अन्नाभाव के कारण सरकार ने खाद्यान्न का वितरण देहातों में केवल अत्यन्त अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिये सीमित कर दिया है । इस नीति के अन्तर्गत उक्त दूकान चालू न रह सकी तथा इस समय उसे पुनः चालू करना संभव नहीं है ।

ऋणग्रस्त महापालिका, लखनऊ

*३०--श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका ऋणग्रस्त घोषित कर दी गई है जबकि ऋण की किस्तें बराबर दी जाती रही हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, परन्तु ऋण की किस्तों की अदायगी के अर्थ यह नहीं हैं कि महापालिका ऋणग्रस्त नहीं है क्योंकि अधिकतर ऋण की किस्तों की अदायगी भी सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य ऋणों की धनराशि से की गयी और जिस काम के लिये ऋण दिया गया था उसे उसमें नहीं लगाया गया ।

*३१--श्री हरीशकुमार गंगवार (अनुपस्थित)--

क्या यह सत्य है कि ऋण ग्रस्त घोषित करने से पहले सरकार ने नगर महापालिका से कोई पूछताछ नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन महापालिका को ऋणी घोषित करने से पहले महापालिका से पूछताछ करना आवश्यक नहीं है ।

शोहरतगढ़ में टाउन एरिया स्थापित करने की मांग

*३२--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बस्ती जिले का कस्बा शोहरतगढ़ टाउन एरिया बनने की सभी शर्तों को पूरा करता है तो उसे टाउन एरिया अब तक न बनाये जाने का कारण क्या है तथा भविष्य में वह टाउन एरिया कब तक बना दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

कस्बा शोहररगढ़ को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव शासन के पास नहीं है।

द्वितीय भाग का प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद में सिनेमा प्लाट का नीलाम

*३३--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला-शाहजहांपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सिनेमा प्लाट के नीलाम के विषय में जो आवेदन पत्र दिनांक ३मार्च, १९६५ का लगभग ४० विधायकों के हस्ताक्षार से दिया गया या उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा क्या सरकार इस विषय में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

विधायकों द्वारा दिया गया ३ मार्च, १९६५ का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ७ मार्च, १९६५ को गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा नवयुग मार्केट में सिनेमा प्लाट के नीलाम को उस समय तक स्थगित कर दिया गया जब तक सरकार उस संबंध में निर्णय न ले ले।

चूंकि सिनेमा प्लालट के नीलाम के संबंध में कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अतः उनके विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*३४--श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि ७ मार्च, १९६५ को दिये गये गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नवयुग मार्केट के नीलाम में कुल कितने रुपये थे प्लाट बेचे तथा इसके विज्ञापन आदि पर कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल--

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने नवयुग मार्केट मे ७ मार्च, १९६५ को ६०,११६ रु० ३५ पैसे के प्लाट बेचे। विज्ञापन आदि पर २,७२ रु० ५७ पैसे व्यय हुआ।

जोया व अमरोहा ब्लाक में नल लगाने पर व्यय

*३५--श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद जिले के ब्लक जोया व अमरोहा में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें जनता के पानी के लिये वाटर वर्क्स के नल लगाये गये थे ?

श्री चर्तुभुज शर्मा--

ब्लाक जोया में १९ ग्राम तथा ब्लाक अमरोहा में १५ ग्राम सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६० पर)

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

क्या स्वायत शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन गांवों में नल लगवाने पर कितना खर्च हुआ था और क्या ये नल कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

केवल बम्बगढ़ तथा हरियाना ग्रामों में ये नल आंशिक रूप से कार्य कर रहे हैं। अन्य ग्रामों में नल काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां के लोगों ने नलों का सामान चुरा लिया है।

नोट---तारांकित प्रश्न ३४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

सहारनपुर नगरपालिका के विरुद्ध जांच

१—ब्रह्मदत्त मायर—

क्या स्वःयत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सहारनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष तथा ई० ओ० ने जिलाधीश को सूचित किया है कि सिटी मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर, जो नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर रहे हैं, को वह नगरपालिका के दफ्तर में जांच हेतु जाने की अनुमति नहीं देंगे परन्तु जो कागज उन्हें चाहिये वह भेज दिया जायगा ? यदि हां, तो सरकार इस पर जांच ठीक प्रकार हो सके, उचित आदेश देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सत्य है कि अध्यक्ष तथा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका सहारनपुर ने सिटी मजिस्ट्रेट, सहारनपुर को नगरपालिका के कार्यालय में बैठ कर नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने मौखिक रूप से आपत्ति उठाई थी। इसको तथा कई और बातों को दृष्टि में रखते हुये यह उचित समझा गया कि सिटी मजिस्ट्रेट अपने कार्यालय में ही जांच करें। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट की ओर से शासन के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि इस प्रकार जांच करने में सिटी मजिस्ट्रेट को कोई बाधा हुई अथवा जांच ठीक तौर पर न हो सकी।

कारागार अध्यापकों का वेतन

२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में जेलों के शिक्षा अध्यापकों का वेतन-क्रम १९४७ से पूर्व क्या था ? बीच-बीच में यह वेतन-क्रम किस रूप में तथा किस-किस सन् में बदला गया और इस समय उन्हें क्या वेतन क्रम दिया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थो 'घ' आगे पृष्ठ ८६१ पर)

३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि १९४७ से पहले सहायक जेलर व शिक्षा अध्यापक वेतन-क्रमों में शिक्षा अध्यापक का वेतन-क्रम अच्छा था ? यदि हां, तो यह देखते हुए कि शिक्षा अध्यापक को सहायक जेलर से भी कठिन ड्यूटी देनी पड़ती है तथा क्वार्टर भी दिया नहीं जाता ? क्या सरकार शिक्षा अध्यापक के वेतन-क्रम को सहायक जेलरों के वेतन-क्रम के समान करने का कष्ट करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१९४७ से पूर्व सहायक जेलर का पद नहीं था। अतः यह प्रश्न उठता ही नहीं।

श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री सालिग्राम जैसवाल तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले एलियास छुन्नन गुरु, एम०एल० ए० की गिरफ्तारी १३ अगस्त, को ३।। बजे सायंकाल कलेक्टोरेट में हुई, क्रिमिनल ला अमेंडमेन्ट ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत इंडियन पोनल कोड की धारा १४३/१४६ के अन्तर्गत और वे नैनी सेन्ट्रल जेल में बन्दी रखे गये हैं।

[श्री अध्यक्ष]

माननीय उप नेता सदन से मेरा निवेदन है कि आप कृपया जिलाधिकारियों को आदेश दे दें कि सूचनायें हिन्दी में भेजा करें, अंग्रेजी में नहीं । सूचनायें अब भी अंग्रेजी में आती हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

हमारी नियमावली में सूचना देने का एक फार्म है । आप कृपया यह भी बतला दें कि उस फार्म में सूचनायें आवें ।

श्री अध्यक्ष—

हमने फार्म भेज दिये हैं । सूचनायें हिन्दी में ही आनी चाहिये । अब तो तार भी हिन्दी में आ सकते हैं ।

श्री अब्दुल बशीर खां की गिरफ्तारी की विलम्ब से सूचना दिये जाने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय हलीमुद्दीन राहत मौलाई व माननीय श्यामलाल ने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है कि प्रोफेसर अब्दुल बशीर खां के बन्दीकरण के संबंध में जो सूचना दी गई है वह विलम्ब से प्राप्त हुई है । आपका कहना यह है कि कदाचित् वे ७ बजे प्रातःकाल पकड़े गये और सूचना ७ बजे शाम को आई है । हमारी विशेषाधिकार समिति के समक्ष ऐसा प्रश्न उठा था और उन्होंने यह तय किया है कि अगर उसी दिन सूचना दे दी जाती है तो विलम्ब से नहीं कहा जा सकता । इस वजह से कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है । अतः यह सूचना स्वीकार नहीं की जा सकती है ।

परिवहन मंत्री द्वारा कथित गलत बयानी करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखपत राम शर्मा ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था जिसमें उन्होंने शिकायत की कि एक ठेकेदार जो ब्लैक लिस्टेड था उसको अब भी ठेके दिय जा रहें हैं और माननीय परिवहन मंत्री जी ने गलत सूचना दी, माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि ठेके तो नहीं दिये गये, लेकिन जो हमने रिपोर्ट दी उसमें जानबूझ कर नहीं, गलती से गलत जवाब दे दिया गया और उसके लिये उन्होंने कहा है कि ३ अगस्त के उत्तर से उन्हें भ्रम हो गया, उसका उन्हें बड़ा खेद है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, विशषाधिकार के प्रश्न की नौबत इसलिये आयी कि माननीय मंत्रीजी को मैंने इसकी लिखित सूचना मई के महीने में ही दी थी कि विभाग के द्वारा इस प्रकार के ठेके दिये जा रहें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये तो उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवर्षण से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास बहुत से कामरोको प्रस्ताव आये हैं। एक माननीय नेकराम शर्मा तथा श्री ब्रह्मदत्त मायर का है। इसी अवर्षण से संबंधित दूसरे प्रस्ताव सर्वश्री विजयपालसिंह, सुरजन राम, चन्द्रजीत यादव, ऊदल, रघुवीर राम, भीखालाल, रघुनाथ राम, सत्य नारायण पांडेय, मेवा लाल जायसवाल, राम सुन्दर शास्त्री, लखपत राम शर्मा और माननीय रघुनाथ सिंह के हैं।

अभी हमारे सदन में जो खाद्य समस्या के संबंध में बहस हुई थी उसमें एक भाग इस संबंध में भी था। खाद्यान्न की बहस में इसका भी थोड़ा सा अंश आ गया था। तो भी मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं चाहूंगा कि आप मुझे इस बात की अनुज्ञा दे दें कि माननीय राजस्व मंत्री सारे प्रदेश के बारे में एक बयान दे दें ताकि परिस्थिति स्पष्ट हो जाय। उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सरकार केवल यही सूचना न दें कि जो इसमें मांगी गयी है उससे संबंधित और भी जो प्रश्न है उनकी सूचना भी दे। एक बात और राजस्व मंत्रीजी से यह सदन जानना चहेगा कि वे इस बात की भी सूचना दें दे कि इस अनावृष्टि के बारे में क्या-क्या कदम उठाये जा रहें हैं। खास तौर से वसूली के बारे में सरकार ने क्या नीति अंगीकार की है।

माननीय राजस्व मंत्रीजी, इस पर वक्तव्य आप कब देंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

आगामी सोमवार को।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आज सारा प्रदेश अवर्षण से ग्रस्त है। एक-एक क्षेत्र में हम लोग घूम कर आये हैं। सब जगह हरी फसल सूख गयी है। धान की फसल लगी नहीं है, लेकिन सरकार की ओर से वसूली हो रही है, किसानों को बेइज्जत किया जा रहा है। उनके बैलों को पान्ड में बन्द किया जा रहा है। माननीय मंत्रीजी उसको तुरन्त बन्द कर दें। इसके साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर हमें कम से कम दो दिन बहस करने का अवसर दें।

श्री अध्यक्ष—

पहले सूचना तो आ जाय, उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसके बजाय अगर माननीय राजस्वमंत्री जो से आप ने बयान दिलवाया तो पता नहीं हमें प्रश्न करने का भी अधिकार होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे नियम ५२ में ले रहा हूं। आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री नेकराम शर्मा—

फिर हमारे कामरोको प्रस्ताव के प्रस्तुत करने का महत्व ही न रह जायगा। बस मंत्रीजी वक्तव्य देंगे और उनसे कुछ प्रश्न पूछ लिये जायेंगे। फैजाबाद तथा दूसरे स्थानों से हमारे पास सूचनायें आयीं हैं कि वहां अवर्षण से त्राहि त्राहि मची हुई है, इसलिये नियम ५२ से इस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

कुछ न होगा। कार्य-स्थगन प्रस्ताव आप स्वीकार कर दें तो वोटिंग में हम सरकार को हरा सकते हैं। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में ही इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर) मैं स्वयं कह चुका हूं कि स्थिति गंभीर है, यद्यपि बहस हो चुकी है तो भी मैंने सरकार से यह निवेदन किया है कि वह इस पर एक वक्तव्य दे और आपसे यह भी कह दिया कि उस पर प्रश्न भी हो सकेंगे।

अब केवल एक प्रश्न है कि इसको कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में क्यों नहीं लिया जाता।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी जो एक सप्ताह का समय मांग रहे हैं। वक्तव्य के लिये, वह बहुत अधिक है, आप इस विषय की गम्भीरता को समझें...

श्री अध्यक्ष—

बीच में तीन दिन तो छुट्टी ही है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

आप जन्माष्टमी से पहले ही यह वक्तव्य उनसे दिला दें मंत्री अभी से वसूली के स्थगन की घोषणा करें, आपको अधिकार है कि जल्द बयान दिलावें, मंत्री जो इस परिस्थिति की गम्भीरता को नहीं देखते और देरी लगाना चाहते हैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं।

माननीय सत्यनारायण पांडेय जी ने प्रश्न किया है उसके बारे में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या बयान जल्द देना सम्भव होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, तमाम सूबे की हालत मालूम करना है, कहां पानी बरसा है, कहां नहीं बरसा है, कहीं अच्छा बरसा है कहीं नहीं बरसा, जब तक पूरी सूचना सब जगह से न आ जाय, डिटेल में बताना जल्द मुमकिन न होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, मंत्री जी अभी बनारस, जौनपुर, होते हुए इधर आये हैं, उन्हें स्वयं अहसास होगा कि सारा क्षेत्र अकाल पीड़ित है वहां की तकावी मुलतवी होना चाहिये। हमारे कहने के बावजूद मंत्री जी ने कोई निश्चित तिथि नहीं बताई कि वह कब वक्तव्य देंगे, आप उनसे पूछ लें।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बता तो दिया।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

अगर इसी तरह से सरकार की वसूली जारी रही तो गांव में क्या दशा होगी, वहां अभी से पशु मर रहे हैं, हजारों मर चुके हैं, पूरे अकाल की स्थिति है। मैं चाहता हूं कि ऐसे सूखे के क्षेत्रों को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष--

अभी आप बैठें।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, यह ८ दिन की अवधि बहुत ज्यादा है.....

श्री अध्यक्ष--

मैं क्या करूं उन से हम ने पूछा, मैं उन से नहीं कह सकता कि वह आज ही वक्तव्य दे दें, उन्होंने कहा कि सारे प्रदेश से सूचना एकत्र करना है कई दिन लग सकते हैं, वह कहते है कि ५-६ दिन लग जायंगे, ऐसी सूरत में ....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यह अवधि बहुत अधिक है, लोग कालकवलित हो रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जैसा कि मैंने बताया हम सोमवार को वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष--

इस में माननीय नेकराम शर्मा, माननीय ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री चन्द्रजीत यादव तथा उन के अन्य साथियों ने एक स्थान के विषय में नहीं वरन् सारे प्रदेश के विषय में वक्तव्य मांगा है तो आप को इतना समझना चाहिये कि उनका केवल जौनपुर, इलाहाबाद या बनारस की स्थिति से ही मतलब नहीं है बल्कि मंत्री जी को सारे प्रदेश के सम्बन्ध में सूचना एकत्र कर के रखना है। दूसरे मैं ने निवेदन किया कि वह केवल सूचना ही नहीं देंगे बल्कि अन्य-अन्य बातें भी बतायेंगे कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्रतम कौन सा कदम उठा रहे हैं और दूसरा जैसा कि मैंने उन से कहा कि वह उन नीतियों पर भी प्रकाश डालें जो उन क्षेत्रों के लिये वसूली के सम्बन्ध में सरकार से सम्बन्धित हैं। आप अनुभव करें कि इतनी सूचना सूबे भर से एकत्र करने में समय लगेगा।

अब वह कहते हैं कि ये सब बातें जानने के लिए ७ दिन का समय चाहिए और मैं समझता हूं कि सारे प्रदेश भर की सूचना के संकलन के लिए यह समय कम से कम है। अब आप मान जाइये।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कुछ जगह वर्षा हुयी है, तो उन्हें मालूम होगा कि कहां पर वर्षा नहीं हुयी है। श्रीमन्, बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर २५ जुलाई के बाद वर्षा ही नहीं हुयी है। वहां पर सारी फसलें बेकार हो गयी हैं, और भुखमारी की स्थिति पैदा हो गयी है। उसी सिलसिले में कचेहरियों में घेरा आन्दोलन चल रहा है और एक विषम स्थिति पैदा होगयी है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जिलाधीशों को आदेश दे दिए हैं कि तकावी मुल्तवी की जाय ?

श्री अध्यक्ष--

यह बात आप बाद में पूछ लीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, एक बात मूझे भी पूछ लेने दीजिये,

श्री अध्यक्ष--

मैं नियम ५२ के अन्तर्गत आयी हुयी सूचनाओं को समाप्त कर लूं। फिर आप जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ लीजिएगा।

श्री केशरीप्रासद पांडेय--

श्रीमन्, हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। मैंने एक स्पष्ट प्रश्न पूछा है और उसका मैं उत्तर माननीय मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बाद में पूछ लीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव--

श्रीमन् यह समस्या आज की नहीं है। २०-२५ दिन की बात है। हम लोग पूरे सूबे में जाते हैं, सब जगह स्थिति एक सी है। बहुत से जिलाधीशों ने सिफारिश की है कि वहां पर मालगुजारी को रिअलाइजेशन स्टे कर दी जाय और वहां पर फौरन ही टेस्ट वर्क आरम्भ कर दिया जाय। अतः मैं माननीय मंत्री जी से, श्रीमन्, आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने उन जिलाधीशों को, जिन्होंने उपरोक्त सिफारिशें की थीं, कोई आदेश दे दिए हैं कि वे आवश्यक्तानुसार जैसा उचित हो करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

इलाहाबाद में कलेक्टर को मैंने आदेश दे दिए हैं कि वे मालगुजारी को स्टे कर दें।

श्री सेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद)--

(एक रसीद दिखाते हुए) श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कैसे कहते हैं कि इलाहाबाद में आदेश दे दिए हैं। मेरे पास यह रसीद है जिससे स्पष्ट है कि वहां पर अभी भी मालगुजारी वसूल हो रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं। आप खड़े होकर शोर क्यों मचाते हैं ? आप कृपया बैठ जायं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, चारों ओर सूखा पड़ रहा है। फसलें बरबाद हो रही हैं....

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप बैठ जायं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

जब यह हमारे जीवन और मरण का सवाल है तो हम कैसे बैठ जायं ? अगर हम इस सदन में ही न रोयें तो और कहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

जब मैं कह रहा हूं कि आप प्रश्न पूछ सकेंगे तो आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? आप कृपया बैठ जायं और अगर आप नहीं बैठते हैं तो कृपया सदन छोड़ें।

एम० बी० बी० एस० परीक्षा के लिये पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये सुरक्षित स्थानों की समाप्ति तथा अनुसूचित छात्रों के संरक्षण को प्रतिबंधित करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय चन्द्रजीत यादव, माननीय रामसुन्दर शास्त्री, एवं माननीय सुरजन राम की आयी है। वह बहुत महत्व की है और मैंने उसे वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है :-

"राज्य सरकार के चिकित्सा विभाग ने एक परिपत्र संख्या ३१०८ (२)/ ए-५--६३८/१९६५, तारीख २९ अप्रैल, १९६५, द्वारा एम० बी० बी० एस० परीक्षा के लिए पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सुरक्षित स्थानों को समाप्त कर दिया है और अनुसूचित छात्रों के संरक्षण को भी प्रतिबन्धित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम के फलस्वरूप पिछड़े एवं अनुसूचित वर्गों के छात्रों को वह सुविधा भी प्राप्त न हो सकेगी जिसे संविधान देने की मंशा प्रकट करता है। सरकार का यह कदम समाज के इस निर्बल वर्ग का स्पष्ट विरोधी कार्य है।"

मंत्री जी आप कब वक्तव्य देंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना (चिकित्सा मंत्री)--

१८ तारीख को बयान दें दूंगा।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवर्षण से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने भी एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था हैदरगढ़ में अवर्षण के सम्बन्ध में। क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो उसमें मैंने लिखा है .....

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप किसी नियम का हवाला दें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या उसे भी मंत्री जी के पास भेज देंगे जिसके आधार पर कार्यवाही हो सके ?

श्री अध्यक्ष--

हां, वह तो भेज दिया जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तार आया था जिसको मैंने नियम ५२ के साथ आपके पास भेज दिया है। वहां हालत यह थी कि हजारों की तदाद में वहां जानवर....

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो आपका नाम भी ले दिया कि आपने दिया है। और क्या आप चाहते हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, आपने मंत्री जी से यह कहा कि वह क्या कार्यवाही करेंगे, पूरे सूबे के सम्बंध में जानकारी प्रस्तुत करें। आज जो मैंने नियम ५२ में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है तो क्या मंत्री जी आज और कल के अन्तर्गत जो चीजें उनके सामने आयी हैं उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

करेंगे।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिल इलाहाबाद)--

श्रीमन्, एक बात मुझे कहनी है।

श्री अध्यक्ष--

आप बहुत बोल चुके हैं। पहले माननीय केशरीप्रसाद पांडेय बोलेंगे।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, माननीय सत्यनारायण पांडेय और माननीय मेवा लाल जी ने आपको कामरोको प्रस्ताव दिया, आपने उसको सब कामरोको प्रस्तावों के साथ मंत्री जी के हवाले कर दिया, सिर्फ इसलिये कि वह वक्तव्य दें। उन्होंने आपके आग्रह करने पर भी ७ दिन का समय लिया। हो सकता है कि सारे सूबे से जानकारी प्राप्त करने के लिये इतने समय की जरूरत हो, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहां की जानकारी उनको होगी। इलाहाबाद, जौनपुर,मिर्जापुर बनारस ऐसे जिले हैं जहां आज स्थिति अत्यन्त शोचनीय है और वहां का वातावरण बहुत ही क्षुब्ध हो चुका है, वहां तनाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन्होंने कम से कम इन स्थानों के प्रति कौन-कौन से कदम उठाये हैं आरजी तरीके से, वह तो बता देना चाहिये। हम सब लोग इसका इंतजार नहीं कर सकते कि सारे सूबे की सूचना आये और तब वक्तव्य दें। मंत्री जी ने जो भी चन्द सहूलियतें अभी तक दी हों, उनको तो बता दें।

श्री अध्यक्ष--

अब अगर मंत्री जी के पास सूचना है और देना चाहते हैं तो दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमारे पास पूरे सूबे की मुकम्मिल सूचना नहीं है इसलिये मेरी दिक्कत है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, आपने देखा है कि मंत्री जी कि उपेक्षावृत्ति कैसी है। इलाहाबाद में संघर्ष चल रहा है, माननीय सालिग्राम जैसवाल, जैसा आदमी गिरफ्तार हो गया है, वहां अकाल की स्थिति हो रही है। फिर भी मंत्री जी उपेक्षा भाव दिखा रहे हैं। इसके विरोध में हम सदन से १० मिनट के लिये जाते हैं।

(संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी के सदस्य तत्पश्चात् सदन को त्याग कर चले गये।)

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, यह जो अवर्षण की स्थिति है उससे कम से कम इतना तो पता चल सकता है कि जिले में कितनी वर्षा अब तक हुई है, जो सामान्यरूप से होती थी उससे कितनी कम हुई है। यह सारे आंकड़े यहीं लखनऊ में प्राप्त हो सकते हैं। अभी-अभी १२ तारीख को कृषि मंत्री ने एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोटी सी बैठक बुलायी थी जिसमें रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों ने आकर एक दिन पहले तक के सभी जिलों के वर्षा के आंकड़े प्रस्तुत किये थे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि सारे जिलों के आंकड़े यहां कल पेश न किये जा सकते हों। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि केवल प्रश्नों तक ही आप इसको सीमित न रखें क्योंकि बहुत से सदस्यों के कई सुझाव ऐसे हो सकते है जो इस स्थिति का सामना करने में सरकार के लिये भी सहायक हो सकते हैं। तो थोड़ा समय आप विचार प्रकट करने के लिये भी इस सिलसिले में दें क्योंकि मैं समझता हूं कि यदि हम बैठ कर सोचेंगे तो कुछ रास्ता ऐसा निकल सकता है कि इस स्थिति का मुकाबला करनें में कुछ सहूलियतें पैदा हों। अतएव मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार कर लें, जैसा कि मैंने कहा कि रेनफाल के सारे आंकड़े लखनऊ में ऐवे एवेलेबिल हैं।

श्री अध्यक्ष—

अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था मैंने कह दिया। अगर माननीय मंत्री जी उसे नहीं कर सकतें हैं तथा उनकी इसमें मजबूरी है तो उनकी मदद मैं नहीं कर सकता।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो रूख अपनाया है वह ठीक नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है कई जिलों के कलेक्टरों ने सरकार को इस सम्बन्ध में सूचना भेजी है और तमाम लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लोगों को डंडे मारे जा रहे हैं, हर जगह सूखा की स्थिति है, आजमगढ़ के कलेक्टर ने तथा गाजीपुर के कलेक्टर ने भी सरकार से कहा है कि वसूली स्थगित की जाय और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनको इस बारे में कोई सूचना नहीं ह, मैं समझता हूं कि सरकार का यह ऐटिट्यूड कैलस की स्थिति को और बदतर करने वाला है। सरकार के इस रुख के खिलाफ में प्रोटेस्ट करते हुए ५ मिनट के लिये सदन से वाक आउट करते हैं।

(कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भानुप्रताप सिंह—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा कि सरकार के पास सारे आंकड़े यहां मौजूद हैं फिर भी वह उन्हें नहीं देना चाहती है, इसके विरोध में मैं सदन से वाकआउट करता हूं।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, सारे प्रदेश में अकाल सूखे की हालत है और सरकार ने अपने जिलाधीशों को अभी तक आदेश नहीं दिये हैं कि वसूली तुरन्त बन्द हो। माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में आदेश देने के लिये भी तैयार नहीं हैं। इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरे साथी ५ मिनट के लिय सदन से वाकआउट करते हैं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैंने बाराबंकी जिले के सम्बन्ध में एक काम्रोको प्रस्ताव दिया था कि वहां सूखे की स्थिति है तथा हैदरगढ़ क्षेत्र में लोगों को खाने की भी तबाही ह। दहाती दुकानों म खाद्य सामग्री नहीं दी जा रही है। मैं बराबर कहता आ रहा हूं कि नहरों से पानी भी वहां तक नहीं पहुंच सका जिससे सिंचाई हो सके क्षेत्र के सारे तालाब व कुएं सूख गये हैं। सारी फसलें सूख गयी हैं, और चारों तरफ घोर असन्तोष है। वहां खाद्यान्न की बराबर मांग है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है, टेस्ट वर्क की बराबर मांग की गई किन्तु कोई व्यवस्था नहीं हुई। सरकार की इस प्रवृत्ति के विरोध में मैं एक घंटे के लिये सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री राम किशोर त्रिपाठी सदन त्याग कर चले गये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कहा, हमारे बुन्देलखंड में हजारों जानवर भूखों मर रहे हैं क्योंकि उनके लिये पर्याप्त चारा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि आप निर्दलीय में है या नहीं हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, आज हमारे यहां २० रुपये में १०० पुलिया घास की बिक रही हैं और हजारों जानवर मर रहे हैं ।...

श्री अध्यक्ष—

हमें तो जो कुछ निवेदन करना था कर दिया और माननीय मंत्री ने भी कर दिया और निर्दलीय दल के नेता से भी कह दिया ? अब आप क्या कह रहे हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

माननीय मंत्री ने बुन्देलखंड में जन्म नहीं लिया है, अगर वे जन्म वहां लिये होते तो वहां की तकलीफ को महसूस करते ।

श्री अध्यक्ष—

पहले उनका बयान तो हो जाने दें ।

[× × ×]

(श्री लखपतराम शर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

जिला कांग्रेस कमेटी, बिजनौर के कार्यालय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किये जाने के संबंध में गृह मंत्री का वक्तव्य

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं—

श्री कृष्ण दत्त शर्मा, ने १९—७—६५ को पुलिस अधीक्षक को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया कि बिजनौर जिला कांग्रेस कमटी म दो पार्टियां हैं । इस प्रार्थना-पत्र में यह भी लिखा गया था कि कांग्रेस का सदस्य बनाने का कार्य ३० जून, १९६५ को समाप्त हो गया था और सदस्यों के शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख १५ जुलाई थी । उन्होंने यह भी लिखा कि दूसरी पार्टी के सदस्य अवैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं और पिछली तारीखों में सदस्य बना रहे हैं । ऐसे सदस्यों के फार्म कार्यालय में हैं । जो सदस्य ३० जून के पश्चात् बनाये गये हैं उनके फार्म भी कार्यालय में उन फार्मों में सम्मिलित करने के लिये लाये जा रहे हैं जो ३० जून तक सदस्य बन चुके थे । कल दोनों पार्टी के सदस्य कार्यालय में थें और एक पार्टी के सदस्य द्वारा बाजावाली से सम्बन्धित सदस्यों के फार्म सम्मिलित करने का विरोध करने पर दूसरी पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में ताला डालकर चली गयी । प्रार्थना-पत्र में यह भी लिखा था कि चूंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक किसी भी समय आ सकते हैं, इसलिये यह डर है कि दूसरी पार्टी के लोग दफ्तर खोल कर जबरदस्ती फार्मों को सम्मिलित करने का प्रयत्न करेंगे । अतः शान्ति भंग होने का डर है । उन्होंने यह प्रार्थना की कि शान्ति भंग होने से रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

[× × ×] श्री अध्यक्ष की आज्ञा स हटा दिया गया ।

१९-७-६५ को ही प्रातः साढ़े आठ बजे लगभग पुलिस अधीक्षक को यह सूचना मिली कि स्थानीय कांग्रेस के दोनों दल के समर्थक जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में एकत्रित हो गये थे और शान्ति भंग होने का भय था। जिला पुलिस अधीक्षक को यह भी बताया गया कि कुंवर सत्यवीर की पार्टी को यह भय था कि कांग्रेस के सदस्य बनाने के सम्बन्धित कागजातों में गड़बड़ी की जायगी और इसलिये कुंवर सत्य वीर ने कार्यालय के ताले पर अपना ताला डाल दिया था जिसके कारण कार्यालय के दैनिक कार्यक्रम बन्द हो गये थे। इस सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली के थानाध्यक्ष को स्थिति का स्वयं अनुमान लगाने तथा उन्हें और जिला मैजिस्ट्रेट को स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात् थानाध्यक्ष, कोतवाली, बिजनौर ने यह सूचना दी कि दोनों दलों के काफी सदस्य जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के पास एकत्रित हो गये हैं और शान्ति भंग होने का भय है। जिला मैजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक ने कुंवर सत्य वीर और श्री केशव शरण शर्मा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी को मिलने के लिये आमंत्रित किया जिससे स्थिति का ज्ञान हो सके। दोनों सज्जनों से यह आग्रह किया गया कि प्रशासन का जिला कांग्रेस कमेटी के आन्तरिक मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है तथा दोनों दलों के झगड़ों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायगा, परन्तु यदि शान्ति भंग हुई तो अवश्य ही वैधानिक कार्यवाही करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा। इसके पश्चात जिला मैजिस्ट्रेट ने कांग्रेस कार्यालय के आसपास पुलिस को गश्त करने का आदेश किया जिससे शान्ति भंग न हो। पुलिस पार्टी ने जिससे गश्त लगाने को कहा गया था अपना कार्य दिनांक १९-७-६५ को १ बजे अपराह्न से प्रारम्भ कर दिया। किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ और शान्ति बनी रही। अब ज्ञात हुआ कि ११-८-६५ को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, श्री मेनियन ने बिजनौर आकर ताला खुलवा दिया है।

जिला मैजिस्ट्रेट ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कार्यालय का ताला खोलने अथवा न खोलने पर किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही करने का भय नहीं दिखलाया और न जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया। जो कार्य मैजिस्ट्रेट या जिला प्रशासन ने किया था, वह केवल नगर की शान्ति बनाये रखने के लिए ही किया गया था।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिलाधीश का एक पत्र जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को मिला जिसमें उनको जिलाधीश ने बुलाया था और यह कहा था कि १४५ की कार्यवाही करके क्यों न जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर को बन्द कर दिया जाय। लेकिन जो सूचना सरकार के पास आई है वह दूसरे तरीके की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई हक जिलाधीश को नहीं है १४५ के अन्तर्गत जिला कांग्रेस कमेटी को बन्द करने का। इसलिये इसकी जांच की जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा कि वहां के एस० पी० को ऐसा बतलाया गया तो एस० पी० को जबानी बतलाया गया, लिखित बतलाया गया अथवा एफ० आई आर० दर्ज कराया गया तो किसने दर्ज कराया और कोई नामजद किया गया था अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में आप देखेंगे कि वक्तव्य के लिये यह लिखा हुआ है कि स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछे जा सकते हैं लेकिन यह केवल वक्तव्य के लिये था, न कि प्रश्न के लिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

भ्रम निवारणार्थ स्पष्टीकरण होता है ?

श्री अध्यक्ष---

आप भ्रम निवारण प्रश्नों के द्वारा अलग से करिये। इस सिलसिले में इस समय नहीं कर सकते।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नरसिंह नारायण ने जिलाधीश के पत्र का जिक्र सदन में किया। किसी डाकुमेंट को वह तभी सदन में कोट कर सकते हैं जब कि उसे वह पेश कर ने को तैयार हैं। इसलिए वह पत्र उनसे ले लिया जाय। हो सकता है कि वह नकली हो या सही भी हो। जब तक वह प्रस्तुत करने के लिये तैयार न हों आप पढ़ने की आज्ञा न दें। अगर आप ने दी है तो वह पत्र ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया पत्र सदन की मेज पर रख दें।

(पत्र के लिये देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८६२ पर।)

*श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)---

अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य सरकार की ओर से दिया गया है वह काफी हद तक वाकये के खिलाफ है। प्रश्न इतना था कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मालूम हो कि अमुक आदमी ने किसी मकान पर ताला लगा दिया है और वह आदमी कहता है कि ताला मैंने लगाया है तो क्या उसका यह कर्त्तव्य है कि ताला न खुलवाये या यह कि जिन्होंने ताला लगाया है उनके खिलाफ कार्यवाही न करे। इसलिये वे लोग खुले तौर पर शामिल थे।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५†

श्री अध्यक्ष---

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार के लिये प्रस्ताव करेंगे।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधयक, १९६५, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि इस समय सदन में दूसरी तरफ बैठने वाले कुछ माननीय सदस्य नहीं हैं, इस पर वे चाहते थे कि मैं कुछ कहूं। इसलिये मैं अवश्य कुछ बातें बताना चाहता हूं। इस विधेयक की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि इस समय शहरों में आबादी बढ़ रही है, देहात के लोग भी आते हैं और वैसे भी आबादी काफी बढ़ रही है। एक नागरीकरण हो रहा है और मकानों की संख्या हर शहर में काफी कम है। मकानों की ऐसी समस्या है जिसके लिये बड़े-बड़े शहरों में कोई न कोई जल्दी से काम होना चाहिये, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे मकानों की समस्या हल हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन २ अगस्त, १९६५ को मेज पर रखा गया।

इसके साथ-साथ विकास के कार्य जो शहरों में हो रहे हैं उनकी भी बात हमारे ध्यान में थी। पहले पांच बड़े शहरों में हमारे यहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स थे और वे ही इस कार्य को काफी हद तक करते थे। लेकिन जब फरवरी, १९६० में महापालिका नगर अधिनियम बना तो इस कार्य के लिए दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। इम्प्रूवमेंट का काम भी इनको दे दिया गया। उम्मीद यह की गई थी कि ये इस कार्य को ठीक-ठीक चलायेंगी, लेकिन इस आशाके विपरीत काय हुआ और विकास की ओर खास तौर से आवास गृह योजना की प्रगति बहुत धीमी रही। यहां तक हुआ कि आवास योजना के लिये जो ऋण दिया जाता था या फंड दिया जाता था वह उन पर खर्च न हो कर, रोजमर्रा के कामों में और तनख्वाह वगैरा पर खर्च हो जाता था। उनकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है क्योंकि इनके सदस्यों को आवास के संबंध में कुछ कार्य ऐसे करने पड़ते हैं जैसे जमीन का एक्वायर करना जिनसे लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिये जरूरत हो जाती है कि ये काम तेजी से हों। इसलिये इसकी जरूरत पड़ी। उदाहरण के तौर पर मैं आप को बताऊंगा कि जब से यह काम इनको दिया गया तो बहुत कम जमीनें एक्वायर की गईं और जो जमीन इनको ले कर दे दी गई थीं, वे भी करीब-करीब बहुत-सी जगहों पर वापस कर दी गईं। नगर महापालिकाओं ने अपनी दिक्कतें पेश कीं और कहा कि इस काम को किसी दूसरी संस्था को दे दें। दूसरी तरफ हमने देखा कि मद्रास में आवास एवं विकास परिषद् कायम थी। बम्बई, आंध्र और बंगाल में भी काम अच्छा हुआ। खास कर बम्बई में बहुत ही तेजी से मकान बनाने का काम हो रहा है। उनके तजुरबे को देख कर ही हमने विधेयक बनाया। इसमें हमने खास पैटर्न मद्रास का रखा क्योंकि वहां आवास और विकास परिषद् एक ही है और जगहों पर दो-दो संस्थाएं हैं।

एक दूसरी चीज भी थी। स्वायत्त शासन मंत्रियों के जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुए १९५७ से उनमें बराबर सिफारिश होती आयी है कि एक आवास परिषद् बनायी जाय। एक स्टैटुटरी बाडी इस लिए बनायी गयी है जिसमें काफी शक्ति हो और काफी तेजी से काम कर सके, उसके पास स्वयं इतने साधन हों, जो भली प्रकार काम कर सके, यह मद्रास के पैटर्न पर है। लेकिन मद्रास से भी ज्यादा हमने इसमें जनता के प्रतिनिधि रखे। इसका गठन पहले अर्ज कर दूं। एक तो अध्यक्ष होंगे, ६ गैर सरकारी और ५ सरकारी सदस्य होंगे। मद्रास के अधिनियम में ८ सरकारी और केवल चार गैर सरकारी सदस्य हैं। उनके यहां चेयरमैन भी सरकारी हैं। हमने यह रखा है कि जब तक कोई खास बात न हो, आम तौर पर वह गैरसरकारी सदस्य होंगे। इस तरह से इसमें जनता का काफी प्रतिनिधित्व है। हमने इसकी संख्या जानबूझ कर कम रखी है। अगर किसी एग्जीक्यूटिव बाडी की तादाद ज्यादा हो जाती है तो वह बहस-मुबाहिसा की संस्था बन जाती है, काम कम होता है। इस परिषद् को अधिकार होगा कि अपने अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करें। पांच सौ तक के जो नीचे के लोग हैं उन को वह खुद रख सकते हैं। पांच सौ से ऊंची जगहों पर पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश से रख सकते हैं और यहां लोक सेवा आयोग और परिषद् की राय में कोई फर्क नहीं होगा, वह वहां समाप्त हो जायगा और यदि कभी कोई फर्क होगा तो यह चीज सरकार के रेफरेन्स में आयेगी।

अब यदि आप कहें कि ५०० रुपये की सीमा क्यों रखी गयी? तो इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि इंजीनियर्स इसमें आम तौर पर होंगे। तो कम से कम कुछ इंजीनियर्स यह फौरन काम चलाने के लिये रख सकेंगे और पब्लिक सर्विस कमीशन से इसके लिये प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इन्हीं बातों को सोचकर ५०० की सीमा इसके लिये रक्खी गयी है, इस पर संयुक्त प्रवर समिति में भी इस प्वाइंट पर विचार हुआ था और उपरोक्त कारणों से इस ५०० रुपये की सीमा को उचित ही समझा गया है।

अब इसके कार्य के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इसका खास काम तो मकान बनाना है, पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो कार्य करते थे, वहीं इसके काम होंगे। फिर इसके अतिरिक्त

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

इसके विकास संबंधी काम भी होंगे जैसे सड़कों के विकास का काम करना आदि। विकास कार्यों से सम्बन्धित कई योजनायें इसमें लिखी हुई हैं, जो उनके सुपुर्द योजनायें की गयी हैं। लेकिन मैं उनके ब्योरे में ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, आप स्वयं इसको देख चुके होंगे। पुनर्वास योजना, सड़क योजना, मलिन बस्ती विकास योजना, पर्यटक विकास योजना आदि इसके कार्य होंगे। इसके कार्यों के सम्बन्ध में मैंने एक बात की है, जब यह विधेयक इस सदन में आया था तब इस पर विचार होते समय एक बात माननीय सदस्यों की ओर से जोर देकर कही गयी थी कि इसके कार्य बहुत अधिक हैं जो नहीं होने चाहिये। अतः अब इसके कार्य कुछ कम कर दिये गये हैं। जो इस प्रकार से हैं। इसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की लिस्ट को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो इसके अनिवार्य कार्य होंगे और दूसरे आप्शनल काम होंगे, जिन्हें परिषद् यदि चाहें तो अनिवार्य कामों को करने के बाद उन्हें भी ले सकती है। तो इस तरह से जो लिस्ट कार्य की बनी थी, हर एक शहर की जरूरतों के अनुसार उसमें वह परिषद् या वहां की जो इकाई होगी, उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसी तरह से इसकी मदद के लिये प्रत्येक शहर में जहां इसका काम शुरू होगा, वहां सलाहकार बाडी एक होगी और उसके चेयरमैन भी गैरसरकारी होंगे। आमतौर पर म्युनिसिपैलिटी और नोटीफाईड एरिया कमेटी जो उस क्षेत्र में पड़ती है, उसके चेयरमैन ही इस एडवाइजरी बोर्ड के चैयरमैन भी होंगे।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

यह चेयरमैन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के होंगे या दूसरी पार्टियों के भी होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चेयरमैन एक ही पार्टी के कैसे होंगे ? क्या म्युनिसिपल कमेटी और नोटीफाइड कमेटी के चेयरमैन सारे के सारे एक ही पार्टी के व्यक्ति हैं ?

(श्री ब्रह्मदत्त मायर की ओर मुखातिब होकर) जैसे आप के सहारनपुर में म्युनिसिपैलिटी है, जो सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन है वह उसका भी चेयरमैन रहेगा।

अब थोड़ा-सा इसमें खर्च करके इसको आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए भी थोड़ा सा अधिकार दिया गया है, कर लगाने का अधिकार दिया गया है। दूसरे जो नगर महापालिका की अचल सम्पत्ति की बिक्री होती है, उसमें से जो मिलता है वह उस को ट्रांसफर हो जायेगा। फिर इसको सरकार से और अन्यथा अन्य प्रकार से भी कर्ज लेने का अधिकार होगा और कर्जा बाजार से भी ले सकती हैं। इसके अतिरिक्त इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये अन्य योजनायें चाहे वे प्रदेशीय सरकार की हों या केन्द्रीय सरकार की हों, जो गृह निर्माण की होंगी, वे सब की सब इसको ट्रांसफर हो जावेंगी। जो अभी तक कर्जे वगैरह कोआपरेटिव के जरिये से दिये जाते थे वह देने का काम भी इसी परिषद् का हो जायगा। माननीय सदस्य इससे बड़ी दिलचस्पी रखते थे और यह सही है कि इधर ५, ६ महीनों से इसमें गड़बड़ी आ गयी है। अभी जो छोटी आय वालों और मध्यम आय वालों को कर्जे मिलते थे उसमें जरा दिक्कत थी। अब जैसे ही यह परिषद् बन जायगी वह कर्जे देने का काम भी उसी को सुपुर्द हो जायगा। तो यह थोड़ी रूपरेखा मैंने विधेयक की सदन के सामने रखी है और मुझे विश्वास है कि सदन इस पर विचार करेगा।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को पुनः प्रेषित किया जाय, जो कि अपना प्रतिवेदन १ मास के भीतर दे दे।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री महोदय का बयान बड़े गौर से सुना, वे जिस सद्भावना क साथ इस विधेयक को लाये थे उसको उन्होंने पुनः सदन के सामने व्यक्त किया है। यह विधेयक प्रवर समिति में गया। वहां कई मीटिंगें हुईं किन्तु उसमें कुछ ऐसी बातें रह गयी हैं जिनसे जिन उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये यह विधेयक आया था वह पूरा नहीं हो पायेगा। मंत्री जी ने कहा कि इसके उद्देश्य और कारणों में यह स्पष्ट लिखित है कि यह मंगलकारी भावना से लाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग नगर क्षेत्रों में आ रहे हैं उनकी आवास व्यवस्था के लिये यह विधेयक लाया गया है। मकानों का जो सृजन अब तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा होता था उसके लिये अब एक बोर्ड बनेगा। धारा ३ के देखने से ज्ञात होता है कि इस बोर्ड का गठन जिस प्रकार हो रहा है वह प्रजातांत्रिक भावनाओं से बहुत दूर है। उसमें सरकारी आदमियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और सारी सत्ता का बजाय विकेन्द्रीकरण करने के केन्द्रीकरण किया गया है। यह प्रजातांत्रिक भावनाओं का अनादर प्रकट करता है। फिर यह बोर्ड सरकार की कृपा पर बनेगा और इसलिए वह सरकार का मुखापेक्षी होगा और सरकार उससे जो चाहेगी करायेगी। इस संशोधन बिल में बोर्ड का जो स्वरूप है वह यह है कि उसमें ६ सदस्य ऐसे होंगे जिनमें से एक तो नगरपालिका का प्रमुख उसमें होगा और दोनों सदनों में से दोनों के एक-एक सदस्य भी होंगे। इस प्रकार की सदस्यता से तो काम पूरा होने वाला नहीं है। इस विधेयक में श्रमिकों की उपेक्षा की गयी है क्योंकि शहरों में देहातों से कोई लखपती, करोड़पती तो आयेंगे नहीं। देहातों में से भूखे मरने वाले मजदूर और किसान शहरों में रिक्शा खींचकर या अन्य तरीके से अपना पेट भरने के लिये आते हैं और आयेंगे। प्रथम तो उनको बसाने के लिये तथा जहां वे शहरों में झोपड़ी बनाकर रह भी रहे हों उनके बने झोपड़े मेटने तथा वहां से उनको हटाने के लिये सारा प्रबन्ध यह बोर्ड करेगा। लेकिन इस समिति के अन्दर उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और न होगा। इस विधेयक के सम्पूर्ण खंड ३ में जो भी परिषद् का गठन किया गया है उसमें असरकारी सदस्य रखे अवश्य गये हैं और दूसरी प्रकार की व्यवस्था से सदस्य होंगे जब कि उनको निर्वाचित होना चाहिये था। यह बात उसमें नहीं है। उसमें श्रमिकों का भी प्रतिनिधित्व नहीं है और इसके अध्यक्ष भी निर्वाचित नहीं होंगे। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सभी प्रदेशों के इस सम्बंध के बिलों को देख कर यह रखा गया है। मैंने भी अन्य प्रदेशों के अधिनियम देखे हैं बाहर प्रदेशों में कहीं कहीं पर ६ असरकारी सदस्य हैं और और कहीं पर ५ सदस्य हैं, लेकिन हमको दूसरे प्रदेशों की इस सम्बन्ध में नकल नहीं करनी चाहिये, वे कितना भी केन्द्रीकरण करें वह हमको नहीं करना चाहिये। हमें अपने प्रदेश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। इस बिल के अन्दर सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं किया गया है।

मान्यवर, खंड २ में जो उपखंड (ख) है उसमें यह कहा गया है कि किसी नगर या म्युनिसिपैलिटी की सीमा के बाहर ४ किलोमीटर तक क्षेत्रीय अधिकार होगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, इस समय सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री विजयपालसिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक के खण्ड २ के उपखण्ड (ख) के संबंध में सरकार ने प्रवर समिति में विचार किया। इस विधेयक की परिधि या उसमें जो संशोधन आवश्यक थे उनको न करके केवल इनके क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया है। इस पर फिर से विचार होने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा यह संशोधन आया है। इसके गठन में जो सरकारी लोगों की परमार है उसके कम होने की आवश्यकता है। परिषद् के गठन में वही लोग रहेंगे जो सरकार के कृपापात्र हैं। वह कार्य को ठीक रूप से नहीं चला सकेंगे और एक दिन ऐसा आ सकता है जब उसका दूसरा रूप हो सकता है। इसलिए इसके अन्दर

[श्री विजयसिंह]

चुने हुए लोगों का होना आवश्यक था। हमारे सदन की ओर से जो सदस्य नाम निर्देशित करने की व्यवस्था रखी गई है वह भी इसके अन्दर होंगे।

(इस समय १ बजे अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

महोदय, उनमें से दो या चार माननीय सदस्य जो यहां से जायेंगे वे इस सदन द्वारा चुने हुए न होंगे नाम निर्दिष्ट किए हुए होंगे। बैठक के संबंध में यह दिया हुआ है कि सरकार की ओर से जो लोग होंगे उन में से कनिष्ठ अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी को उस बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा। इस प्रकार सरकार का प्रतिनिधित्व होगा।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---

मैं श्रीमन्, अभी रूल्स आफ प्रोसीजर को पढ़ रहा हूं उसमें दिया हुआ है कि प्रवर समिति को विधेयक विधान सभा की राय पर जाया करता है, लेकिन यह नहीं दिया है कि किन परिस्थितियों में जब वह सेलेक्ट कमेटी में विचारोपरांत यहां वापस आए तो पुनः उसे लौटा दिया जाय और माननीय सदस्य जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं यह सब पिछली बार के विचार में आ गए थे। तो क्या आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि यह संशोधन कि इसे पुनः प्रवर समिति को लौटा दिया जाय, कहां तक नियमित है ?

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

इसको माननीय अध्यक्ष महोदय ने एलाऊ कर दिया है और इस पर विवाद जारी हो चुका है, अब यह प्रश्न उठ नहीं सकता। इस पर विचार करने का प्रक्रम चूंकि आरंभ हो चुका है इसलिए इस स्टेज पर अब इस तरह की व्यवस्था का प्रश्न कोई उठ नहीं सकता।

श्री अधिष्ठाता---

जहां तक व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं ऐसा समझता हूं कि व्यवस्था का प्रश्न अपने स्थान पर औचित्यपूर्ण है। अभी माननीय वक्ता महोदय केवल प्रस्तावना कर रहे थे और उस संबंध में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। संभवतः माननीय सदस्य ने उनकी बात सुनने के बाद यह प्रभाव लिया कि कोई नया तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। मैं प्रस्तावक महोदय से आग्रह करूंगा कि इसे पुनः प्रवर समिति को प्रेषित किया जाय इसके लिए वह नए तर्क प्रस्तुत करने की कृपा करें।

श्री विजयसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यही करने जा रहा था। चूंकि यह प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारा संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया है। इसलिए मैं यह बतलाऊंगा कि जो कार्य संयुक्त प्रवर समिति में हुआ है उसमें कौन सी बातें रह गयी हैं जिन पर पुनः प्रवर समिति में विचार किया जाय। मैंने इसको खंडशः लिया है। वह इस बिल को देखने पर पायेंगे कि खंड ६ में संशोधन किया गया है और उसका संशोधित स्वरूप भी दिया गया है। उसमें अधिकार दिया गया है कि राज्य सरकार इस विधेयक के द्वारा इस प्रकार नियुक्त अधिकारी को बैठक में भाग लेने और मतदान करने का भी अधिकार होगा। सरकारी अधिकारी मतदान करें यह जनहित में ठीक न होगा इसलिए इसे पुनः संशोधित किया जाय। माननीय सदस्य इस पर अवश्य विचार करें कि यह आवश्यक है या नहीं। खंड २ के उप-खंड (ख) में भी जो व्यवस्था है उस पर पुनः विचार की आवश्यकता है। मान्यवर, खंड ३ में दिया हुआ है कि नगर प्रमुख नामिनेटेड होगा। यह इस गणतंत्रात्मक समाजवादी ढांचे में उपयुक्त नहीं दृष्टिगोचर होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितने भी असरकारी लोग उसमें हों वह सब बैठ कर मतदान करके निश्चित कर लें कि अध्यक्ष कौन हो यह समाजवादी व्यवस्था है। इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि आपका अध्यक्ष सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट होगा। इसके साथ-साथ खंड ३ को जो नया रूप दिया गया है उसमें कहा गया है "राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छः अशासकीय सदस्य जिनमें से एक किसी नगर महापालिका का नगर प्रमुख होगा और दो राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों में से एक एक सदस्य होंगे ? मैं यह चाहता हूं कि केवल असरकारी सदस्य जब बनेंगे तो विधान सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम चार होनी आवश्यक थी। क्योंकि वह अगर होंगे तो सारे प्रदेश की स्थिति से अवगत रहेंगे और स्वच्छन्द रूप से अपना मत दे सकेंगे, किसी का दबाव नहीं मानेंगे। लेकिन सरकार ने एक अधिकार ले लिया कि यह नाम-निर्दिष्ट होंगे। मैं समझता हूं कि चार सदस्य हों और इस सदनके चुने हुए लोग हों। सरकार जो नाम-निर्देशन का अधिकार अपने हाथ में ले रही है, यह उचित नहीं है। यही मैंने भूमिका में कहा था। यह सरकार विकेंद्रीकरण के स्थान पर केंद्रीकरण करने जा रही है।

मान्यवर, इसमें आने-जाने के भत्ते के संबंध में यद्यपि कोई व्यवस्था नहीं है पर माननीय सदस्य जो सदस्य होंगे तो उनको वही भत्ता देय होना चाहिए जो यहां पर मिलता है। यह मेरा एक नया सुझाव है और संशोधन का एक रूप है।

मान्यवर, इस प्रदेशीय परिषद् का कार्य एक दम से पूरा नौकरशाही के हाथ में चला गया है। जैसा कि संशोधित स्वरूप में है खंड ३ में, उसमें जो भी दिया हुआ है वह भी अप्रजातांत्रिक है।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---

एक और दो के बीच में कोरम का प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

वह तो आपको रखना ही है। मेरा आग्रह है।

श्री अधिष्ठाता---

पांडेय जी आप माननीय अध्यक्ष की व्यवस्थाओं के साथ मेरी व्यवस्था पर भी ध्यान दें। एक और २ के बीच में बहुत से माननीय सदस्य भोजन आदि के लिए जाते हैं और कोरम के लिए माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है कि इस बीच में यह प्रश्न नहीं उठाया जायगा। यह हाउस की व्यवस्था है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

अगर हाउस की व्यवस्था है तो आप हाउस ऐडजोर्न कर दें और जब सब लोग भोजन आदि से संतुष्ट होकर आ जायं तो कार्यवाही चालू की जाय। यह कोई असरकारी विधेयक नहीं है, सरकारी विधेयक है इसलिए कोरम रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आप उचित व्यवस्था दें और कोरम कायम रखने के आदेश दें।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय पांडेय जी यह व्यवस्था ही नहीं है, इस सदन की परंपरा भी है, निर्णय भी हो चुके हैं इसलिए आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

एक और दो के बीच में वोटिंग नहीं होगी, यह सदन का यूनानिमस निर्णय है।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है। माननीय विजयसिंह अपना भाषण जारी रखें।

श्री विजयसिंह—

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस विधेयक में बहुत-सी कमियां रह गयी हैं। स्थानीय इकाइयों को केवल परामर्शदात्री होने का रूप दिया गया है, यह उचित नहीं है। वह परिषद् द्वारा संपादित कार्यों की देख-रेख रख सकें यह भी आवश्यक है। केवल परामर्श देने से कार्य पूरा नहीं होता। यह उनकी उपेक्षा की गयी है। उनके सम्मान में एक चोट है।

धारा ४४ के अन्दर परिषद् द्वारा महापालिका के अधिकारों का कुछ अतिक्रमण हुआ है, जो अप्रजातांत्रिक तथा असंवैधानिक भी है और माननीय मंत्री की निर्मल भावना के साथ एक कालिमा है।

मान्यवर, मेरा ऐसा विचार था कि प्रवर समिति में जब यह विधेयक जायेगा तो उस पर विचार होगा और सर्वांगपूर्ण अंगों का पुनरावलोकन होगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, आप स्वयं देख लें कि इसमें इस धारा के रहते हुये महापालिका के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है अथवा नहीं? जहां पर यह दिया हुआ है कि परिषद् जिस क्षेत्र को लेना चाहेगी, किसी कार्य के लिये, उसके लिये धारा २८ के अनुसार एक नोटिस देगी। श्रीमन्, जब कोई नगरमहापालिका किसी क्षेत्र में कोई सुधार का काम कर रही है तो यदि उस क्षेत्र को परिषद् द्वारा लिया जाता है तो यह नगर महापालिका के अधिकारों का अतिक्रमण है ही। अभी तक, मान्यवर, नगर महापालिकाओं ने जहां जहां विकास के काम किये हैं वहां बड़ी सतर्कता से किये हैं। यह सत्य है कि इन महापालिकाओं ने काम के लिये भूमि कम एक्वायर की है। इसके अलावा एक बात और है। नगरमहापालिका में जनता के चुने हुये नुमाइन्दे होते हैं वह हर चीज को अच्छी तरह से, हर दृष्टि कोण से देखते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अब इस विधेयक में जो संशोधित स्वरूप इस समय है उससे निश्चय ही नगर महापालिकाओं के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है और इसलिये इस पर पुनः विचार की आवश्यकता है और इसीलिये इसे पुनः प्रवर समिति में जाने की जरुरत है।

इसी प्रकार मान्यवर, खंड ४४ (२) में जो प्राविधान किया गया है उससे भी नगरमहापालिका के अधिकारों का अतिक्रमण होता है। चूंकि इनमें जनता के चुने हुये आदमी होते हैं, इसलिये उनको यह अधिकार होना चाहिये कि वे जो भी तब्दीली करना चाहें कर सकें। अनावश्यक विलम्ब होता हो तो परिषद् अवश्य हस्तक्षेप करे, अन्यथा हस्तक्षेप करने का अधिकार परिषद् को नहीं होना चाहिये। नगरमहापालिकायें जो सक्षम हैं वे अधिक विकास के कामों को कर सकती हैं। इसलिये इस खंड ४४ (२) के अन्तर्गत जो अधिकार दिया जा रहा है यह भी अधिकार उनको नहीं रहना चाहिये। इस पर पुनः विचार की आवश्यकता है। उनको अपना कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये।

मान्यवर इस विधेयक के खंड ५० में आसुधार शुल्क की व्यवस्था की गई है। मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि यह कर के रूप में लगाया जा सकता है। मान्यवर, पहिले तो स्वयं भूमि कर के बोझ से जनता जिस रूप में आज चिल्ला रही है आप मान्यवर, नित्य देखते हैं। आज इस विधेयक में उसका दूसरा नाम आसुधार शुल्क देकर एक और नया भार पड़ जाता है और वह गरीब जनता कर भार से धराशायी हो जाती है। उपखंड (१) में एक और संशोधन की आवश्यकता है जिसमें शब्दों का ऐसा समन्वय किया गया है जैसा कि राज्य की ओर से जो आदेश होते हैं उनमें शब्दों का ऐसा ही स्वरूप होता है जिनमें कई अर्थ निकल आते हैं। किन्तु विधेयकों के अन्दर स्पष्टतया ऐसा होना आवश्यक है जिनमें शब्दों के दूसरे अर्थ न निकल सकें। खंड ९ के उप-खंड (१) में किसी नगर के लिये शब्द का प्रयोग भी काफी नहीं है। स्पष्ट रूप से उनका नाम आना आवश्यक था। इसलिये मैंने यह आवश्यक समझा है कि इस नगर के स्थान पर स्पष्ट

रूप से किसी नगर म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया अथवा नगर महापालिका होना चाहिये । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द करेंगे और इस पर पुनः विचार हो ताकि जो कमियां हों वे दूर हो सकें और मंत्री जी जिस मंशा से इस विधेयक को लायें हैं वह भी पूरा हो सके । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं ।

*श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक समाज की पांच बड़ी आवश्यकताओं में से तीन ही आवश्यकताओं को पूरा करता है । समाज की सबसे पहली आवश्यकता तो उसकी उदरपूर्ति है । खाने को अनाज मिलना चाहिये और दूसरी आवश्यकता शुद्ध पानी पीने के लिये मिलना चाहिये और नम्बर ३ की आवश्यकता रहने के लिये मकान हो । फिर आगे और हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकतायें । इस तरह से ये पांच हो जाती हैं । इस विधेयक का इस दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । वैसे तो यह बात देश के सामने और सरकार के सामने काफी समय से थी, लेकिन यह खेद की बात है कि अभी तक इस दिशा में कोई अच्छा प्रयत्न नहीं हो सका । दूसरी पांच साला योजना के सर्वेक्षण से यह मालूम हुआ कि शहरी आबादी में भारतवर्ष में ६० लाख मकानों की आवश्यकता है और अब मौजूदा पोजीशन यह है कि १९७६ तक शहरी आबादी के लिये भारतवर्ष में १२० लाख मकान और होने चाहिये और देहाती आबादी के लिये २२० लाख मकान और होने चाहिये । उन मकानों की लागत का अनुमान शहरी आबादी के लिये १० हजार करोड़ रुपये, देहाती आबादी के लिये पांच हजार करोड़ है । तो यह १५ हजार करोड़ रुपये भारतवर्ष में चौथी और पांचवीं पांच साला योजना के अन्त तक खर्च हों तब कहीं यह समस्या, यह महत्वपूर्ण आवश्यकता समाज की पूरी हो सकेगी। और तीसरी पांच साला योजना में तो केवल ४४० करोड़ रुपये का तखमीना था मकानों के लिये । मैं नहीं कह सकता कि उसमें कितना खर्च हुआ और चौथी पांच-साला योजना जो बन रही है उसमें केवल सात सौ करोड़ रुपये का तखमीना है जिसमें से केवल १०० करोड़ रुपये देहाती आबादी के लिये रखा गया है । तो इन तखमीनों को दृष्टि में रखते हुये भी यह कहा जा सकता है कि यह प्रयत्न काफी नहीं है । माननीय मंत्री जी ने इस दिशा में एक नया कदम उठाया । रास्ता यही है । मुझे खेद है कि वह जो पहले बहस इस बिल पर हुई उसमें मैंने भाग नहीं लिया । पर यह जो रिपोर्ट छपी है इसको सरसरी तौर पर मैंने देखने और जान-कारी प्राप्त करने की कोशिश की । मुझे लगता ऐसा है कि माननीय सदस्य उलझ गये ब्योरे में । कैसी संस्था हो, डेमोक्रेटिक हो या क्या हो, नामिनेटेड हो या बिला नामिनेटेड हो, इसमें पड़ गये और असल रास्ता भूल गये । उद्देश्य तो यह था कि यह मकानों की जो कमी हमारे देश में है इस समस्या का हल हो । दो बातें इसमें मुख्य तौर से ध्यान में रखनी चाहिये थीं । जिन सदस्यों ने इस रिपोर्ट से सहमति नहीं प्रकट की है उनकी टिप्पणी को भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी इस बात की चर्चा नहीं है । दो बातों की चर्चा इसमें नहीं है । नम्बर एक तो यह कि क्या इस संस्था में या इस बोर्ड में यह केपेसिटी होगी, क्षमता होगी कि इस आवश्यकता को पूरा कर सके ? क्या इस बोर्ड के पास इतने साधन जुट सकेंगे कि यह आवश्यकता पूरी हो जाय? और दूसरी कमी मुझे यह लगी कि कुछ प्लान्ड वे में इसके करने की बात कहीं नहीं दिखाई पड़ी । जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि १५ हजार करोड़ रुपये खर्च करके भारतवर्ष की आवश्यकता सन् १९७६ तक इस तरह से पूरी हो सकती है और अगर १९९० तक या २,००० तक इसे चलना है तो २०-३० हजार करोड़ रुपये चाहिये तो इस बिल में यह नहीं मिला कि सरकार का क्या प्रयास है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में या पांचवी पंचवर्षीय योजना में वह इसको पूरा कर देगी या कब तक पूरा कर देगी, यह पता नहीं चला ।

एक बात और ऐसी लगती है कि यह पहला बिल इस प्रकार का नहीं है । भारतवर्ष में भी और उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार के कई कारपोरेशंस और बोर्ड हैं । तो इस विधेयक को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फूलसिंह]

बनाते समय उन कारपोरेशंस और उन बोर्ड्स की त्रुटियों को, उनकी कार्यप्रणाली को और उनके नतीजे को सामने रखना चाहिये था। तीन, चार ट्रीजें मैं माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी की इत्तिला के लिये रख देता हूं। कुछ बोर्ड्स तो ऐसे हैं, कारपोरेशंस हैं कि जिनमें कायदे से सरकार को ५१ प्रतिशत हिस्सा खरीदना चाहिये था। उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। सरकारी पैसे से काम चलाया और खेद की बात है कि वह रुपया उन्होंने जमा कर दिया बैंकों में और खर्च नहीं किया। मै नाम भी दे सकता हूं। कुछ कारपोरेशंस तो ऐसे हैं कि जिन्होंने फिक्सड डिपाजिटस में रुपया डाल दिया है। कुछ बोर्ड्स भी ऐसे हैं। कुछ बोर्डस हैं जो काम कर रहें हैं कई साल से, लेकिन बैलेंसशीट गयाब है, हिसाब ही कोई नहीं छापता। तो क्या यह भी कोई उसी तरह की चीज होने जा रही है और अगर उसमें शामिल नहीं होने जा रही है तो कौन सी धारायें रखी हैं जिनसे यह निश्चय हो जाय कि जो गलतियां उन बोर्डों ने या उन कारपोरेशंस ने की हैं वह इसमें नहीं होने पायेंगे ?

उद्देश्य की बात भी मैं आपसे कहूंगा। वेयर हाउसिंग बोर्ड है। वह दो उद्देश्यों से बना था। पिछले दिनों मैंने इस सदन में निवेदन किया था कि अनाज को रखने में पांच प्रतिशत अनाज चूह और दूसर कीड़े-मकोड़े खा जाते हैं। अगर यह पांच प्रतिशत बच जाय तो इससे हमारे देश की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरी हो सकती है। इस उद्देश्य को लेकर यह वेयरहाउसिंग बोर्ड बना। मगर उसने भी कोई मकान नहीं बनाये। किराये के मकान ले लिये। न कोई रैट प्रूफ मकान बनाये, न डैम्प प्रूफ मकान बनाये। यही नहीं एक और बड़ी खामी यह है कि वेयरहाउसिंग बोर्ड बना इसलिये कि किसानों का अनाज उसमें रखा जाय ताकि उनको तुरन्त उसी वक्त सेल न करना पड़े, वह धीरे-धीरे उसको बेचें और उनको उसकी पूरी कीमत मिले, लेकिन वेयर हाउसिंग बोर्ड में किसानों का म.ल केवल १ प्रतिशत है। तो यह परिषद् जो बना रहें हैं यह उस रास्ते पर नहीं चलेगा जिस पर स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन, स्टेट कोआपरेटिव वेलफेयर बोर्ड या स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चला। इसका क्या आपने बन्दोबस्त किया है ? अगर इस काम को जल्दी से करना है, तो यह रास्ता उसके लिये बताया गया है कि डेवलपमेंट टैक्स लगाया जाय, लेकिन वह तभी लगेगा जब कि डेवलपमेंट हो जायगा। होना यह चाहिये कि एक बड़ी पूंजी कारपोरेशन या बोर्ड के पास होनी चाहिये जिससे वह फौरन ही बहुत सारे मकान बनाकर खड़े कर दे, और तब टैक्स लगाया जाय लेकिन बोर्ड उस टैक्स से चलेगा, यह ऐसा ही है जैसे "पुटिन्ग दि कार्ट बिफोर दि हार्स"। घोड़े के आगे गाड़ी रख दी। यह गलत रास्ता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कोशिश यह करें कि एक बहुत बड़ी रकम इस परिषद् के पास हो ताकि फौरन ही काम को शुरू कर दिया जाय। इससे बहुत देर और दिक्कत होगी कि नामीनेटेड मेम्बर होंगे, कौन होगा, क्या होगा, यह सब डिटेल की बातें हैं। इनके लिये काम नहीं करना चाहिये। जरूरत तो मकानों की है। वे जल्दी बनने चाहियें।

दूसरी बात यह है कि किस प्रकार के मकान बनाये जावेंगे। देश में आज प्रथा नये डिजाइन के मकान बनाने की है जिसमें बहुत सारा सीमेंट और लोहा लगे। जब महाशय ख्रुश्चेव रूस में प्रधान मंत्री थे, उन्होने भारत के लोगों का बड़ा मजाक किया। उन्होंने कहा कि बहुत सी बेकाम की चीजों पर आवश्यक चीजों को लगा रहे हो, जो बाद में भी बन सकती हैं। एक बात मुझे याद आती है। जब पिछली लड़ाई हुई, सेकिन्ड वर्ल्ड वार, तो अमरीकन फौजें हिन्दुस्तान में रखी गई। दिल्ली के कंस्टीट्यूशन हाउस में कुछ अमरीकी रहते थे। उसमें ८०० या ५०० के रहने की जगह थी। कच्चे मकान और आदमी की लम्बाई से केवल २ फीट ऊंचे। लेकिन उतने ही आदमी और आ गये। हमारे देश की तरह अमरीका तो गरीब नहीं है। लेकिन उन्होंने फौरन दूसरे मकान नहीं बनाये बल्कि उन्होंने उन चारपाइयों को जो एक एक चारपाई एक-एक कमरे म थी, उनके सिरों में सूराख करके एक-एक और चारपाई उसमें फिट कर दी। तो आप भी इस चक्कर में न पड़ें कि बहुत से डिजाइन हों, बहुत सा सीमेंट और लोहा लगना चाहिये। दुनिया का सारा काम रोक कर मकान बनाये जावें तो वे भी बेकार हो जाते हैं। ऐसा होना चाहिये

कि क्वालिटी पर जोर न देकर क्वान्टिटी पर जोर दिया जाय। जिस मकान में मैं रहता हूं मेरे गांव म, वह मेरे बाबा ने कच्चा मकान बनवाया। उसे गिरवा कर मैंने दोबारा बनवाया तो इस तरह से वह कच्चा मकान भी २ पीढ़ी चला। इसलिये क्यों नहीं कच्चे मकान ही बनवाकर खड़े कर दिये जावें ताकि इस समय यह समस्या हल तो हो? जहां तक हरिजनों और देहात की आबादी का तालुल्क है, कोई जरूरत मकानों के बनवाने की नहीं है। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। यह इन्सान की कमजोरी है कि जितनी थोड़ी चीज होती है उतनी ही ज्यादा बेईमानी होती है। अगर आपने सीमेंट और लोहे से केवल १०, २० मकान बनाये तो वहां के कार्यकर्ता ने अपने साले को दे दिया, आप शिकायत करते फिरिये। इसलिये इसका इलाज केवल यही है आप इतने मकान बनाइये कि उनमें रिश्तेदार भी आ जावें और दूसरे सब लोग आ जावें। इसमें बेईमानी नहीं होगी और सबको मकान मिल जावेंगे, कोई शिकायत भी नहीं होगी कि साहब, अपने रिश्तेदार को दे दिया और हमें नहीं दिया। देहातों मे तो आप बजाय मकान बनाने के जमीन एक्वायर करके जमीन दे दें लोगों को। वे केवल जमीन चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी की इत्तिला के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ने ऐसा कायदा किया। दिक्कत हमारे एक्वायर करने की है। महाराष्ट्र में उन्होंने हर जिले में एक लैन्ड एक्वीजीशन अफसर मुकर्रर कर दिया हरिजनों के लिये। अर्जी दी और जमीन मिल जाती है। जहां आवश्यकता होती है, वह अफसर जाता है और कहता है कि गांव सभा या तो अपने आप जमीन ले ले वरना वह आर्डर कर देता है और जमीन मिल जाती है, जिस पर मकान बन जाता है। इस प्रकार से आपका पैसा भी बच जायगा और काम भी हो जायगा।

इसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन यह लुकमा आपके लिये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा लुकमा काट दिया कि न तो लुकमा ही मुंह में हिल सका और न मुंह ही हिल सका। इसलिये अच्छा यह है कि एक स्पेसिफिक आबजेक्ट, छोटी सी चीज सामने होनी चाहिये जिसकी पूर्ति करनी है। जितने साधन उसके लिये जरूरी हों, उन्हें मुहइया करो और फिर बोर्ड को कहो कि यह काम इतना तुम्हारा है और तुम्हारी कामयाबी और नाकामयाबी इस बात की पूर्ति पर निर्भर करती है। यह भी एक दिक्कत है कि कभी-कभी आप कह देते हैं, जब पूछा जाता है, कि यह कान्फीडेन्शयल मैटर है और आप जवाब नहीं देते हैं। जहां उनको अधिकार दे हो वहां काम की जिम्मेदारी भी उन पर चस्पां कर दो ताकि वह उससे छिप न सकें। विधेयक का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे ऐसा बनाने की चेष्टा होनी चाहिये कि जिससे इसके उद्देश्य की पूर्ति जल्दी और स्वयं हो जाय।

मैं ये चन्द बातें माननीय मंत्री जी के विचारार्थ रखता हूं।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जिन थोड़े शब्दों में इस बिल को विचारार्थ पेश किया है, वे सही मानी में इतने काफी नहीं है कि जिनसे सदन को इस बिल के बारे में पूरी जानकारी हो सके। बावजूद इसके कि यह बिल संयुक्त प्रवर समिति से लौट कर आया है यह कहना काफी नहीं होगा कि इसके उद्देश्य मंगलकारी हैं। ऐसा होते हुये भी अमंगलकारी कार्य हो जाते हैं। जैसा कि हमने प्रश्नों के द्वारा देखा है, मंगलकारी का नाम लेकर, उसकी आड़ में, अमंगलकारी कार्य किये गये हैं। किसानों की जरखेज जमीनों को जबरदस्ती, कानून की आड़ में, ले लिया गया है और अगर १ एकड़ की जरूरत थी तो १० एकड़ ले लिया गया है। वह भी सालों परती पड़ी रहीं, और आज भी पड़ी हुई हैं। गाजियाबाद और कानपुर के उदाहरण हमारे सामने हैं।

आज भी किसान वहां पर संघर्षरत है। मैं आपके जरिये मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार किसी बिल को लाये तो उसके पीछे मंशा उसकी यह होनी चाहिये कि वह उसको सही ढंग से कार्यान्वित करेगी। ऐसा न हो कि जरूरत की चीजों को गलत तरीके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशरी प्रसाद पांडेय]

से हड़प लिया जाय और उनका सही इस्तेमाल भी न हो । इस बिल के जरिये से शहरों को राहत पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है । सही बात है, शहरों को इसकी जरूरत है, लेकिन दुःख की बात यह है कि हर काम को सरकार शहरों ही की तरफ ले जाने की कोशिश करती है और देहातों की उतनी उपेक्षा करती है जितनी उसको नहीं करनी चाहिये । जनतंत्र के युग में, जहां देहात में करोड़ों लोग रहते हैं, जो कीड़े-मकोड़ों की तरह से रहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास आज भी रहने को कोई स्थान न होने से हर मौसम में पेड़ों के नीचे ही सोते हैं। सरकार उनके बारे में कुछ नहीं सोच पाती है । उसका कारण यह है कि देहात के लोग मुखर नहीं है, उनके पास कोई बड़ी लीडरशिप नहीं है जो आपके कानों तक उनकी आवाज को पहुंचा सके और शहरों के लोगों की बात इसलिये सहानुभूतिपूर्वक सुनी जाती है कि उनके पास साधन होते हैं और उन साधनों का वह उपयोग करते हैं और सरकार वह कार्य करने के लिये मजबूर हो जाती है । इसलिये जब कि सरकार शहरों के लिये राहत पहुंचाने का प्रयत्न कर रही है वहां देहात के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये एक दूसरा बिल लाना चाहिये । यह इतना अपूर्ण बिल है कि देहात के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नही कर सकता है । शहरों के बारे में सरकार के अब तक जो कारनामे रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस बिल के द्वारा शहरों का कितना कल्याण होगा, इसमें भी मुझे संदेह दिखाई देता है । कहीं यह बिल भी दूसरे ऐसे बिलों की तरह नाकारा ही साबित न हो ।

आज भी हम शहरों में देखते हैं और लखनऊ में ही जो इलाका पुराना लखनऊ कहलाता है वहां पर ऐसी सड़ी गलियां हैं जहां से निकलना मुशकिल है। वहां पर इंसान कीड़े-मकोड़ों की तरह से रहता है, लेकिन यह कल्याणकारी राज्य की हिमायती सरकार आज तक उनको मकान नहीं दे सकी, उनको स्वास्थ्य की जिन्दगी बसर करने का मौका नहीं दे सकी। स्वर्गीय जवाहरलाल जी जब कानपुर आये तो उन्होंने कानपुर के स्लम्स को देखकर कहा कि इनको जला देना चाहिये । एक देश का प्रधान मंत्री ऐसे जज्बात जाहिर करे और यह सरकार कानों में तेल डाल कर सोती रहे । क्या आपने इन स्लम्स को खत्म करने के लिये कोई विषेष योजना बनायी ?

माननीय फूलसिंह जी ने अभी कहा कि हरिजनों को मकान देने की आवश्यकता नहीं है । मैं उनसे इस मामले में एग्री नहीं करता । मेरा खयाल है कि हरिजनों को जितनी मकान और जमीन की जरूरत है उतनी कदाचित किसी को नहीं है । और ऐसे लोग जो हरिजनों में आते हैं जैसे मुसहर हैं, पसिया हैं, पटधार हैं जो नोमेड्स हैं, खाना बदोश हैं जिनके पास न जमीन है, न साधन हैं और न जिनकी ताकत है मकान खड़े करने की उनके लिये सरकार को चाहिये कि वह सस्ते मकान बनावे और हायर परचेज बेसिस पर उनसे लम्बी किस्तों में पैसा वसूल करे, लेकिन इधर तवज्जह करने के बजाय आप दूसरी तरफ ध्यान देते हैं । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दे और इन स्लम्स की सफाई करके उनके स्थान पर हरिजन के लिये नई बस्ती बनावे जिसमें इन्सान स्वच्छता के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सके । इस समय मुझे देहात की गन्दी बस्तियों की याद आती है, मंत्री जी को भी कभी मौका हो तो वह पूर्व के देहातों की गन्दी बस्ती में चले जायं, चमरौटी में जाकर वह देखें इस साल बावजूद इसके कि बरसात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको वहां गलियों में जाना मुशकिल हो जायगा, अगर बरसात हो जाती है तब तो शायद मंत्री जी वहां जा ही नहीं सकते । वह अन्दाजा नहीं लगा सकते कि किस गन्दे तरीके से वहां चमरौटी और पसियाने में लोग रहते हैं, जिनके बल पर सरकार यहां चुनकर आने का दावा करती है उनके ही रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है । १७-१८ साल के बाद भी यह सरकार उनके लिये कोई रहने का प्रबन्ध नहीं कर सकी । या तो आप इसी विधेयक में देहात के लिये व्यवस्था करें और यदि यह नहीं हो सकता तो आप या तो इस बिल की परिधि को बढ़ावें या वहां के लिये अलग से कोई व्यवस्था करें ताकि देहात के लोगों के लिये भी मकान की व्यवस्था हो सके । आप एक नये बिल के द्वारा देहाती इलाके के लिये एक मास्टर प्लान बनावें, इस तरह की छटपुट योजनाओं से काम नहीं चलेगा । आप इस विधेयक के

दों भाग कर दें, एक तो शहरी क्षेत्र के लिये दूसरा देहाती क्षेत्र के लिये । आप को देहात के लिये अधिक तवज्जह करना चाहिये, अगर आप देहाती जनता को नजरअन्दाज करेंगे तो आप का काम एक दिन नहीं चल सकता । देहात चाहे तो आप को ही उखाड़ देगा और उस समय आप का जनतन्त्र खतरे में पड़ जायगा । मुझे खुद भी बड़ा सन्देह था कि मंत्री जी ने जो यह बिल उपस्थित किया है वह किसी प्रकार से सक्षम होगा ।

माननीय फूलसिंह जी ने कहा कि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, देहात में किसानों को जमीन एक्वायर कर के दे दी जाय, ज्यादा खर्च न किया जाय सस्ते मकान, कच्चे ही बनाये जायं । मैं उन से सहमत नहीं हूं, कच्चे मकानों में माननीय फूलसिंह जी अब नहीं रहते, उन के बाप दादों नें कभी कच्चे मकान बनाये होंगे, लेकिन अब उन्होंने खुद महसूस किया कि कच्चे मकान उन की जरूरत के मुताबिक नहीं है और उनको अब पक्के मकानों में रहना चाहिये । इसी तरह से उन्होंने गांव के लोगों के बारे में भी सोचना चाहिये कि वह भी एक स्वच्छ और स्वस्थ जिन्दगी बसर कर सकें, वह भी इन्सान हैं, वह भी एक सुन्दर जिन्दगी बसर करना चाहते हैं, कच्चे मकान एकदम से बनाने से काम नहीं चलेगा । अगर बनें तो काम के रहने लायक मकान बनें, चाहे वे २ कमरे के हों, लेकिन वह स्वच्छ, स्वस्थ और सुन्दर रहने लायक मकान होने चाहिए । अगर कच्चे मकान उल्टे सीधे बन गये, जिनका कोई ड्रेनेज न हो, कोई सफाई, नाली, सड़क का प्रबंध न हो तो उससे हालत और खराब हो जायगी । कुछ फुलवारी वगैरा का प्रबंध हो स्वास्थ्य के लिए । अगर कच्चे बने और ५ वर्ष में खत्म हो गए तो उससे कोई लाभ न होगा और वह भी उसी हालत में हो जायेंगे जिस हालत में प्राइवेट स्लम्स हैं । फिर सरकार के पास कोई उत्तर न होगा कि इन सरकारी स्लम्स की हालत ऐसी क्यों है । तमाम विदेशी हमारे यहां आते हैं जो देहातों में जाते हैं, उनके बहुत से काम होते हैं, लेकिन जिस समय वह चमरौटी, पसियाना, मुसहरी और पटकार लोगों और दूसरे नामेड्स और खाना बदोश लोगों की बस्ती में जाते हैं और इन स्लम्स को देखते हैं तो वह कहते हैं कि अरबों और करोड़ों रुपया हिन्दुस्तान की सरकार इन क्षेत्रों के विकास के नाम पर लेती है पर रुपए का उपयोग कितना किया गया है । कोई इसका जवाब देना होगा क्योंकि जब आप मांगते हैं विकास के लिए तो इन अकिंचनों का नाम लेकर ही मांगते हैं । अतः अगर आप इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो दुनिया की नजरों में आप गिरेंगे और गिर रहे हैं । तो माननीय फूलसिंह जी ने इस बिल की क्षमता के लिए जो संदेह व्यक्त किया है मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें ।

दूसरी चीज, जहां तक काम काज के व्योरे की बात है यहां बताया गया कि मद्रास में एक ऐक्ट बना । यह भी बताया गया कि वहां पर नौकरशाही का बोल बाला है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मद्रास की सरकार किसी दूसरी पार्टी की सरकार है ? वह भी तो कांग्रेस की सरकार है जो इस प्रकार की भूल करती है । अगर वहां पर कांग्रेस सरकार नौकरशाही की गुलाम बन गयी है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकर भी नौकरशाही की गुलाम बने ? मेरी राय में इसके लिए आवश्यक यह है कि सार्वजनिक हित के काम जितने सार्वजनिक सहयोग से और सक्रिय होंगे उतने ही सफल होंगे । पहले घर की योजनाएं होती हैं, फिर देहात की योजनाएं होती हैं, फिर विकास क्षेत्र की, फिर जिले की योजनाएं, फिर प्रदेश की और फिर देश की योजनाएं होती हैं । इन सब को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ये सब जनता के सहयोग से ही चलायी जायं । आपने स्वयं माना है कि जितनी भी योजनाओं पर आपने हाथ लगाया वे कामयाब नहीं हुयीं । जिस समय लाल बहादुर शास्त्री गद्दी नशीन हुए, उन्होंने कहा था कि जो योजनायें हमने शुरू कर दी हैं, पहले उनको पूरा किया जाय और जो नयी योजनायें हों, उनको हाथ बचा कर लिया जाय । चूंकि इन योजनाओं को आप पूरा नहीं करते हैं, नयी योजनाओं के लिए आपके पास साधन नहीं हैं, कोई मापदण्ड नहीं जिनसे आप उन्हें पूरा कर सकें तो कैसे काम चलेगा । आपको जन सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है और वह इसलिए नहीं प्राप्त हो रहा है क्योंकि आप जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं और उनकी आवश्यकताओं

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

के अनुरूप योजनायें नहीं बना रहे हैं जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि जो भी योजना आपकी बने उसमें जनता का विश्वास अधिक से अधिक होना चाहिए। यह एक चेक होगा और इसकी ऐक्टीविटी ऐंडवाइजरी नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जो वे योजनायें बनायें उनमें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि वे ज्यादा जन सहयोग पर आधारित हों और जनता की आवश्यकताओं पर आधारित हों जिससे वे योजनायें उनके हितों के टकराव में न आएं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के इस कथन से कि इस परिषद् की आर्थिक क्षमता क्या होगी, ऐसा जाहिर होता है कि इस बिल में सरकार देहातों के मुकाबले में शहरों को ज्यादा प्रश्रय देना चाहती है। शहरों को १० करोड़ और ग्रामों को ५ करोड़ देना चाहती है। श्रीमन्, इस प्रदेश में ५१/२ लाख गांव हैं और उनके विकास का प्रश्न है।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

१० करोड़ नहीं, १० हजार करोड़।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

चलिये, यह भी मान लिया। केवल अनुपात का प्रश्न है।

तो मेरा मतलब यह है कि जहां १० हजार करोड़ आप शहरों पर खर्च करने की बात करते हैं वहां ५ हजार करोड़ रुपये देहात पर खर्च करने की बात करते हैं। इससे स्पष्ट है, जिसको आप इन्कार नहीं कर सकते कि देहात का महत्व आपकी जानकारी में कम है और शहर का ज्यादा है। और वह इसलिए है कि शहर के आदमी के पास ताकत है, वह जुलूस निकाल सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं, आपको मजबूर कर सकते हैं कि आप उनकी बातों को सुनें जब कि देहात के आदमी की बात आपके इन साधनों के अभाव में पहुंच नहीं सकती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि लैवी की बात को आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। आप अगर उन्हीं के खर्चे से और उनकी मर्जी के खिलाफ काम करेंगे और उसका नाम विकास देंगे तो यह अनर्थ होगा, मंगलकारी नहीं हो सकता है। म्युनिसिपैलिटीज में टैक्स लगा रहे हैं, भूमि भवन कर आपने लगा रखा है। लेकिन देखने में आता है कि जरूरतमन्द को मकान नहीं मिलता है। टैक्स की बात आप पहले सोचते हैं और मकान देने की बात बाद में सोचते हैं। यह स्थिति केवल शोषाशन की है जिसमें संभव है आपको लाभ हो, अन्यथा बात कुछ जचती नहीं है। इससे आपको लाभ होनेवाला नहीं है इनदी लांग रन। इसलिए आपको अब कर लगाने की बात कम से कम निकट भविष्य में नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन यदि आप हठधर्मी करते हैं तो यह स्थिति आपको आगे ले जाने वाली नहीं है। हां, अगर साधन सपन्न लोग हों, उन पर आप कर लगाइये क्योंकि जनतंत्रीय सरकार में कर के बगैर काम नहीं चलता। लेकिन अगर जनतंत्र के नाम पर किसानों पर, मजदूरों पर, डोमों पर, भंगी और मेहतर पर आप कर लगाना चाहते हैं और इस बात की उम्मीद दिलाएं कि तुमको हम मकान देंगे, यह स्थिति दयनीय है। शहर में भी वही स्थिति है जो देहातों में है। देहात में ज्यादा है और शहर में उससे कम है। ऐसे लोगों को आप कौन सी राहत देने जा रहे हैं जो वाकई में मकान की आवश्यकता में हैं? लखनऊ म्युनिसिपैलिटी की बात मैं जानता हूं। यहां जितने भी मकान बने हैं वे सारे मकान अपने भाई भतीजों को दिए हैं, अपनी पार्टी वालों को दिए गए हैं, जरूरतमन्द को मकान नहीं दिया गया है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें २, ३ साल तक कारपोरेशन में किराया नहीं दिया है, जब कि जरूरतमन्द लोग आज पटरियों पर सो कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि यही व्यवस्था आपको करनी है तो आपको मुबारक है। इससे जनता की जागृति नहीं हो सकेगी, उनका पोषण नहीं हो सकेगा और गरीब को राहत नहीं मिल सकेगी।

एक बात की ओर और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आप जब जमीन लें तो इस बात का खयाल रखें कि आस-पास में वह जमीन लें जो खेती के लायक न हो, मजबूरी हो तो बात दूसरी है। लेकिन वह मजबूरी अगर गरीबों के लिए है तो हम आपत्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री या महल बनाने के लिए जमीन लेनी है, उसको ले कर बिजनेस करना है तो हम निश्चित उसका विरोध करेंगे। खेती लायक जमीनें इस प्रकार लेकर देश की अन्न की पैदावार नहीं बढ़ सकती है और अमरीका तथा आस्ट्रेलिया के पीछे हाथ फैलाकर जो आप घूम रहे हैं यह आपकी सारी मजबूरियां और भी पामाल कर देंगी। इसलिए आप इसको निश्चित रूप से करें कि जब जमीन खाली हो, जब परती हो. खेती लायक न हो और मिल रही हो तो उस जमीन को प्राप्त करें। किसान की जरखेज जमीन को किसी भी हालत में न प्राप्त करें जब तक कि बड़ी मजबूरी न हो और वह भी राष्ट्रीय हित में मजबूरी न हो। जमीन प्राप्त करने के सिलसिले में मुझे यह भी निवेदन करना है कि आप जमीन का मुआवजा बाजार भाव के मुताबिक दें। आज भी आपके वही पुराने दकियानूसी कायदे कानून बने हुए हैं जिसकी वजह से जिस जमीन की कीमत २० हजार रु० है उसके लिए आप २०० रु० मुआवजा देते हैं। यह एक अजीब तमाशा है कि दुनिया इतना आगे चली गयी, महंगाई इतनी बढ़ गयी लेकिन किसान की जमीन जो आप उससे लेते हैं उसके लिए केवल २०० रु० मुआवजा देते हैं और अगर फिर उसी जमीन को आपको किसी को देना हुआ तो उसके लिए आप ५० हजार रु० लेते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि हमने डेवलेपमेंट किया है। आपने क्या डेवलपमेंट किया है? श्रीमन्, मैंने कानपुर में देखा है और लखनऊ में भी देखा है कि डेवलपमेंट के नाम पर सिवा इसके कि कुछ सड़कें खींच दी जाती हैं और कुछ नहीं होता है। सड़कें खींचने के अन्दर भी यह नहीं कि सीमेंट की सड़क हो या कंकड़ की सड़क हो, सिर्फ रास्ते बना दिए जाते हैं और सिवेज का सिस्टम बना दिया जाता है और आप कहते हैं कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया है। और इसी वजह से जो जमीन आप किसान से २०० रु० मुआवजा देकर लेते हैं उसी जमीन को २५ हजार रुपए में बेच देते हैं।

यह सरकार जनता की सरकार है जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाली सरकार है, कोई बनिए की सरकार नहीं है जो मुनाफाखोरी करे और ऐसी मुनाफाखोरी करे कि जिसके बाप दादों ने जमीन कमायी, उसकी जमीन उससे मुफ्त में लेकर किसी ऐसे आदमी को दे दें जिसका जमीन से कभी कोई सरोकार ही न रहा हो और उससे आप २० हजार रुपये ऐंठ लें। मैं तो कहता हूं कि आप बाजार भाव पर उचित मुआवजा देकर जमीन लें और ऐसा करें कि अनुत्पादक जमीन लें और जहां आप रास्ते के लिए उत्पादक जमीन लें उसके लिए किसान को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दें ताकि वह उस जमीन के पैसे से अपना पेशा जारी रख सके। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दायरे के अन्दर किसान है वहां उसकी जमीन १० बिस्वा या २ बीघे ही है और आपके जो कायदे कानून बने हुए हैं उसके अनुसार किसान आपको अपनी जमीन नहीं देता तो वह जमीन उससे छीन ली जाती है। मेरा कहना है कि आपके कायदे कानून बहुत पुराने हैं, उनको बदलिए। क्योंकि आज छोटे से छोटा आदमी जो पटवारी है, वह भी किसानों को परेशान करके उसे पामाल कर देता है। इसलिए आपको इस बात को सोचना चाहिए कि जिस किसान के पास २ बीघे जमीन है उसे लेकर आपने उसे ४०० रु० दे दिए तो उसके बाल-बच्चे भूखों मर जायेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि जब किसानों से जमीन लें तो उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको पुनर्वासन अनुदान देना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वह अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ले कि वह किसी लाभप्रद पेशे में लग जाय अन्यथा उनका जिन्दा रहना ही मुश्किल हो जायगा। क्योंकि जब आप जमीन ले लेते हैं तो भगवान ही उनकी रक्षा कर सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस बिल के दो भाग करें, एक शहरी इलाके का और एक देहाती इलाके का। यदि यह परिवर्तन न कर सकें तो एक नया बिल लावें। दूसरी चीज यह कि आप एक मास्टर प्लान बनावें जहां इंजीनियर हो

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

या कोई भी हो, सब मिल कर ठीक ढंग से अपनी जिंदगी बसर कर सकें। तीसरी बात यह है कि आप इसमें जनता का सहयोग प्राप्त करें। जनता की जरूरतों के मुताबिक ही आपकी योजना होनी चाहिए। चौथी बात यह कि किसानों को उचित बाजार भाव के रेट से मुआवजा दिया जाय। पांचवीं बात यह कि किसानों की जरखेज जमीन किसी भी हालत में न ली जाय, जब तक कि परती, ऊसर और नाकाबिल जमीन मिले। यदि ली जाय तो किसी राष्ट्रीय हित में ली जाय अन्यथा जमीन न ली जाय।

आखिरी बात कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जितनी ज्यादा आप जनतांत्रिक प्रणाली बना सकेंगे, जितनी ज्यादा आप गरीबों और मजदूरों के हित की बात कर सकेंगे उतना ही आपका हित होगा और इस बिल के लिए भी सब का समर्थन प्राप्त होगा।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)---

अधिष्ठाता महोदय, जिस समय मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया उस समय बहुत सी अच्छाइयां बतलाईं। मैं उस समय सोच रहा था शायद माननीय मंत्री जी वस्तुस्थिति पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आज की वस्तुस्थिति यह है कि वैसे तो उत्तर प्रदेश बहुत सी बातों में भारतवर्ष की दूसरी स्टेट्स से पिछड़ा हुआ है लेकिन इस आवास व्यवस्था में तो हमारा प्रदेश बहुत ही पीछे है और इतना पीछे है कि उसको देख कर मुझे शर्म आती है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में आवास व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश के लिए ९२० लाख रुपए का प्राविधान किया गया था जिसमें पहले ३ वर्षों में केवल ३८ प्रतिशत व्यय किया गया। अब जब बहुत आयोजना आयोग से कहा गया तो चौथे चरण के लिए ८५ लाख रुपए का अलग से प्राविधान किया गया है।

श्री विजयसिंह---

कोरम नहीं है।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

अधिष्ठाता महोदय, आप कृपया सरकार को चेतावनी दीजिये कि वह कोरम बनाये रखे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

अधिष्ठाता महोदय, हमारी कोरम बनाये रखने की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन, श्रीमन्; उनसे भी कहा जाय जो गैर-जिम्मेदार हैं वे कोरम पूरा रखें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपत्ति है। उन्होंने गैर जिम्मेदार कहा है।

श्री अधिष्ठाता---

उन्हें गैर जिम्मेदार नहीं कहना चाहिये। आप कृपया बैठ जाइये। कोरम बनाये रखने की दोनों की जिम्मेदारी है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री कन्हैयालाल---

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारा प्रदेश इस दिशा में कितना पीछे है। जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों के लिये ९२० रुपये का प्राविधान होते हुए केवल

३८ प्रतिशत यानी २२५ लाख रुपया ही इस्तेमाल हो सका उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये २२५ लाख रुपये का प्राविधान था, लेकिन अब तक केवल २२ लाख रुपया ही खर्च हो सका। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार की तरफ से इस ओर जनता का उत्साह नहीं बढ़ाया गया है। अभी हमारा स्टेट कोआपरेटिव बैंक गृह, निर्माण के लिये रुपये उधार दिया करता था रिजर्व बैंक ने परिषद् बनाने के लिये बहुत दिन पहले कहा था लेकिन हमारी सरकार उसको स्थापित न कर सकी जिसका नतीजा यह हुआ कि रिजर्व बैंक ने कोआपरेटिव बैंक को रुपया एडवांस करने से मना कर दिया। हमारे मंत्री जी ने गवर्नमेंट के कहने से थोड़ी सी बात नागरिक क्षेत्र में रुपया देने की कही। लेकिन वह भी मिडिल क्लास इन्कम ग्रुप और अपर क्लास इन्कम ग्रुप को ही दिया और लोअर इन्कम ग्रुप को कतई रुपया नहीं दिया। वह भी केवल पांच बड़े शहरों में रखा गया। उसका नजीजा यह है कि इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आयीं।

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, इसका सबसे बड़ा कारण जमीन का न मिलना है। जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो इसमें भी जमीन हस्तगत करने का कोई प्राविधान नहीं है जिससे मुझे डर है कि यह बिल प्रभावकारी नहीं हो पायेगा। भूमि नहीं मिलेगी तो मकान किस पर बनेंगे? माननीय मंत्री ने स्वायत्त शासन मंत्रियों के सम्मेलन की बात कही। उसी सम्मेलन की बात कही। उसी सम्मेलन में एक ठक्कर कमेटी मुकर्रर की गयी थी यह मालूम करने के लिये कि किस कारण इस ओर प्रगति कम हुई है और क्या-क्या प्राविधान किये जायें जिससे प्रगति ज्यादा हो। उसने भी सिफारिश की सबसे पहले भूमि को अधिग्रहण करने का काम है। इस ओर हर स्टेट को विभाग खोलना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई एप्लीकेशन आती है, उसको फौरन कब्जा दिला देना चाहिये और कम्पेनसेशन की बात भी तय हो जानी चाहिये, ताकि मकान बनते रहें। हमारे कर्मचारी और अधिकारी इस ओर बिलकुल अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं। मथुरा में हरिजनों ने एक कृष्णकुंड हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी। उसने सवा दो एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की दरख्वास्त दी। कहने में लज्जा आती है साढे तीन वर्ष उसकी फाइल लखनऊ में पड़े हुए हो गये। एक साल एल० एस० जी० डी० में पड़े हो गया और एक साल कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में पड़े हुए हो गया। लेकिन उस सोसाइटी को भूमि नहीं दिला पाये। यह कारण है जिसके कारण आवास व्यवस्था में कमी हो रही है। जैसा माननीय केशरी पांडेय ने कहा हर जगह स्लम्स नजर आ रहे हैं। इस बिल में ऐसा प्राविधान किया जाय ताकि भूमि अधिग्रहण के रास्ते में जो कंटक हैं, वह साफ हो सकें और जो सोसाइटियां मकान बनाना चाहें उनको हर प्रकार की भूमि अधिग्रहण करने की सुविधाएं प्रदान की जायं। अगर यह बात हो जाय तो यह बिल अधिक प्रभावकारी होगा।

एक बात इस बिल में मकान बना कर एलाट करने की है। इस संबंध में मेरा अनुभव है कि जो मकान सरकारी एजेंसियों द्वारा बनते हैं, वह पी०डब्लू० डी० द्वारा बनाये जाते हैं और पी० डब्लू० डी० का जो रवैया है वह सर्वविदित है और पिछले दो वर्षों से और भी ज्यादा बढ़ गया है, ४५ प्रतिशत लागत में से बाहर जाता है। ५५ प्रतिशत लागत में मकान बनता है। यह तब जबकि सही बिल बने, अगर बोगस बिल बने तो सेंट परसेंट रुपया बाहर जाता है। तो हमारे अर्ज करने का मतलब यह है कि यदि यह मकान सरकारी एजेंसियों के द्वारा न निर्माण कराकर उन्हीं लोगों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्माण कराये जायं तो बहुत ही अच्छा होगा। सरकार को लोगों को अपने इन्तजाम में ही मकान बनवाने के लिये उत्साहित करना चाहिये। हमारी जनता को रुपया मिले और उसे मकान बनाने के लिये जमीन मिले, वह अपना मकान स्वयं बनवा लेगी। जनता यह नहीं चाहती है कि उसे मकान बना बनाया मिले। यह अवश्य है कि आप उनके मकानों का नक्शा पास कर दें, जैसा कि हवादार, आधुनिक डिजाइन और स्वस्थ्य

[श्री कन्हैयालाल]

मकान आप चाहते हों, उस दृष्टि से आप नक्शे पास कर दें, और फिर मकान बनवाने का काम आप उन्हीं पर छोड़ दें। यदि मकान वे लोग बनवायेंगे जिन्हें उसे स्वयं इस्तेमाल करना है तो वे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बनवायेंगे तथा सस्ते और अच्छे बनवायेंगे।

धारा १७ में मकान के एलाट करने के बारे में दिया गया है, जिसमें लिखा है "किसी भी वर्ग के (निवासियों के) व्यक्तियों के लिये निवास स्थान की व्यवस्था का एलाट करना।" इसमें मेरा निवेदन है कि इसमें इतना और जोड़ दिया जाये कि "उन मकानों में, एलाट करने में हरिजनों को विशेष सुविधा प्रदान की जाये।" अभी मैं यहां नहीं था। माननीय फूलसिंह जी शायद कह रहे थे कि हरिजनों के लिये मकानों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर मकानों की आवश्यकता किसी वर्ग को है तो वह हरिजनों को ही सबसे अधिक है। जहां कहीं भी आप गंदगी पायेंगे, जहां कहीं भी आपको स्लम्स मिलेंगे वह हरिजनों का ही इलाका होगा। इसलिये यदि कहीं व्यवस्था मकान बनवाने के लिये करनी है तो वह हरिजनों के लिये करनी है। यह योजना ज्यादा प्रभावशाली होती यदि यह गरीब मजदूरों और हरिजनों के लिये ही केवल होती। किन्तु यदि इतना नहीं हो सकता तो इतना तो अवश्य होना चाहिये कि मकान और जमीन के एलाटमेंट में विशेष सुविधा हरिजनों और श्रमिकों को ही दी जानी चाहिये।

एक बात हमारे विरोधी दल की तरफ से कही गयी कि यह जो आवास एवं विकास परिषद् बन रही है, उसमें नान-आफिशियल मेम्बर कम हैं और आफिशियल मेम्बर ज्यादा है, श्रीमन् इसके विषय में मेरा एक निवेदन है कि इसमें नान-आफिशियल मेम्बर कम ही होने चाहिये और आफिशियल मेम्बर अधिक होने चाहिये। मद्रास का जो उदाहरण दिया गया है, वह बिलकुल ठीक है। मद्रास में आफिशियल मेम्बर अधिक हैं, इसलिये अधिक काम वहां पर हो रहा है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं २० साल म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर रहा हूं। बोर्ड के बहुत से बाइलाज होते हैं, उनमें से एक बाईला यह रहता है कि जो नये मकान अब बनाये जायें वह ४ फुट जमीन छोड़कर पीछे हट कर बनाये जायेंगे। किन्तु अनुभव से देखा यह गया है कि जो हम लोग वहां पर चुने हुए पहुंचते हैं तो हम सब अपने अपने वार्ड के हित की बात सोचते हैं। एक मेम्बर कहता है कि हमारे वार्ड के मकान को बाईलाज के विपरीत परमीशन दे दो, दूसरे वार्ड का मेम्बर कह देता है कि इसे परमीशन दे दीजिये। तो नान-आफिशियल की जहां बहुतायत होती है वहां वहां हमें दबना पड़ता है और सही काम नहीं हो पाता है। आफिशियल मेम्बर जहां ज्यादा होते हैं, वहां आपसी प्रभाव ज्यादा नहीं होता है और काम बिना विघ्न-बाधा के सुचारु रूप से चलता है। इसमें नान-आफिशियल कम हैं यह उचित ही है, इससे कुछ काम होने को हैं। दूसरे जो यह तर्क उपस्थिति किया गया है, उन्हें यह मालूम होना चाहिये कि आवास विकास परिषद् का काम केवल मकान बनाना नहीं होगा बल्कि मकान गिराना भी होगा। जिस वक्त मकान गिराने की बात होगी उस वक्त नान-आफिशियल मेम्बर के ऊपर कितना दबाव पड़ेगा, वह किस प्रकार मजबूर हो जायेंगे। इसलिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि नान-आफिशियल मेम्बर इसमें कम हैं और आफिशियल ज्यादा हैं। वह बिलकुल ठीक है, इससे काम अधिक और ठीक होने की आशा है, ऐसा मेरा विचार है। श्रीमन्, इसी प्रकार से जो छोटी यूनिट्स बनेंगी उनको सलाहकार बाडी रखा गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, कोरम फिर नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कन्हैया लाल---

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि छोटी यूनिटों को सलाहकार बाडी रखने का प्राविधान प्रस्तुत विधेयक में किया गया है। इसका विरोध करते हुए यह कहा गया है कि इसको

एक्जीक्यूटिव पावर्स भी देनी चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि अगर इन छोटी यूनिटों को भी एक्जीक्यूटिव पावर्स दे दी गयी तो कुछ बनने का नहीं, कोई मकान बनेगा नहीं, न कोई मकान गिराये जायेंगे । इसलिये उसका सलाहकार बाडी ही रखा जाना उचित है और वह रखा जाय ।

अन्त में मैं निवेदन कर दूं कि माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी ने लेवी के विषय में कहा कि वह कईं नहीं होना चाहिये । उन्होंने कहा कि उनके ही पैसे से उनकी मर्जी के खिलाफ काम होगा तो जनतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ होगा । यदि लेवी नहीं होगी तो काम कैसे होगा, वह मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, मंत्री जी चले गये, कोरम फिर नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी ।)

श्री प्रेमसिंह—

एक प्वाइंट आफ आर्डर है श्रीमन् । ११ बजे खा कर आया जा सकता है । यह १ से ढाई बजे के बीच खाने का समय समझ में नहीं आता ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रेम सिंह जी की समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत से लोगों की समझ में आता है । कुछ लोग तो १ और २ के बीच भी खाना खाते हैं ।

श्री प्रेमसिंह—

हम तो श्रीमन्, ११ बजे खाकर आते हैं, १ से ढाई बजे तक खाने का समय भारतीय नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत से लोग अंग्रेज बन गये हैं । (हंसी)

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों से एक निवेदन है कि वे आकर फौरन न चले जायं नहीं तो फिर घंटी बजेगी । इसलिये कोरम को कायम रखें और हाउस का काम चलने दें ।

श्री कन्हैयालाल—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं लेवी के संबंध में कह रहा था । यदि लेवी का प्राविधान इस विधेयक में न रखा जाय तो इस विधेयक का मतलब ही नहीं रहेगा । इसलिये लेवी लगाना बहुत आवश्यक है । यह उनके हित में है और उनके हित में काम करने के लिये आवश्यक है । हमारे भाई यह भूल जाते हैं कि डाक्टर जो दवा देता है उसका वह पैसा लेता है, लेकिन फिर भी कड़वी दवा देता है और उसका प्रयोग करते हैं । इसी तरीके से मलिन बस्ती की बात है । उनके आसपास लेवी लगाना जरूरी है । उनके उसी लेवी के पैसे से उनकी मलिन बस्तियों को गिराया जायगा । उस पैसे से उनके मकान बनेंगे और तब इस बिल का मन्शा पूरा होगा । लेवी को न लगाने की बात वही करते हैं जो उनके हित को नहीं चाहते हैं और उनकी मदद नहीं करना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री ऊदल—

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश और देश में जो आवास की समस्या है उससे सभी लोग परिचित हैं और पूरा देश उससे परिचित है । जहां तक इस विधेयक का सवाल है

[श्री ऊदल]

इससे वह आवास की समस्या हल नहीं होती है । दूसरी बात मैं यह निवेदन करूं कि जो मलिन बस्ती सुधार की योजना यहां से पहले पास की गई और लागू किया गया उस पर सरकार की ओर से कुछ रुपया रखा गया और उस योजना को सरकार ने लागू किया । आवास योजना के संबंध में भारत सरकार ने करोड़ों रुपया दिया । इन पिछले ५,७ सालों में कई करोड़ रुपया वहां से मिला और उस रुपये में से कितना रुपया इस्तेमाल हुआ और कितना नहीं, यह भी सब लोग जानते हैं । जहां तक मुझे जानकारी है, २५, ३० फीसदी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी के विभाग ने नगर महापालिका, पालिका, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के अन्दर आवास की समस्या को हल करने के लिये रुपया दिया । मेरा अनुमान है कि करोड़ों रुपया इस विभाग ने छोटे कर्मचारियों के आवास के लिये, मजदूरों के आवास के लिए, दूसरे लोगों के आवास के लिए दिया और इस समस्या को हल करने के लिये प्रयत्न किया, किन्तु माननीय मंत्री जी ने पिछली बातों के ऊपर प्रकाश नहीं डाला कि वह आगे के लिये किन नतीजों के आधार पर इस तरह की परिषद् बनाने जा रहे हैं । इसके साथ-साथ आपको जानकारी होगी कि रिजर्व बैंक ने सरकार की गलती की वजह से और गैर जिम्मेदार तरीके से जो काम आवास योजना के सिलसिले में किया गया उसके लिये कदम उठाया । आवास के संबंध में अनियमित ढंग से जिस तरह से देश में और प्रदेश में काम किया गया उसमें लाखों और करोड़ों रुपया फरजी तरीके से लोगों ने लिया । लोगों ने गलत नाम वेकर रुपया लिया । इसको माननीय मंत्री जी जानते हैं । नगर महापालिका, वाराणसी में ४१ मामले सी० आई०डी० वालों के यहां जांच में हैं, जिन लोगों ने गलत ढंग से बहुत रुपया लिया न तो उनका पता है कि वे कहां के रहने वाले हैं । जब इस तरह से अनियमित ढंग से लोगों ने रुपया लिया और बांटा गया तो रिजर्व बैंक ने उसको रोक दिया । आपके विभाग ने जो अभी तक रुपया दिया और खर्च किया वह भी अनियमित ढंग से किया । जिस ढंग से उसको खर्च करना चाहिये था उस ढंग से उसको खर्च नहीं किया गया ।

श्री प्रेमसिंह—

श्रीमन्, कोरम फिर नहीं है ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

श्रीमन्, बैठक का समय बदला जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

२ बजे तक कोरम का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन उस के बाद तो कोरम होना ही चाहिये ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री ऊदल—

माननीय, मैं आप से निवेदन कर रहा था कि यह जो सारी दिक्कतें पैदा हुईं और उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने दखल दिया । करोड़ों रुपया पाने के बाद भी हमारी सरकार ने उसका सदुपयोग नहीं किया, बल्कि दुरुपयोग किया और मेरा अनुमान तो यह है कि उसमें काफी रुपया लैप्स हो गया और यह आवास योजना खटाई में पड़ गयी । कई लाख रुपया फैजाबाद म्युनिसिपैलिटी को दिया गया था और वह रुपया ज्यों का त्यों पिछले वर्ष तक रखा रहा, खर्च नहीं हुआ ।

अब एक दूसरा सवाल पैदा होता है । आवास योजना में सरकार काम करती है । पहले बड़े-बड़े शहरों में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कायम किये जाते हैं और सरकार के अधिकारी नाजायज तरीके से बिना जमीन एक्वायर किये हुए ही लोगों की जमीन ले लेते हैं और उन को आवास विहीन बना देते हैं । बनारस में बड़े पैमाने पर यही हुआ, भेलूपुर में हुआ और कई जगहों

पर हुआ और फिर उस जमीन को बेचने का सवाल आता है । आप इस विधेयक के अध्याय २ का सेक्शन तीन देखें, लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ तथा लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, १९१४ और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के प्रयोजनों के लिये परिषद् को स्थानीय प्राधिकरण समझा जायगा । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि १८९४ का जो लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट है वह आज के हालात में कहां तक ठीक बैठता है । अगर आप इसे समझा दें तो मैं समझता हूं कि आप को अख्तियार है कि आप गरीबों की जमीन लें और उस अनुपात से आप मुआवजा दें । यह सरकार कहने से नहीं मानती है ।

मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य और सरकार के मंत्रिगण यह आरोप विरोधी पार्टियों के ऊपर लगाते हैं कि यह जनता को बरगलाती हैं, उत्तेजित करती है, आन्दोलित करती है । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर १८९४ के ऐक्ट को लागू करते हैं और किसानों की हजारों एकड़ जमीन लेना चाहते हैं और उसको २०० रुपया एकड़ कीमत देना चाहते हैं जब कि आज बाजार दर ५–६ हजार रुपया एकड़ है तो क्या आप यह न्यायसंगत काम कर रहे हैं ? या विरोधी दल के लोग कर रहे हैं जो बाजार दर से मुआवजा दिलवाना चाहते हैं ? गाजियाबाद में माननीय मंत्री जी के विभाग ने हजारों एकड़ जमीन ली । कुछ किसानों को बसाने की बात कही गयी थी, लेकिन पूरी नहीं हुई और जब हजारों किसान बाल-बच्चों सहित जवाहरलाल जी के पास पहुंचे और उन्होंने दखल दिया तो इस सरकार को कुछ अक्ल आयी और अब जाकर बाजार दर पे मुआवजे का संशोधन किया है । हरिद्वार में जमीन ली जा रही हैं । ओबरा डैम के लिए ५ हजार एकड़ जमीन ली जा रही है । मैंने प्रश्न किया था, तो माननीय शाँतिप्रपन्न जी ने कहा कि गलती हो गयी है, हम उसको सुधार रहे हैं और उनको बाजार दर से मुआवजा देंगे । रावर्ट्सगंज गड़वा रेलवे लाइन के संबंध में जब जमीन ली गयी तो बिहार और मध्य प्रदेश की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ३ हजार रुपया एकड़ के हिसाब से मुआवजा लिया और किसानों को दिया, लेकिन इस सरकार ने २५ रुपया एकड़ दिया । इस तरह काम चलने वाला नहीं है । यह बहुत ही विचारणीय मामला है । ८–१० वर्षों से बराबर यह मांग होती रही है कि इस लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट को संशोधित किया जाय या नया ऐक्ट एक्वायर करने के लिये बनाया जाय । एक कमेटी बैठी है जिसके चेयरमैन राजस्व मंत्री हैं, उनको मालूम होगा । ३–४ वर्षों से उसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई । आप चाहते हैं कि आवास की समस्या हल हो और किसानों को डेढ़ सौ, दो सौ रुपया एकड़ पर शहर के पास की जमीन भी मिल जाय तो यह दोनों चीज साथ-साथ चलने वाली नहीं है ।

जब यह बिल प्रवर समिति में गया था तो हमें आशा थी कि अच्छा संशोधन कुछ इसमें होगा, लेकिन हमारी आशा जरा भी पूरी नहीं हुई । दूसरे, आवास के लिए हमारे यहां कोई प्लानिंग नहीं है । सरकार ने एक टाउन प्लानिंग विभाग खोल दिया, टाउन प्लानर को नियुक्त कर दिया, मगर टाउन प्लानिंग क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है । कानपुर में हजारों मकान बने हुए हैं श्रमिकों के लिए जो सौ रुपये से नीचे या कुछ ऊपर पाते हैं, उनके लिए बनाये गये थे । किराया बहुत ज्यादा रख दिया और उनको दूर बना दिया । उसका नतीजा यह है कि एक भी आदमी नहीं जाता, दूसरे ज्यादा रुपये पाने वाले लोग और प्राइवेट लोग उसमें रहते हैं । कोई प्लानिंग नहीं है । और प्राइवेट लोगों को मकान बनाने के लिये पूरी छूट है । वह एक मंजिला और १० एकड़ जगह घेर कर मकान बना लेते हैं और शहर के किनारे, यह भी कोई प्लानिंग है ?

जिस तरह की टाउन प्लानिंग और आवास की आपकी योजना है वह सब निकम्मी साबित होगी और यह विधेयक रद्दी की टोकरी में चला जायेगा । हमारे यहां खाने की समस्या भी बड़ी जटिल है । शहरों के किनारे की जमीन बहुत तेज होती है । अगर एक मंजिला मकान बनाकर आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं, तो वह हल होने वाली नहीं है । उससे खाने का संकट भी हल होने वाला नहीं है । वह और बढ़ेगा ही । इसलिये आपको बहुत गम्भीरता के साथ इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये । बम्बई में दो मंजिलें और तीन

[श्री ऊदल]
मंजिले मकान मैंने देखे हैं। वह भी गनीमत है, लेकिन कानपुर में आपने कहीं एक मंजिल के, कहीं २ मंजिल के मकान बनाये हैं। अगर इस समस्या को आपको हल करना है तो ३ बातों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। एक तो यह कि जो जमीन आप लें उसका बाजार भाव से मुआवजा दें, दूसरा, यह कि जो मकान बने उसकी प्लानिंग ठीक से हो, तीसरे यह कि वह ५–६ मंजिल के हों। जब तक आप ५–६ मंजिल के मकान नहीं बनायेंगे यह समस्या हल नहीं होगी। मैंने तो दुनिया के और भी मुल्कों में ६० मंजिले मकानों को देखा है। आप अपने यहां ६–७ मंजिल तक के मकान तो बना ही सकते हैं। उसमें आप २–३ कमरों के साथ किचन और बाथ रूम बनायें। जो किराये पर लेना चाहे उसे किराये पर दें, जो उसको खरीदना चाहें उसके हाथ आप उस मकान को बेच दें। तभी आपकी इस समस्या हल होगी।

मान्यवर, मैंने इस विधेयक को देखा, १२ अध्याय इस विधेयक के अन्दर हैं, और उसमें ९६ खंड हैं। इन सब से आपकी आवास की जो समस्या है और जिसे आप इसके द्वारा हल करना चाहते हैं वह कदापि हल होने वाली नहीं है। माननीय राजस्व मंत्री जी भी सामने बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे इतना तो अवश्य करें कि जो मुआवजा दिया जाय, वह बाजार भाव से दिया जाय। आवास की समस्या अगर आप हल करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है।

दूसरी बात इसमें मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो लम्बा चौड़ा विधेयक बनाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य मुख्य जो बातें हैं वे सिर्फ गांवों और शहरों में मकानों की समस्यायें हैं। यह समस्या पूरे देश की है। बीस साल में भी यह समस्या इस तरह से हल होने वाली नहीं है। आज के सीमित साधनों में आप यह कर सकते हैं कि कन्ट्रोल करने के बाद सरकार को एक एजेन्सी बनाने के बाद ही इस समस्या का समाधान करना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी जिन कठिनाइयों को सामने कर के यह विधेयक ले आये या रिजर्व बैन्क के कहने पर ले आये या जो रुपया खर्च न हो सका उसकी वजह से ले आये, लेकिन वह समाधान उसका नहीं रहा। वह समस्या सुलझती नहीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि मंत्री जी पुनः विचार करें, अगर वे चाहते हैं कि आवास व्यवस्था ठीक तरह से हल हो। मुझे उम्मीद है कि जो दो तीन बड़ी दिक्कतें सामने आयेंगी उनकी तरफ भी आपका ध्यान जायेगा। मलिन बस्ती के सुधारने के लिये एक कानून भी बनाया है आज से २–३ साल पहिले। वह ठीक से लागू नहीं हुआ। उसमें भी एक कमी थी। जिन लोगों को उन मलिन बस्तियों से हटाया जायेगा, उन लोगों को बसाने के लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है उसमें। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मलिन बस्तियों के नाम से जिन लोगों को उजाड़ा जावेगा उनको बसाने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं? इस जिम्मेदारी को आपको वहन करना पड़ेगा। आपने ऐसा प्राविधान कर लिया है कि सरकार पूरी-पूरी बच जाती है। सरकार जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहती है पर उनको उजाड़कर बेघरबार कर देना चाहती है। मैं चाहता हूं कि इसमें मलिन बस्ती सुधार योजना भी निहित है और जो अब तक नगर महापालिकायें या नगरपालिकायें करती रहीं, उसका प्राविधान इस विधेयक में निहित है। इसलिये इस पर गंभीरता पूर्वक सोचने की आवश्यकता है। इससे किसी को कठिनाई न हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सब बातों पर सहानुभूति पूर्वक सोचेंगे और विचार करेंगे और जो दिक्कतें समाज और जनता के सामने हों उनको दूर करने की कृपा करेंगे।

*श्री कृष्णानन्दराय––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने पड़ौसी माननीय ऊदल जी का बड़ा आदर करता हूं और श्रीमन्, उन्हीं के भाषण से मुझे कुछ प्रेरणा प्राप्त हुई कि मैं इस विधेयक के संबंध में कुछ निवेदन करूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था कि माननीय ऊदल जी जिन चीजों का आरोप माननीय मंत्री जी पर लगा रहे हैं वही आरोप हैं जिनकी वजह से यह विधेयक इस सदन के सम्मुख सम्भवतः माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि रिजर्व बैंक में जो सुविधायें प्रदान की थीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका भी उपयोग नहीं किया आवास के निर्माण करने में। एक मित्र यह भी कह रहे थे कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो भी रुपया अधिकृत हुआ नगरों में आवास बनाने के लिये उसका भी उपयोग यह सरकार न कर सकी और आज भी हमारे प्रदेश के नगरों में आवास की समस्या जो है वह बहुत ही गंभीर है। तो जो सरकार इतनी निकम्मी है और इतनी अकर्मण्य साबित हुई है आज उसको क्या जरूरत पड़ गई कि इस विधेयक को इस सदन के सामने पेश किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति यही है कि चूंकि किन्हीं कारणों से सरकार पंचवर्षीय योजनाओं में आवास के लिये स्वीकृत धन से भी नगरों में आवास व्यवस्था न कर सकी और उसका जो ध्येय था मलिन बस्तियों का सुधार करने का तथा नगरों आवास की समुचित व्यवस्था सुलभ करने का, सरकार उसमें सफल न हो सकी। अतः में माननीय मंत्री जी ने यह महसूस किया कि ऐसा विधेयक लाया जाय जिससे कि ऐसी एक मशीन का निर्माण किया जा सके जिससे कि इस समस्या का कुछ हल निकाला जा सके और संभवतः यही कारण है कि उद्देश्य और कारण में भी माननीय मंत्री जी ने दिखाया है कि जो भी अब तक की व्यवस्था थी इस प्रदेश में, चाहे वह म्युनिसिपैलिटीज को पावर थी, या महापालिकाओं को पावर थी, या इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट आदि को अधिकार दिया गया था, नाना प्रकार की संस्थाओं के जिम्मे जो यह अधिकार दिये गए थे उनमें कोई कोआर्डिनेशन नहीं था, उनमें कार्य करने की कोई क्षमता नहीं थी और वह इस कार्य को गंभीरतापूर्वक न ले सकीं, लिहाजा इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी ताकि एक ऐसा आवास परिषद् का निर्माण किया जा सके जो इन कार्यों को अधिक सुचारु रूप से चला सके। ऐसी हालत में माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं कि जो इस सरकार का सदैव से उद्देश्य रहा है और इसके नेता सदैव जिस बात की घोषणा करते रहे हैं कि वह चाहते हैं कि नगरों में जो मलिन बस्तियां हैं, जो कि एक दुर्दशाग्रस्त और विषम आवास में लोग पड़े हुए हैं उसको ठीक किया जाय, उसके ऊपर कुछ अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाय, उस तरफ माननीय मंत्री जी ने कदम उठाया है। माननीय फूलसिंह जी कह रहे थे कि जीवन की पांच आवश्यक वस्तुओं में आवास भी एक है और उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान गया है। मैं तो यह कहूंगा कि पांच को छोड़ दीजिये, तीन आवश्यकतायें जीवन की प्रमुख हैं, उन तीन आवश्यक वस्तुओं में भोजन, कपड़ा और तीसरे नम्बर पर आवास क व्यवस्था आती है और मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने आरम्भ में ही इस बात को स्वीकार किया है उद्देश्य और कारण में ही कि इनकी सरकार इस बात में बिलकुल असफल हुई है। नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या के रहने की समस्या को हल करने के लिये जितना काम किया जाना चाहिये था वह नहीं किया जा सका है। मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी ने जो आवास परिषद् बनाया है वह सम्भवतः इस समस्या की तरफ ध्यान दे सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस परिषद् की उन्होंने स्थापना की है और जिस गंभीर समस्या का समाधान वह चाहते हैं सम्भवतः उस परिषद् को जो अधिकार दिये गए हैं, कृत्य या कार्यकलाप दिये गए हैं, इस विधेयक में, वह परिषद् शायद इनको कर पायेगी या नहीं या करेगी भी या नहीं, इसमें थोड़ा सा संशय इस विधेयक को पढ़ने से उत्पन्न होता है। आप इसको पढ़ें; मैंने एक सरसरी निगाह से इसको पढ़ने की कोशिश की, शुरू से आखीर तक यह दिया है कि यदि परिषद् इस प्रकार की आवश्यकता समझे, यदि परिषद् समझे कि किसी क्षेत्र में आवास की समस्या है, यदि परिषद् को स्वतः प्रेरणा प्राप्त हो या कोई उससे मांग करे कि इस क्षेत्र की मलिन बस्तियों का सुधार करना है तो वह यह काम कर सकती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि परिषद्

[श्री कृष्णानन्द राय]

किसी काम को भी अपने हाथ में न ले, किसी तरह से वह अनुभव करे ही न, या कोई उससे मांग न करे या मांग करे भी तो परिषद् स्वयं न सोचे कि उसके काम को करना चाहिये तो इस विधेयक में कोई ऐसी धारा नहीं है कि वह परिषद् उस कार्य को करे। एक तरफ तो आप उस परिषद् को स्टेट्यूटरी बाड़ी बना रहे हैं, उसको लीगल व्यक्तित्व प्रदान कर रहे हैं, उसको नाना प्रकार के अधिकार दे रहे हैं कि वह ऐक्वीजीशन भी कर सकती है, लेवी भी कर सकती है, जमीन भी ले सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन यदि वह उचित समझे, यदि वह ऐसा समझे, इससे मालूम होता कि वह केवल दर्शन की बात है। उससे ऐसा नहीं मालूम होता कि मंत्री जी किसी बाड़ी का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसके जिम्मे कोई कार्य सौंपने जा रहे हैं। इससे ऐसा न हो कि परिषद् केवल एक शोभा की चीज बन कर रह जाय। यह विधेयक एक बार सेलेक्ट कमेटी से लौटा है। सेलेक्ट कमेटी के सदस्यों का मैं आदर करता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सेलेक्ट कमेटी में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था या नहीं। परिषद् बनायी जा रही है, सदिच्छा प्रकट की जा रही है, लेकिन यदि वास्तव में परिषद् की स्थापना की आपको कोई आवश्यकता हुई थी तो उस पर काम करने का कोई बंधन भी लगाना चाहिये था। उनको यह व्यवस्था करनी चाहिये थी कि जैसे ही यह विधान सभा इस परिषद् का निर्माण कर दे तो वह तुरन्त अपने काम में लग जाय। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। वह एक स्टेटुयरी संस्था है जो प्रदेश के विद्युत्त के उत्पादन की योजना बनाता है, उसके वितरण की व्यवस्था करता है, विद्युत के रेट्स को देखता है, लेकिन जब यह परिषद् स्थापित किया जा रहा है तो इस पर कोई बन्धन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? सरकार को शक्ति लेने की एक बीमारी लग गयी है, उसी शक्ति को लेने के लिये कदाचित् वह कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी और अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे विधेयक न लाया करें जिनमें केवल सदिच्छा हुआ प्रकट करे। भविष्य में वे ऐसे विधेयक ही लायें जिनमें बिचारधारा को कार्यान्वित किये जाने के बारे में सार्थक कदम उठाये गये हों। इस बिल में जो उद्देश्य रखे गये हैं वे भी अच्छे हैं, जो परिषद् के द्वारा कार्य करने की इच्छा प्रकट की गयी है वह भी अच्छी है, इन सब चीजों के लिये मैं बधाई देता हूं, लेकिन केवल एक बात कहता हूं कि इस बिल में परिषद् पर कार्य करने का कोई बंधन नहीं लगाया गया है। ऐसा किसी अमेंडमेंट के द्वारा ही इसमें ले आना चाहिये कि जैसे ही यह विधान सभा इसको स्वीकार कर दे, यह परिषद् सारे प्रदेश में आवास समस्या का हल करने के लिये जुट जाय।

मुझे आश्चर्य होता है और मैं समझ नहीं पाता कि क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि प्रदेश में कोई ऐसा नगर है या टाउन एरिया है जहां आवास की कोई समस्या ही न हो क्योंकि उन्होंने यह लिखा है कि ऐसी समस्या होने की हालत में गजट द्वारा उस क्षेत्र को इसकी परिधि में लायेंगे? माननीय मंत्री जी, जो सार्वजनिक कार्यकर्त्ता रहे हैं, प्रदेश के सारे नगरों में वे घूमे हैं, वे यह बखूबी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में आज ऐसा कोई नगर या टाउन एरिया या म्युनिसिपल एरिया नहीं है जहां आवास की समस्या न हो अथवा मलिन बस्ती न हो तथा जहां सुधार करने की आवश्यकता न हो। गांवों के लोग नगरों में आ रहे हैं और नगरों की अवस्था दुर्दमनीय होती जा रही है। ऐसी हालत में इस विधेयक में इसे रखने की क्या जरूरत है कि जब राज्य सरकार उचित समझेगी तब गजट में प्रकाशन द्वारा उस क्षेत्र को लिया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को जिस दिन लागू किया जाय, जिस दिन इस पर गवर्नर महोदय के हस्ताक्षर हों और यह सारे प्रदेश में लागू हो जाय उसी दिन से सारे नगर इसकी परिधि में ला दिये जायं और इसके द्वारा स्थापित परिषदें अपना काम फौरन आरम्भ कर दें। यह एक बहुत लम्बा चौड़ा बिल है, मैंने इसको आधा घंटा पढ़ने की कोशिश की और अन्त तक नहीं पहुंच सका, अगर यह ३ लाइन का ही विधेयक होता तो अच्छा काम हो सकता था।

उसमें एक लाइन तो यह होती कि यह बिल तमाम प्रदेश में आवास परिषद् स्थापित करे और आवास परिषद् की स्थापना के दिनांक से ही वह सारे सूबे के नगरों में लागू होगा। तीन चार धाराओं का यह बिल हमारे प्रदेश की एक बहुत आवश्यक समस्या को पूरा करता। किसी विधेयक का कलेवर बड़ा हो या छोटा इसका कोई महत्व नहीं है। बड़ी-बड़ी रकमें सेन्टर से एलाट हुईं मकानों के बनाने के लिये, सरकारी कर्मचारियों के मकानों के लिये एलाट हुईं, महापालिकाओं को भी एलाट हुईं, फैक्टरीज के लेबर के लिये और इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन के लिये भी अलाट हुईं न तो सरकार ने मकान बनाये न कारपोरेशन ने बनाये। मैं उदाहरण दूं और मुझे खुशी हुई थी और मैं बधाई देता हूं कि इस सरकार ने गाजीपुर शहर के लिये जहां नागरिकों के लिये मकान हैं ही नहीं, और तमाम खंडहर हैं, लोगों के पास रुपया पैसा और सामान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सरकार को बधाई दूंगा कि ४४ क्वार्टर बनाने के लिये सरकार ने रुपया एलाट किया। किन्तु सरकार के पास मकान बनाने के लिये मशीनरी नहीं है। वह नागरिकों के लिये नहीं थे बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिये थे, सोल्जर्स बोर्ड वाले लोगों के लिये या जो रेलवे के वेटिंग रूम में लोग रहते हैं या जो और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिये यह ४४ क्वार्टर एलाट हुए, यह ४-५ लाख रुपये का एलाटमेन्ट होगा। कोई मशीनरी सरकार के पास उनके बनाने के लिये नहीं थी। न आजकल जमीन एक्वायर हुई। माननीय ऊदल जी कह रहे थे कि इस विधेयक में जब तक मुआवजे का प्राविजन न होगा तब तक यह कार्य सफलता से न हो सकेगा। मुझे इससे मतभेद है, वह तो माननीय चन्द्रजीत जी और दूसरे लोगों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उनके सामने तो कम्युनिस्ट होने के नाते मुआवजे का सवाल नहीं होना चाहिये। लेकिन वह अब तो गरीबों के नाम पर धनिकों को भी मुआवजे का रुपया दिलाने का प्रयत्न करते हैं। उनके बयान से यह विषमता पैदा हो गई है।

श्री ऊदल—

मैंने तो यह निवेदन किया था कि जिन गरीबों की जमीनें आप एक्वायर करें उन्हें जैसा कि यहां माल मंत्री जी कहते हैं कि संविधान के अनुसार ही चलेंगे और मुआवजा देकर ही किसी की जमीन लेंगे, आप मुआवजा दें उन सबको जिसकी जमीन आप लें।

श्री कृष्णानन्दराय—

यदि माननीय ऊदल जी का यह वक्तव्य सारे सूबे के धनिकों में बांट दिया जाय तो यहां के सारे धनिक उनको जरूर वोट देंगे और उनको स्नेह करेंगे। ऐसी स्थिति आज राजनीतिक दलों की है, वे गरीबों के नाम पर हर वह काम करना चाहते हैं जो गरीबों के हितों के खिलाफ हो।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

एक दूसरे से सदस्य बात न करें।

श्री कृष्णानन्दराय—

माननीय हुकुमसिंह जी का एक बिल था, जमींदारी एबोलिशन का। श्रीमन्, एक मौलिक प्रश्न है। (शोर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी निवेदन कर रहा था कि माननीय हुकुम सिंह जी के विभाग से संबंधित एक बिल था—जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट। उसमें भूमि के लिये कम्पेन्सेशन की व्यवस्था रखी थी। तो उस वक्त सारे वाम-पक्षियों ने उत्तर प्रदेश में ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी प्रश्न उठाया और आन्दोलन किया कि यह सरकार जमीदारों की पक्षपाती है कि गरीबों को जमीन मुफ्त नहीं दे रही है। आज माननीय ऊदल जी और माननीय चन्द्रजीत यादव जी ऐसी बात कहते हैं तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं दावा करता हूं कि इलाहाबाद, वाराणसी या हमारे गाजीपुर में किसी गरीब के पास जमीन नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

आप यह कह रहे हैं कि कस्बों में किसी गरीब के पास जमीन नहीं है। अभी कुछ दिन हुए विस्तार योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद में हजारों एकड़ जमीन जो ली गयी थी वह छोटे किसानों की थी। उस जमीन को लेकर इतना बड़ा आन्दोलन चला इस सदन में और बाहर भी कि जो कम्पैनसेशन दिया जा रहा था वह इतना कम था कि वहां के किसानों ने मजबूर होकर त्रिमूर्ति के सामने डेरा डाला। नेहरू जी ने उस पर इन्टरवीन किया और फिर सरकार को सौ गुना कम्पेन्सेशन किसानों को देना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें इनको क्या एतराज है ?

श्री कृष्णानन्दराय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उन्होंने बड़ा गलत उदाहरण देकर जस्टीफाई किया है। गाजियाबाद का यह केस है। इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिये, उद्योग को बढ़ाने के लिये वहां पर जमीन को लेना पड़ा। वे जमीनें किसानों की और देहातियों की थी। वहां पर कम्पन्शेसन का प्रश्न पैदा हुआ वह चीज दूसरी है। माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं उसमें म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और कारपोरेशन के अन्दर की जमीनों का सवाल है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आपको शायद यह पता नहीं है कि म्युनिसिपैलिटी की हद ५ –५ मील बाहर लागू होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह दोनों के लिये है।

श्री कृष्णानन्दराय—

श्रीमन्, हमारी धारणाएं सही उत्तर रही हैं। मैं ऐसा अनुभव करता रहा हूं कि आप (विरोधी दल के लोग) शहरों के उन लोगों की जिनके पास जमीनें हैं उनके लिये कम्पेन्शेसन की बात कर रहे हैं। माननीय मायर साहब जिस स्टेटस के आदमी हैं, उनके लिये आवश्यक है कि मुआवजे के लिये लड़ें क्योंकि वे शहरों के रहने वाले हैं। मैं चुनौती देकर माननीय ऊदल जी को कहता हूं कि वे मेरे साथ बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, और आगरा में चलें और मुझे दिखायें कि किसी भी जगह पर किसी गरीब के पास जमीन है तो मैं मान लूंगा कि उनकी कम्पेन्सेशन की मांग जो है, वह सही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

बहुधा जमीन ऐसे आदमियों की है।

श्री ऊदल—

मैं माननीय कृष्णानन्द राय की चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इनको बनारस में, गाजीपुर में दिखा सकता हूं कि कितनी किसानों की जमीन शहर के आस-पास और शहर में है।

श्री उपाध्यक्ष—

अन्दर कम है और शहर के आस पास ज्यादा है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

चलिये, मैं कानपुर में आपको दिखा दूं।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप इस पर हमको रोके नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस विधेयक को मंत्री जी वापस कर लें और कल एक विधेयक प्रस्तुत करें जिसमें मुआवजे की धारा रखें और जो सो काल्ड गरीब के हिमायती हैं यह सब कहने लगेंगे पूंजीपतियों के दलाल हैं और यह हमेशा कम्पेनसेशन दिया करते हैं। आज चूंकि हमने विधेयक में कम्पेन्सेशन का प्रश्न नहीं उठाया है तो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बड़ा हल्ला मचाने लग गये। मैं कहना चाहता हूं कि शहरों में आज जमीन में जितना ब्लैक मार्केटिंग है उतना किसी चीज में नहीं है। आज आप चले जायं शहरों में, बड़े-बड़े शहरों की बात छोड़ दें, छोटे-छोटे नगरों में एक-एक बिस्वे जमीन का २ से ४ हजार रु० मूल्य लिया जा रहा है। आज शहरों में जमीन नहीं मिल रही ह सस्ते दाम पर। मकानों की यह हालत हो गयी है कि छोटे-छोटे कमरों का ५०, ६० रु० किराया देना पड़ता है और बड़े बड़े शहरों में हजारों रु० पगड़ी के रूप में लिया जाता है। शहर में जमीनों के मालिक खुले आम ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। मुझे दुख है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले मांग कर रहे हैं कि उनको कम्पेन्सेशन दिया जाय। मैं चाहता हूं कि कोई मुआवजा न दिया जाय और सरकार को खाली जमीन को ऐक्वायर करके मकान बना देना चाहिये और कोई मुआवजा न दिया जाय। शहर की जितनी जमीन के मालिक हैं सब धनी हैं, इसलिये कम्पेन्सेशन उनको हर्गिज नहीं देना चाहिये और जितनी भी खाली जमीन है उसको बिना मुआवजा के ऐक्वायर किया जाय और उस पर मकान बनाये जायं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह बिना किसी कम्पेनसेशन के दिये हुए उन जमीनों को मकान निर्माण के लिये मलिन बस्तियों को नई जगह पर बनाने के लिये उनके एक्वीजीशन का अधिकार ले रहे हैं और उसमें कम्पेंनसेशन की बात नहीं रखी है। यह बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम है और मुझे आशा है कि आदरणीय सदन इसको स्वीकार करेगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस विधेयक से मुझे कोई विरोध नहीं है, यह विधेयक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिये लाया गया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का इस तरह से गठन अवश्य करें, इसमें इस प्रकार का संशोधन अवश्य करें जिससे इस विधान सभा द्वारा इस विधेयक के स्वीकृत होने के बाद आवास एवं विकास परिषद् सारे प्रदेश के ऊपर हावी हो जाय, उसका पुनरीक्षण करे और सारे प्रदेश के नगरों के लिये योजना बनावे तथा हर जगह निर्माण कार्य शुरू कर दें। जहां तक गन्दी व मलिन बस्तियों के सुधारने का प्रश्न है, उसके अन्तर्गत भी लोगों को जमीन एलाट करके मकान बनाना शुरू कर दे। ये काम यदि माननीय मंत्री जी कर दें तो मैं आपके माध्यम से उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि केवल इस प्रदेश के हित में ही नहीं बल्कि जनता के हित में यह उनका एक अमर कार्य हो जायगा।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री कृष्णानन्द राय को कुछ भ्रम सा हुआ कि शहरों के विस्तार में जितनी जमीन मकान के तले आती जा रही है वह पूंजीपतियों की जमीन है। असलियत यह है कि शहरों के फैलाव के साथ-साथ वे तमाम जमीनें जिन पर काफी अर्से से खेती हो रही थी और गरीब लोगों की जो थोड़ी-थोड़ी सी जमीन थीं, चाहे वे उसके मालिक हों या चाहे जो हों, वे छोटे-छोटे खेती करने वाले हैं। पिछले दिनों जो म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर संशोधन हुआ उसमें म्युनिसिपैलिटी की हद ५ मील तक और बढ़ा दी गयी। यानी अगर कोई दो शहर १० मील के फासले के अन्दर मौजूद है और दोनों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

शहरों में म्युनिसिपैलिटी है तो ५ मील का क्षेत्र एक के हिस्से में और ५ मील का क्षेत्र दूसरे के हिस्से में आ जायेगा। तो यह जो भ्रम था माननीय कृष्णानन्द राय का जिसके आधार पर वे सारी बातें कहते चले गये कि कम्पेनसेशन नहीं मिलना चाहिये। हम यह जानते हैं कि पैसे वालों की जमीन, पैसे वालों के मकान और पैसे वालों के कारखाने तो यह सरकार छेड़ नहीं सकती है क्योंकि चन्दा कहां से आयेगा एलेक्शन के लिये? और आपके मंत्री जो १४-१४ दावतें रोज खाते हैं वे कहां से खायेंगे? अभी कल ही की बात है माननीय बनारसी दास जी ने १४ दावतें खायीं। १८ जगह उनका प्रोग्राम था झन्डा लहराने का। सारे दिन जगह जगह के झंडा ही लहराते रहे। लाखों रुपये जो आपके एलेक्शन में खर्च होते हैं, लाखों रुपये जो कांग्रेस के एलेक्शन में खर्च हो रहे हैं वे कहां से आयेंगे? पूंजीपतियों को छेड़ने का दम आपके अन्दर नहीं है। आप गरीबों को छेड़ सकते हैं, गरीबों को मार सकते हैं, नंगों व भूखों को मार सकते हैं जिनके अन्दर इतनी हिम्मत नहीं है कि वे आपका विरोध कर सकें या आपके सामने अपना रोना भी रो सकें। यदि उनको रोना भी हुआ तो वे अपने घरों के अन्दर ही रो लेते हैं। हमारा रोना तो इस वक्त यह है कि अगर आप किसी बड़े आदमी की जमीन लेते हैं तो भले ही उनको कम्पेन्सेशन न दें, ठीक है, लेकिन जिसके पास केवल २ बीघे जमीन है या ४ बीघे जमीन है जिसमें कभी कोई सब्जी बो लेता है, कभी मूली बो लेता है और जिसकी जमीन शहरों के इर्दगिर्द है उसको भी अगर आप कम्पेन्सेशन नहीं देंगे तो उसकी गुजर कैसे होगी, वह कहां जाएगा?

जहां तक मलिन बस्तियों की बात है, इसकी भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी कि जिन मलिन बस्तियों को भी उजाड़ा जाय वहां के रहने वालों के लिए आल्टरनेटिव एकोमोडेशन का इन्तजाम किया जाय, फिर उनकी जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही शुरू हो। इस सम्बन्ध में आपको मैं बतलाऊं कि सन् १९६० में सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी को एक लाख रुपया गरीब लोगों की बस्ती बसाने के लिए दिया था। आज से सौ, सवा सौ वर्ष पहले वहां कंजरों के १०-२० घराने थे और वे शहर के बाहर थे, लेकिन जब शहर बढ़ा तो वे शहर के बीच में आ गए। हमारे नगरपालिका के अध्यक्ष ने उन पर हाथ डाल दिया क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिए थे और सन १९६४ में आ कर उस जमीन को एक्वायर करने के लिए नोटिस जारी हो गया २ रुपए ६ आने गज के भाव से जबकि उस जमीन का भाव ३२ रुपए गज है। १५० वर्ष से वे लोग बसे हुए हैं। मौजूदा दर पर भी आप अगर एक्वायर कर लेंगे तब भी वे कहां जायेंगे? थोड़ी सी उनकी आदमनी उसी जमीन की बदौलत होती है जिससे वह अपने बच्चे पालते हैं और उनके हाथ में आप उसे देने जा रहे हैं जिन पर एक मिनट के लिए एतबार नहीं किया जा सकता। जिन नगरपालिकाओं के अध्यक्ष नगरपालिका को ठीक ढंग से नहीं चला रहे हैं, जिनके खिलाफ रात दिन शोर मचा रहता है, भ्रष्टाचार की कहानियां सुनाई जाती हैं उनको इस परिषद् का अध्यक्ष बनाया जा रहा है।

सन् १९४७ के बाद इस टोपी की बदौलत किस प्रकार लोग पूंजीपति बने हैं उनकी कहानी भी जरा सुन लीजिए। पहुंच होने के कारण अफसरों से मुलाकात हो गये, मेल-जोल हो गया। मन्त्री जी भी जाते ह, तो उनके यहां रहते हैं, दावतें खाते हैं। इस तरह से ताल्लुकात बढ़ते हैं। मार्च के महीने में लाखों रुपए के जाली बिल एक-एक व्यक्ति के बनते हैं ताकि रुपया लैप्स न हो जाय। १०, १५ लाख रुपए का पेमेन्ट जाली बिलों के जरिए एक-एक फर्म को हो जाता है। अगर रुपए का इस्तेमाल करना ही आपकी मंशा है चाहे वह रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हो, स्टेट बैंक ने दिया हो अथवा इंश्योरेन्स कम्पनीज ने दिया हो और इन परिषदों के मार्फत ही करना है, लोगों के लिए मकान बना कर खर्च करना है तो इससे काम नहीं चल सकेगा। मकान सही ढंग से बन नहीं सकते। आपके पास कोई इन्तजाम नहीं है। आप देखें कि माननीय चतुर्भुज शर्मा ने साढ़े ७ लाख रुपया से जिस कोआपरेटिव हाउस का उद्घाटन किया था ४ वर्ष

पहले उस पर १ रुपया की दर से साढ़े सात हजार रुपया ब्याज पड़ रहा है और उसकी दुर्दशा आपके सामने है। लोहा, सीमेंट आपके पास नहीं है। काम करने वाले, काम को देखने वाले आपके पास नहीं हैं। क्योंकि एक व्यक्ति को ५ प्रतिशत नहीं मिल पाया इसलिए वह कोआपरेटिव हाउस इस दुर्दशा में पड़ा हुआ है। मुकदमे बाजी चल रही है। पता नहीं १० वर्ष तक वह मुकदमा चले? साढ़े सात लाख का कर्ज था और साढ़े सात लाख ब्याज हो जायगा। सभी उद्घाटन मन्त्री बनते जा रहे हैं। शिलान्यास करके किसी को यह चिन्ता नहीं कि वह किस चीज का शिलान्यास कर रहा है और वह शिला भी बाकी रह जाती है या नहीं? पंडित नेहरू ने एक दफा कहा था कि मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं कई जगह शिलान्यास करके आया, लेकिन बाद में कोई उस शिला को भी उखाड़ कर ले गया। जो मकान बनाने की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, जिनके हाथ में वह व्यवस्था देने जा रहे हैं लाखों रुपया तो वही खा जायेंगे। सीमेंट आपने सीवेज के लिए दिया जिस ठेकेदार को वही ठेकेदार २०, २२ रुपए में बेच रहेहैं। चन्द्रजीत जी कहते हैं कि ३०, ३२ रुपए का भाव है उनके यहां। तो हमारे यहां जो २०, २२ का भाव में बिक रहा है तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। यह उन्हीं ठेकेदारों से मिल रहा है जो म्युनिसिपैलिटीज में काम कर रहे हैं, जो सीवेज का काम कर रहे हैं अथवा प्लानिंग के अन्दर ठेकेदारी कर रहे हैं। आप मकान की योजना बनाते हैं, जगह-जगह परिषद् की स्थापना आप कर देंगे, रुपए का भी इन्तजाम कर देंगे, लेकिन सीमेंट कहां से लायेंगे और अगर आ भी गई तो यह सवाल है कि उसका सही इस्तेमाल हो पायगा या नहीं।

श्रीमन्, दूसरा प्रश्न यह रहा जैसा कि माननीय ऊदल जी ने कहा था। आप बाहर निकल कर देखिए। मैं रूस गया था वहां पर ५-५, ६-६ मंजिल के मकान कितने सुन्दर मालूम होते थे जिनमें २५०-३०० परिवार रहते हैं। वे बहुत साफ सुथरे और स्वच्छ मकान हैं। वहां पर अच्छी सड़कें हैं और रोशनी का भी अच्छा प्रबन्ध है। सब वस्तुएं वहीं पर उपलब्ध हो सकती हैं कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां अगर ५०० परिवार बसाने हैं तो आप दस एकड़ जमीन ले लेंगे। जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है उस लिहाज से और एक एक मंजिले मकान बनाते चले जाइये, लेकिन कभी पूरे नहीं होंगे। आपकी जमीन खत्म हो जायगी और मकान बनते रह जायेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि न खाने को कुछ रहेगा और न पहनने को कुछ रहेगा।

श्रीमन्, यहां बैठ कर सरकार एक नक्शा पेश करे ऐसी कालोनी का जिसमें ५००,/७०० परिवार रह सकें। उनके रहन-सहन की सारी चीजें वहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यह जो योजना बना रहे हैं उसमें छूट दे देते हैं कि एक मंजिला मकान बनाइए और जितनी जमीन चाहे उतनी ले लीजिए। इस तरह से कभी पूरा नहीं हो सकता है। अभी सहारनपुर में तारा जी गई थीं। वहां पर ४-५ लाख रुपए से एक भंगियों की बस्ती बनी थी। वहां पर जहां पैर रखा जमीन धसक गई। इंजीनियर से पूछा गया तो कहने लगे कि साहब यह मौसम का असर है। दूसरी बस्ती तो इनकम वालों के लिए बनी, जिसके मकानों का किराया ८५ रुपए माहवार था। वहां दो गधों में लड़ाई हुई तो उनकी टक्कर से मकान की दीवार टूट गई। एक बार फिर उनको वहां भेज दिया जाय। वह टूटी हुई दीवार आज भी मौजूद है जो दो गधों की टक्कर से टूट गई थी। आपकी पार्टीबाजी देश को ले डूबेगी। आपकी आपसी टक्कर से तो हमारा फायदा ही है, लेकिन देश रसातल को चला जायगा।

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है, इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। हर चीज का उद्देश्य अच्छा होता है। लेकिन किस तरह से मकान बनाए जायं, क्या तरीका अपनाया जाय और क्या सुविधायें दी जायं, यह चीज देखने की है। आप उनको आखिरी मंजिल तक पहुंचा पायेंगे या नहीं। जब तक आपकी सीमेंट आयेगी तब तक कहीं दीवारें न गिर जायं? आप

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

सब जगह रुपए मत खर्च कीजिए बल्कि ५/६ जगह छांट लीजिए और वहीं मकान तैयार कीजिए जिनको आप बसाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बसाइए- जिनके पास जमीन हो इससे जमीन उपलब्ध हो जायगी। लेकिन यहां तो जैसा सेक्रेटरी साहब ने लिख दिया वही ठीक है। मन्त्री जी को फुर्सत कहां है जो देखें कि कौन-सी चीज ठीक है कौन सी गलत है। तो श्रीमन्, यहां मुकम्मल योजना होनी चाहिए। मकानों का नक्शा तैयार होना चाहिए और किन लोगों के लिए आप चाहते हैं यह तय होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी की मार्फत मकान बनवाएंगे तो यह तो हो नहीं सकता है कि दस पांच रुपए में मकान दे दें। आप अपनी लागत देखेंगे। उसमें भ्रष्टाचार की भी कीमत लगाएंगे, ब्लैक के सीमेंट की भी कीमत लगाएंगे। अगर आप सही मानों में चाहते हैं, तो आप निश्चित कीजिए कि इतने रुपए में इतना बड़ा मकान बनना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी जमीन में पांच सौ परिवार बसाने हैं। लेकिन आप की प्लानिंग इस प्रकार की है कि आपको टाउन प्लानर नहीं मिल पाया। पांच साल के लिए पंजाब से टाउन प्लानर लिया है। सहारनपुर में, १५, २० आदमियों ने, जिसम अध्यक्ष, पसे वाले दो क्लर्क और दस-पन्द्रह आदमी और किसी गरीब की जमीन पर चले जाते हैं और कहते हैं कि यह जमीन तुम हमारे नाम लिखा दो इतने रुपए में। जो आदमी नहीं देता उसको एक्वायर होने की नोटिस चली जाती है। जो राजी हो जाता है उसकी नोटिस वापस हो जाती है। मैं नाम दे सकता हूं, जो व्यक्ति रोजाना यहां आते हैं। उस दिन म्युनिसिपैलिटी से छुट्टी ले लेते हैं। लाखों रुपया घूस पैठ के अन्दर आता है। जो आपने टाउन प्लानर रख रखा है कि उससे ज्यादा भ्रष्ट आदमी कोई सारी हुकूमत में नहीं मिलेगा। जब कहो तो कहता है मैं तो पांच वर्ष के लिए आया हूं। मैं चला जाऊंगा। जिस आदमी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं, और सरकार एसहास करवाना नहीं चाहती, सरकार दबाव नहीं डाल सकती, जिस आदमी से काम नहीं ले सकती उसको रखे हुए हैं। मकान आपको बनाना है, नक्शा वह पास करेगा। देखिए तो सही आपके रुपए का सदुपयोग हो रहा है। लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है। सहारनपुर म्युनिसिपैलिटी को ४ लाख २६ हजार रुपया दे दिया जहां अव्वल दर्जे की गड़बड़ी हो रही है। (व्यवधान) उसी अध्यक्ष के भाई को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में रख दिया। दूसरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेंट था उसे रख दिया। मुश्ताक अहमद साहब गांव के रहने वाले हैं। तो आपका उद्देश्य बिलकुल ठीक है। लेकिन आप देखिए कि मकान बनाने केलिए छोटी-छोटी चीजों की जरूरत होती है, वह दे पायेंगे ? सब जगह कहते है कि इतने-इतने मकान बनाओ। इतना रुपया यहां से ले लो, इतना वहां से। मैं चाहता हूं कि यहां से कमेटी जाय, माननीय मन्त्री जी जायं और अपने तौर पर देखें कि जो रुपया यहां से गया उसका किस प्रकार प्रयोग हो। मुझे बिलकुल एतबार नहीं है। किसी वक्त सीमेंट नहीं मिल रहा है, कभी ईंट नहीं, कभी लकड़ी नहीं, जगह-जगह कोई चीज उपलब्ध नहीं। मैंने सरकार से प्रार्थना की थी कि पुराने समय में चूने से, कंकड़ से इमारतें बनती थीं और वह आज भी ४ सौ, ५ सौ और हजार वर्ष से मजबूती के साथ हमारे सामने खड़ी हैं, इसलिए सरकार भी बिल्डिंग्स बनवाने के लिए सीमेंट की कमी की दशा में वही ढंग अख्तियार करे, लेकिन सरकार कहती है कि हम उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं, यदि लोग इसे पसन्द करें और जरूरी समझें तो अपने मकान इन साधनों से बनवायें। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब पहले सरकार ही पहल नहीं करने को तैयार है तो दूसरे लोग कैसे इस ओर कदम बढ़ायेंगे। मकानों का नक्शा निश्चित होना चाहिए कि किस प्रकार के मकान होने चाहिए और एक-एक मकान में कितनी-कितनी फेमिली के मेम्बर रहेंगे। श्रीमन्, मैं रूस का और जापान का हामी नहीं हूं, मैं केवल भारतीय हूं, मैं सबसे पहले भारतीय हूं और सबसे ज्यादा बाद तक भारतीय हूं। लेकिन जो चीजें दूसरों के पास अच्छी हैं, उन्हें हमें ग्रहण करने में कोई ग़ुरेज नहीं होना चाहिए। यदि उनके ढंग से हमारे मकान कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा फेमिलीज़ को बसाने की क्षमता वाले बन सकते हैं तो हमें उनका ढंग अवश्य अपनाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि मन्त्री जी दुबारा इस पर गौर करें और इसको एक बार फिर प्रवर समिति में भेज दें ताकि जिस प्रकार से दूध का बिलोवन करके मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकार से इस पर भी विचार होकर इसकी सारी खामियां दूर हो जायें और एक अच्छा और सर्वप्रिय बिल तैयार हो सके।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मन्त्री जी ने विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, इस पर दोनों सदनों की सेलेक्ट कमेटी ने काफी छानबीन की है, काफी विचार विनिमय किया है और विचार विनिमय करने के बाद उन्होंने इस बिल को आज इस हैसियत पर रखा है कि सदन में हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को बधाई के साथ-साथ, श्रीमती तारादेवी अग्रवाल को, जो हमारी भाभी जी भी हैं, बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं, इसमें उनका एक सक्रिय सहयोग शामिल है। इस बिल की खूबसूरती जो है वह हमारी भाभी जी की वजह से और अधिक बढ़ गयी है।

एक सदस्य--

वह आपकी भाभी नहीं, भाई हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

तो इसलिए दो तरफ से इस पर बड़ा विचार विनिमय हुआ है, इसलिए दोनों ही बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, दरअसल यह बहुत बड़ी खटकने वाली बात है कि जब हम शहरों में घूमते हैं, जब हम हजरतगंज में घूमते हैं तो उस सड़क पर हमें अनेक प्रकार की खूशबू मिलती है और ऐसा लगता है कि हमारा देश बड़ी तरक्की कर रहा है एवं धन-धान्य से पूर्ण हो गया है, अब इसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो इससे गलतफहमी हो जाती है। लेकिन जब हम हरिजनों और श्रमिकों की मलिन बस्ती में जाते हैं, जहां की नालियां बदबू कर रही हैं, जहां झाड़ू भी ठीक से नहीं लगती है, जहां सूर्य के दर्शन भी मुश्किल से होते हैं, स्वच्छ वायु का कोई प्रबन्ध नहीं है, एक दरवाजा दूसरे दरवाजे से भिड़ा हुआ है, साइकिल से आप ऐसी गलियों को पार भी नहीं कर सकते हैं। तो यह बात हमारी समझ में नहीं आ सकती है कि उस हरिजन और मलिन बस्ती के साथ हजरतगंज को कैसे मिलायें। इसलिए मन्त्री जी ने जो प्राविधान किया है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। श्रीमन्, हमारे ऊदल जी ने एक बात कही कि मुआवजे का इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है, उसका कृष्णानन्द जी ने बड़ा विरोध किया था। आपके द्वारा मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी से कहना चाहता हूं कि माननीय ऊदल जी और उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ती है, उनको भी बड़े आदमियों से चन्दा लेना पड़ता है, अगर उन्होंने उनके लिए मुआवजे की वकालत कर दी तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। अगर एक बार उन्होंने कह दिया तो उससे वह जाकर उनसे कह सकेंगे कि हमने भी तुम्हारे लिए कहा। तो आप नाराज न हो जाइए।

मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी को बधाई दूंगा कि कुछ त्रुटियां जो बिल में थीं उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया है। वह बहुत आवश्यक बातें हैं। उदाहरण के लिए जो समिति बनेगी उसके ऊपर सरकार के नियन्त्रण के सम्बन्ध में विधेयक के अन्दर कुछ भी नहीं है। अगर वह सरकार जो कहती है न करें तो सरकार क्या करे? इस पर उन्होंने जोर दिया है कि वह होना चाहिए और अगर वह जोड़ दिया जायगा तो यह बिल बहुत महत्वपूर्ण हो जायगा।

माननीय मायर जी ने जो तर्क दिया उससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। वे बड़े आदमी हैं और उनको तो ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की बात पर सदन में जोर देना ही चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

माननीय चन्द्रजीत यादव, जो घनघोर कम्युनिस्ट हैं, उनसे हमें यह आशा थी कि वे ऊदल जी की तरह मुआवजे की बात नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने भी वही बात कही। उन्होंने जो कहा उनको वह मुआवजे के बारे में नहीं कहना चाहिए था।

श्रीमन्, मुझे ज्यादा नहीं कहना है। यह सम्पूर्ण बिल है। मैं मन्त्री जी को बधाई दूंगा इस बिल को लाने के लिए और उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को लागू करें जिससे हमारी शहरों की मलिन बस्तियों की तरक्की हो जाय और हमारे शहरों के गरीब भंगी मेहतर आदि जो हैं वे लोग अच्छे-अच्छे मकानों में रहने का सुख प्राप्त कर सकें।

*श्री प्रेमसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, इस आवास एवं विकास परिषद् विधेयक को पढ़ने के बाद जो मेरी समझ में आया वह यह है कि शहरों के मकान ही दुरुस्त होंगे। क्या देहातों के लिए ध्यान नहीं दिया जायगा मैं पूछता हूं जहां से हम चुनकर आते हैं। मैं कहूंगा कि गरीबों की तरफ पहले ध्यान दिया जाय।

अब मैं बढ़ती हुई आबादी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं पूछता हूं कि अगर आबादी हमारी बढ़ेगी नहीं तो चीन का मुकाबिला कैसे होगा ? चीटियां और मुर्गियां लड़ेंगी ? मैं कहता हूं कि ईश्वर के कानून में मदाखलत करना बड़ा गुनाह है।

इस बिल में हर एरिया को इकाई माना गया है और जो एक अफिसर के नीचे रहेगा और जो समिति बनेगी उसके वह चेयरमैन होंगे। दूसरे लोग भी वहां पर होंगे। एक तरह से यह गवर्नमेंट बाडी होगी, लेकिन दरअस्ल जो बात इसमें छुपी है मैं उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं---

"हमारी किश्ती ए हस्ती का अब खुदा हाफिज,
सम्भालते हैं मगर डगमगाई जाती है ।।"

मैं शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जो इसमें हम लोगों ने विचार रखे हैं कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को पुनः प्रेषित किया जाय जो कि अपना प्रतिवेदन १ मास के भीतर दे दे तो इस बात को मन्त्री जी मान लें। बस अब मैं चाहता हूं कि इतना कहकर बैठ जाऊं।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों सदनों की प्रवर समिति के द्वारा संशोधित यह विधेयक सदन के समक्ष आया। इसलिए चाहिए यह था कि जिस प्रकार की भावना के साथ यह संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया था उस रूप में ही प्राप्त होता किन्तु इसके विपरीत देखने को यह मिला कि संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों का एकमत न होकर इस विधेयक में विमति प्राप्त हुई है। उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वह इतने सुन्दर रूप से उन्होंने बतलाए हैं कि उन पर विचार करना परमावश्यक था और उनको इसमें मान लेना आवश्यक था किन्तु ऐसा न होकर संयुक्त प्रवर समिति ने यह विधेयक दिया है। वास्तव में जो यह परिषद् का गठन है उसके प्रति ज्यादा बातें न कहकर इतना कहना चाहता हूं कि तमाम सरकारी अधिकारियों को इसके ऊपर लाद दिया गया है। १ विधान सभा का, १ विधान परिषद् का सदस्य और १ नगर प्रमुख, तीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासकीय और ३ अशासकीय नामजद सदस्य रखे गए हैं। जो नामजद सदस्य होंगे वे सरकार के ऐसे आदमी होंगे जो उनकी हां में हां मिलाने वाले आदमी होंगे। ये जो विधान मण्डल के सदस्य होंगे यह जो बात कहेंगे वह बात मानी नहीं जायगी। परिषद् में जो नौकरशाही के लोग रहेंगे उनके प्रभाव में हमारे सदस्य इतने आ जायेंगे कि सचिव के सामने वे बेचारे कुछ कहेंगे यह कहा नहीं जा सकता है। इस परिषद् से जिस कल्याण की कामना की जाती है, वह कल्याण की कामना उससे प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार का रूप उसको दिया गया कि उसका परिणाम सुन्दर निकलेगा यह आशा नहीं है। इसलिए यदि परिषद् के गठन में विमति प्रकट करने वालों की राय मान ली जाती और विधान सभा के सदस्यों की संख्या या विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या बढ़ जाती तो उसके साथ आवास की समस्या हल हो जाती। एक आवास सचिव, एक स्वशासन सचिव और वित्त सचिव यह तीन सचिव ले लिए जाते और इसका गठन कर दिया जाता और कुछ नगर प्रमुख और कुछ नामजद सदस्य हो जाते तो सम्भवतः इसमें कुछ लोकतन्त्रीय भावना का ज्यादा प्रभाव मालूम पड़ता।

पहले गठन की बात आती है, दूसरे नम्बर पर परिषद् के कार्यों के बारे में जो बातें कहीं गयी हैं वे विचारणीय हैं और मैं समझता हूं कि बस्ती सुधार और बस्ती निपातन के संबंध में जो कार्य किये जायेंगे उसमें बहुत सी बातों में गरीब आदमियों को दुख उठाना पड़ेगा। सबसे पहले जिन बस्तियों को लिया जायगा वहां के आदमियों को हटाया जायगा और उनको आवास विहीन किया जायगा। उनके रहने के लिये कौन सी आवास व्यवस्था होगी और क्या वह आवास उनसे लिया जाकर उन्हीं को दिया जायगा। इस प्रकार की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इसलिये जो गरीब आदमी इस की लपेट में आ गये हैं, इस बस्ती सुधार और निपातन योजना में, वे शहर के बाहर फेंक दिये जायेंगे और इस प्रकार वे अपनी रोजी और रोटी के साधनों से दूर कर दिये जायेंगे। दूसरा सवाल यह पड़ता है कि विकास परिषद् और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो निर्माण कार्य हुए हैं उनको देखने से मालूम होता है कि हमारी सरकारी मशीनरी किस प्रकार कार्य करती है। उसकी दक्षता का नमूना आप स्वयं देखें। माननीय मंत्री जी को इस बात का भी प्राविधान करना चाहिये था। कानपुर की लेबर कालोनी मैंने देखी है। तीन साल उसे बने हुए नहीं होंगे जब कि उस की छतें और दीवारों का पलास्तर सब गिर गया है। इस प्रकार के घरों का लाभ क्या है? गांव का गरीब आदमी भी जो अपना मकान बनाता है, उसे जिस प्रकार रखता है उस प्रकार का निर्माण कार्य भी सरकारी मकानों का नहीं होता। इसलिये इस प्रकार की संभावना को दृष्टि में रखते हुए हमने किसी शासकीय दंड की व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की है। अगर सरकार द्वारा निर्मित कार्यों में धांधली होती है तो उसे रोकने की व्यवस्था इस बिल में नहीं है।

कंपेन्सेशन के बारे में अभी बात चल रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि कम्युनिस्ट भाई मालदारों से चन्दा मांग लेते हैं इसलिये कह रहे हैं। उन्होंने उन पर चार्ज लगाया, उन्होंने उन पर। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जिन गरीब आदमियों से आवास छीना जाता है, जिनको बेदखल किया जाता है और दूसरी जगह भेजा जाता है उनको आप जिस तरह से कम्पेन्सेट करेंगे, अगर इसकी व्यवस्था इस विधेयक में निश्चित हो जाती तो बेहतर होता। अगर उसको कंपेन्सेशन मिल जाता तो वह अपनी व्यवस्था कर सकता था और इस वास्ते मुआवजे की शर्तों की व्यवस्था इसमें करने की बात कही गयी थी। वह मुआवजा बाजार रेट पर होगा या कैसे होगा। अभी आगरा नगरमहापालिका में एक ओवर हेड टैंक बनवाना पड़ा सरकार को। इत्तफाक से उसके लिये जो जमीन ली गयी वह एक मालदार आदमी की थी। उसने सरकारी रेट से उसका मुआवजा न ले कर उसके लिये कोर्ट में केस दायर कर दिया और वहां से एक बीघा जमीन का ६९ हजार रुपया उसे कंपेन्सेशन का मिला। किसी गरीब आदमी की जमीन होने पर उसे आप ३, ४ सौ रुपया देकर छुट्टी पा जाते। इस प्रकार से गरीब आदमी पर अत्याचार होता है। आपको मालदार आदमियों की रक्षा करने की जरूरत नहीं है। आपको निर्धन, गरीब और निःसहाय व्यक्तियों की रक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसे ही व्यक्तियों के आवास

[श्री खेमचन्द]

इस विधेयक के द्वारा अधिक से अधिक लिये जायंगे। उनके लिये हम क्या कर रहे हैं? इस विधेयक में ज्यादा से ज्यादा गरीब आदमी निरस्त होंगे जिनमें अधिकतर संख्या शेड्यूल कास्ट की होगी। इसके अलावा इसके द्वारा प्रभावित होने वाले श्रमिक वर्ग होंगे, गरीब होंगे और उन्हीं की बस्तियों का निपातन होगा। मैं समझता हूं कि अगर इसमें बस्ती निपातन की कोई बात है तो उसको बिलकुल हटा दिया जाय। बस्ती निपातन के नाम पर लोगों को हटाकर उस जगह उन आदमियों को बसाया जाता है जिनके पास आलरेडी जमीन है, जो अच्छी रकम देकर जमीन खरीद सकते हैं। जिनका मकान जाता है उनके लिये कोई व्यवस्था उन स्थानों पर नहीं हो सकती जिन पर वह रह रहे थे, यह कहां तक उचित है? हां, बस्ती सुधार की बात आप रख सकते हैं। जहां सुधार के नाते अच्छी सड़कें, नालियों का प्रबन्ध करना और अच्छे जो मकान बने हुए हैं, वह तो बने रहने चाहिए, बाकी जो मकान दलित अवस्था में, जीर्णशीर्ण अवस्था में हो उनके मालिकों को उचित कंपेन्सेशन देकर उन्हीं के द्वारा वहां मकान बनवाया जाय ताकि जिस स्थान से उनकी भावनाएं बाप दादा के नाम से जुड़ी हुई हैं उनको पहले अवसर दिया जाय कि अपने भावों के अनुरूप मकान वहां रहने के लिये बना सकें। आपको तो मालूम है कि "जर-जमीन-जोरू" इन तीन बातों पर महाभारत हो गया, इतना बड़ा युद्ध हो गया कि जिसके कारण यहां की सारी संस्कृति का आधार चला गया। जिस आदमी की जमीन ली जायगी, उसको वहां से निर्वासित करके दूसरी जगह ले जाया जायगा तो उसके दिल से पूछिये कि क्या गुजरती है। यह सरकार जो जनता की सरकार है, जनता की प्रतिनिधि होने का दावा करती है और जनता जो सुविधाएं देने की बात करती है अगर वह कुछ सुविधा नहीं देती है तो उसका जन-प्रतिनिधित्व का दावा किस प्रकार से सत्य हो सकता है? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि निपातन की जो भावना है उसको दूर करते हुए बस्ती सुधार का भाव पूरे तौर से लागू किया जाय।

मैं नगरपालिका, आगरा की विकास परिषद् का चेयरमैन होने के नाते से इन चीजों से संबंधित रहा हूं और मैंने बहुत-सी योजनाओं को वहां देखा। मैंने यह अनुभव किया कि हर आदमी सोचता है कि उसका मकान न लिया जाय और जब कम्पेंसेशन की बात आयी तो उन्होंने कहा कि हमें कोई कंपेन्सेशन नहीं चाहिये, सिर्फ यह सुविधा दो कि हमें पैसा मिल जाय और हम अपनी जगह पर मकान बना लें और वहां रह सकें। अशोकनगर, आगरा में एक कालोनी बनी है। वहां एक छोटी सी बस्ती कुछ अनुसूचित जातियों के आदमियों की थी और उन आदमियों को वहां से हटाना चाहते थे जिनको पहले से ही एक जगह से निर्वासित करके वहां बसाया गया। जब वहां अच्छी आबादी हो गयी तो वहां से उनको फिर हटाने की बात आ गयी। तब उन्होंने जिद किया और मैंने नगर प्रमुख, उपनगर प्रमुख, नगराधिकारी को उनका आशय बतलाया। तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्लाट बनते हैं, इतना बड़ा प्लाट होता है, उनके लिये संभव नहीं है कि वह इतना बड़ा मकान बना सकें, फिर हम कैसे उनको रख सकते हैं? तब उनको सुझाव दिया गया कि अगर उतनी जगह में एक मकान का निर्माण करके खंड बना दिये जांय तो एक ही प्लाट होगा और उसके कुछ उप खंड होंगे, इस तरह से आवास ठीक हो जायगा। चुनांचे मेरी बात मानी गयी और तय हो गया। सब कुछ हो गया, लेकिन कार्यान्वयन करने के लिये ३ साल हो गये। बराबर बात हो रही है, लेकिन उनको न लोन दिया गया और न कोई सुविधा दी गयी हमारी विकास परिषद् या सरकार की तरफ से कि वह स्वयं निर्माण करके उस कालोनी को सक्षम और सुमूर्त बना कर सुख से रह सकें। तो इस प्रकार की क्रियायें या कार्यान्वयन की जो सुस्तियां हैं उनके लिये हमने कौन से नियम या रूल्स बनाये हैं, किस धारा के अन्तर्गत हम उनको दण्ड दे सकेंगे? मेरे सहयोगी श्री बालोजी ने भी इस बात का सुझाव दिया है और इस विधेयक से अपनी विमति प्रगट की है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय विजय सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर माननीय मंत्री जी पुनः विचार करने की कृपा करें और इस विधेयक को ऐसा बनायें जिससे कि गरीब के साथ कोई अत्याचार न हो। इन शब्दों के साथ मैं, जो यह प्रवर समिति में पुनः भेजने का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रस्तुत विधेयक है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं किन्तु मेरे दिमाग में कुछ शक है उनको मैं माननीय मंत्री जी के सामने, आपके माध्यम से रखना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी कुछ उस पर भी प्रकाश डालेंगे। श्रीमन्, इस विधेयक को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिषद् के पास कोई १००–२०० करोड़ रुपये की पूंजी ह और यह परिषद् उस रुपय को खर्च करने के लिये बनायी जा रही है। श्रीमन्, जिस तरह का यह विधेयक है, जो इसके नियम, उपनियम तथा उपबन्ध आदि हं उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इस परिषद के लिये कोई विशेष कार्य नहीं है, और उसी के अन्तर्गत कुछ लम्बे चौड़े अधिकार देने की अनधिकृत चेष्टा सी की गयी है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं और वह यह कि हम कांग्रेस के लोग किन्हीं सिद्धान्तों के ऊपर अपना निर्णय ले चुके हैं, रोजाना लेते भी चले जा रहे हैं और यह बिलकुल स्पष्ट ह कि हमारा लक्ष्य समाजवाद की ओर अग्रसर होने का है और उसके विपरीत कोई कदम इस विधेयक के द्वारा हमारी सरकार को नहीं उठाना चाहिये। अगर उसके खिलाफ कोई विधेयक इस सदन में आता है तो श्रीमन्, हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करें। आज श्रीमन्, वह समय नहीं है कि किसी भी काम के लिये कृषक की भूमि को छुआ जाय। जितनी जमीन इस प्रदेश में बंजर और परती बची है उसी का केवल एक मात्र प्रयोग का अधिकार आपको मिलना चाहिये। काश्तकारी की भूमि को छूने के लिये कोई भी मुआवजे का कानून बनाने की जरूरत नहीं। काश्तकारी की जमीन इतने बड़े अन्न संकट के युग में किसी भी विकास के लिये किसी भी निर्माण के लिये फिलहाल पांच वर्ष छूना बन्द कर दिया जाना अत्यन्त आवश्यक ह। इसलिय मुआवजे का प्रश्न नहीं उठता। जब तक हम खेती की उतनी उन्नति नहीं कर सकते जब तक हम देश में उतना अन्न उत्पादन नहीं कर सकते तब तक चाहे वह औद्योगिक कार्य के लिये हों, चाहे विकास, आवास या किसी भी कार्य की आवश्यकता हो, खेतीवाली भूमि श्रीमन्, न छुई जाये। मैं समझता हूं कि इस प्रदश क लिय यह ज्यादा हित कर होगा और अगर आप छुएं भी तो समाजवादी सिद्धान्तों के आधार के ऊपर आपको मुआवजे का कानून और उसम संशोधन करना पड़ेगा। काश्तकार के लिये ही, क्या कारण है, उसकी जमीन के लिये कानून है, उसकी एक बीघा जमीन या एक एकड़ जमीन जो उसकी है जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, उसके लिये आप एक निरख मुकर्रर कर दें।

इन शहरों में, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों में अभी भी जो टाउन एरियाज हैं, उसके म्युनिसिपल बोर्ड स में आज तक भी इस तरह की जमींदारी खत्म नहीं कर पाये हैं, इतने वर्षों के बाद भी। और वे जमीनों के मालिक एक एक बिस्वा, दो २ बिस्वा जमीन की कीमत हजारों रुपये ले चुके हैं। अब कुछ बाकी नहीं बचा है उस पर सब प्लाट्स बन गये, नीलाम हो गये। अब बारी है काश्तकारी की। काश्तकार के लिय तरह तरह क कानून सरकार की ओर स आ जायें। मुझे मंत्री जी का ध्यान जरुर आकर्षित करना है कि काश्तकार की जमीन आप न लें। किसी काश्तकार के पास अगर दो, तीन या चार बीघा जमीन है और उसकी जमीन इस विधेयक के जरिये ले लें तो उसके भोजन का क्या होगा? श्रीमन्, आज भी १८ वर्षों की स्वतंत्रता के बाद गरीबों के भोजन का प्रबन्ध नहीं हो पाया और शहरों और गांवों का भेद नहीं जा पाया। मैं आपक माध्यम स मंत्री जी स डर कर कह दूं कि गांवों म बड़ी खुशहाली ह, वह इसक विपरीत है। बदकिस्मती है किसी भी मध्यवर्ती जिले की तरफ से आप गुजर जाय तो आपको हजारों झोपड़ियां, कच्ची दीवारों और उन पर छप्पर ही दिखाई देगा। १८ वर्षों की स्वतंत्रता केबाद भी ६४,७०, ७५ फीसदी गरीब जनता का हित नहीं कर सकते हैं जिनके प्रतिनिधित्व करने का हम दावा करते हैं और जिसकी बिना पर हम सिद्धान्तों के आधार पर यहां बैठे हैं। इतनी बड़ी इन्डियन नैशनल कांग्रेस का संगठन चला रहे हैं और उसकी दिल्ली में सरकार और प्रदेशों में सरकार बनाये बैठे हैं। लेकिन श्रीमन्, ७५ फीसदी

[श्री जे० पी० मिश्र]

८० फीसदी जनता की १८ वर्षों में भी आप आवास और उनके रहने का, जिसके लिये आप वचनबद्ध है, इन १८ वर्षों में भी वह प्रतिज्ञा हम पूरी नहीं कर पाये। स्पष्ट बात यह है। हम सिद्धान्त के आधार पर सरकार और सरकार के मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कोई भी आप कानून लायें पहिले बहुमत के लिये लाये कारपोरेशन्स के लिये कानून आप लाते हैं, म्युनिसिपैल्टीज के लिये कानून आप लाते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के लिये कानून आप लाते हैं, टाउन एरियाज और नोटिफाईड एरियाज के लिये आप कानून लाते है, गिरधरपुर, रामपुर, मंसूरपुर इन लाखों गांवों के लिये आप कानून क्यों नहीं लाते हैं। १८ वर्षों में भी हम और हमारी सरकार के ८० फीसदी जनता के आवास के लिये कोई कानून आज तक नहीं ला सकी है। एक समाजवादी विचारक के नाते मेरी मजबूरी है सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये कि श्रीमन्, बन्द कीजिये १० फीसदी, १२ फीसदी और १३ फीसदी के इन्तजाम को। लाइये, ८० फीसदी, ८५ फीसदी के इन्तजाम के लिये जिनके आधार पर हम यहां पर चुन कर बैठे है और राज्य का संचालन करते है। आज से लेकर जितने प्रस्ताव हमने पास किये गये है। उन प्रस्तावों की तरफ श्रीमन्, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। योजनायें बनीं, तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आगे है। मजदूरों और किसानों के साथ जो हमने वायदे किये है उन वायदों की तरफ मैं सरकार का और मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भगवान के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर और गांधी जी के नाम पर अब आप कृषकों की जमीन को छूना बन्द कर देवें और अगर आप उसकी जमीन को छूयें तो उनके भोजन का उनके भरणपोषण का, उनके बाल बच्चों का सारा इंतजाम आपके जिम्मे है। किसी मेहतर की झोपड़ी को आपने मलिन बस्ती करार दिया और आपके आवास कमिश्नर ने हुक्म दे दिया कि इसको खोद कर फेंक दो तो अभी तो किसी तरह से कच्चा पक्का फूस का छप्पर रखा है, उसके बाद वह भी नहीं रहेगा। आप परिषद् को इतनी आटोनामी दे रहे हैं कि अगर परिषद् का आवास कमिश्नर हुक्म दे दे तो उनका झोपड़ा खोद कर फेंक दिया जायगा। खोदना तो आसान है, उसका को कानून आपने बना दिया, लेकिन उनके रहने के लिये कोई कानून आपके पास है या नहीं है? माननीय ऊदल जी कह रहे थे कि एक मंजिला, दो मंजिला, छः मंजिला, ८ मंजिला, अठारह मंजिला, साठ मंजिला तक मकान हो सकते है। लेकिन उस साठ मंजिला मकान में उस मेहतर को रहने के लिये कोई जगह नहीं देता। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदया से कि आज जिस घिस्सू मेहतर का मकान आवास कमिश्नर ले लेंगे उसको क्या आप उस साठ मंजिला मकान में जगह दिलायेंगी अगर दिला भी दिया तो उसकी हैसियत नहीं है कि वह किराया अदा कर सके। इसलिये मेरे दृष्टिकोण से जो जहां इस वक्त रह रहा है, उससे उसको उजाड़ने से पहले उसके रहने का इन्तजाम किया जाना चाहिये।

क्या कानपुर शहर के स्लम, क्या लखनऊ के स्लम, क्या बनारस और इलाहाबाद के स्लम और क्या मेरे गांव भगवन्तनगर के स्लम में फर्क है? इसके माने यह है कि आप दो नजर से देख रहे है उस गरीब जनता को जो गांवों में रहती है और उस जनता को जो शहर में रहती है। यह मेरे अपने विचार है एक समाजवादी के नाते और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह मेरे विचारों की सफाई दें। आपको समाजवादी दृष्टिकोण से देखना चाहिये। अब श्रीमन्, वह समय नहीं बचा है कि हम यह कहें कि हम समाजवाद की स्थापना से पीछे है, हम समाजवादी आधार के ऊपर कानून नहीं ला सकते। हमारी इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने अबादी से लेकर आज तक फैसला कर दिया है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और उसके बाद सीधे समाजवाद की स्थापना पर आ गये है, इसलिये मेरी मांग है कि जो जो भी विधेयक आज सरकार की तरफ से आये वह बिलकुल समाजवादी भावना से ओतप्रोत होना चाहिये। यह एक सैद्धान्तिक बात है, कोई व्यक्तिगत प्रश्न मेरा, तेरा, उनका या किसी का नहीं है। यह सरकार और यहां कांग्रेस प्रतिज्ञाबद्ध है समाजवाद की

स्थापना के लिए और समाजवादी दल इस विधेयक में किस तरह से है यह मैं जानना चाहता हूं। इस परिषद् के पास अधिक से अधिक करोड़ दो करोड़ की पूंजी हो सकती है और सारे अधिकारो का विकेन्द्रीकरण आप करने जा रहे हैं। आपने ग्राम पंचायतों का निर्माण किया, आप इकाइयां बना रहे है चौखम्भा, उपखम्भा और छः खम्भा राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं। क्या कारण है कि इस परिषद् के आयुक्त के पास सारी ताकतें, सारी शक्तियां, दी जा रही हैं? जो चाहे वह कर सकता है, चो चाहे परिषद् कर सकती है। इस किस्म की मांगें, समाजवादी उद्देश्य के बिलकुल विपरीत है। इसलिए मैं मंत्री जी का और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ठीक है, हम आपके आज्ञाकारी हैं हम आपके हुक्म की तामील करेंगे, लेकिन जो हमारे विचार हैं, जो हमारे सिद्धान्त हैं, और जिनकी बिन पर हम आज देश में संगठित हैं, जिनके ऊपर हमारी दिल्ली की सरकार और प्रान्तीय सरकार चल रही हैं यह सिद्धान्त विशुद्ध समाजवाद का है। वह सिद्धान्त विशुद्ध समाजवाद है, अगर उस सिद्धान्त के खिलाफ एक भी धारा आप इस विधेयक में लाये हैं तो वह डिलीट हो जाना चाहिये, जो भी कानून बने नियम बने उपनियम बनें, वे सब आपकी डिक्लेयर्ड नीति के आधार पर ही होने चाहिये। अगर हम उस पर नहीं चलते तो हमसे वह गरीब जनता अलग हटती जायगी। आज की हालत में मोटे बिजनेसमैन की जमीन तो अब जाने वाली है नहीं क्योंकि उसका तो उसने पैसा सीधा कर लिया है, अब जो जमीन जायगी वह गरीब की जायगी। इसलिये मैं पुनः माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि इसमें एक क्लाज इस प्रकार का जोड़ दिया जाय कि कृषकों की भूमि नहीं ली जायगी अथवा १००, २०० या १००० आमदनी वाले तक की भूमि नहीं ली जायगी। इससे समाजवाद का प्रतिपादन हो जायगा और हम भी इस बिल का बड़ी खुशी के साथ समर्थन करेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो भी हम आपकी बात का समर्थन तो करेंगे लेकिन रास्ता बता देना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं। अगर हम आपके मुंह को किसी सही दिशा में मोड़ सकते हैं तो मोड़ने का प्रयत्न करते हैं।

मैं अन्त में माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस परिषद् के अधिकार कितने होंगे, डिक्लेरेशन और नोटीफिकेशन कहां से होगा और क्या यह परिषद् जो योजना बनायेगी वह क्या इस विधान सभा में आयेगी और क्या वह इस विधान सभा के द्वारा स्वीकृत होगी अथवा परिषद् को पूरे अधिकार हैं कि वह कोई योजना बनाये और उसको कार्यान्वित करे? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इन पर प्रकाश डालें। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का खुले हृदय से खुला समर्थन करता हूं।

श्री कृष्णानन्दराय--

श्रीमन्, यह विधेयक १६, १७, १८ और २० तारीख को विवाद के लिये रखा गया है। १९ और २१ तारीख की छुट्टी है। मैं सरकार से और सदन के सब सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि २० तारीख को भी छुट्टी हो जाय और इस विधेयक पर विवाद १६, १७, और १८ इन तीनों दिनों में ही सीमित कर दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा--

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सब सदस्यों की यह इच्छा है कि २० को छुट्टी कर दी जाय और इस विधेयक पर विवाद तीन दिनों में ही समाप्त कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस बिल पर विवाद १८ तारीख तक समाप्त कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, २० तारीख की छुट्टी की बात भी इसी में थी. . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, इस प्रस्ताव में यह भी है कि २० की छुट्टी रहेगी, इस के साथ ही यह प्रस्ताव पास हुआ ।

श्री विजयसिंह--

श्रीमन्, मैंने जो प्रस्ताव किया था उस पर इधर के माननीय सदस्यों ने तथा उधर के माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये उन सब का मैं आभारी हूं और सब को धन्यवाद देता हूं । मैं बहुत थोड़ा समय आप का लूंगा । मान्यवर, मैं आप का ध्यान आकृष्ट करूंगा जैसा कि अभी कई माननीय सदस्यों ने भी कहा और जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों में भी स्पष्ट है कि देहाती क्षेत्रों से बहुत लोग शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं । ऐसा क्यों है ? जिस सिद्धान्त के लिये यह विधेयक आया है, और जिस चीज की पूर्ति के लिये विधेयक आया है उस का मूल कारण क्या है ? अगर इस चीज पर ठीक से विचार होता तो सम्भवत: इस विधेयक को लाने की आवश्यकता न होती । हमारी ८० प्रतिशत जनता देहात में रहती है और २० प्रतिशत ही शहरों में रहती है और यह ८० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आ रही है। इसका कारण यह है कि उन की ओर सरकार का उचित ध्यान नहीं है उन का वहां उचित सम्मान नहीं है और उनकी शिक्षा भी ऐसी नहीं है कि वह देहात में इतना धन पैदा कर सकें और ठीक तरह से जीविकोपार्जन कर सकें उनके पास कोई अच्छे उद्योगधन्धे हों जिससे सुखी जीवन बिता सकें। माननीय फूल सिंह ने बताया कि चौथी योजना में ७०० करोड़ रुपया शहरी मकानों के लिये और केवल १०० करोड़ रुपया देहाती मकानों के लिये रखा गया है । इससे मालूम होता है कि देहात की जनता के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार किया गया है । इस विधेयक को इस रूप में नहीं आना चाहिये था और अगर उन को किसी शहर से विशेष मोह है और कहीं की विशेष तरक्की करना है तो जैसा कि विदेशों में होता है और जैसा कि रूस, अमरीका और फ्रान्स आदि में होता है कि छोटे छोटे बोर्ड ऐसे विशेष कार्यों के लिये बनाये जाते हैं और उन के द्वारा विकास कार्य होते हैं, वहां छोटे से प्लानिंग बोर्ड बनाये गये हैं जैसे फ्रान्स में मोबेंट प्लान बनी है । इस तरह के विस्तृत विधेयक की इस काम के लिये आवश्यकता नहीं थी । यह कार्य छोटे छोटे बोर्डों से किसी विशेष क्षेत्र की उन्नति के लिये सम्पादित कराया जा सकता था ।

अत: पूरे सूबे भर के लिये एक प्लानिंग बोर्ड बनाना इस तरह से आवश्यक नहीं था । आज जब सारी स्कीम्स सिद्धान्तत: ग्रामों से आरम्भ होती हैं यहां भी वही करना चाहिये था । लेकिन हमें दुख है कि वह स्कीम्स भी कार्यान्वित नहीं होतीं जैसे अलीगढ़ की पैकेज स्कीम थी उस तरह से मकानों की देहातों में और शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था करनी थी तो प्रदेश के छोटे छोटे क्षेत्र लेकर के उन को डेवलप करना था ।

अब लैंड एक्वीजीशन के सम्बन्ध में जो कहा गया, अभी मुझे मालूम हुआ है कि लखनऊ में ही दो एक बस्ती ऐसी हैं जहां पर गरीब लोग रहते हैं, उन को नोटिफाई कर के सरकार उनकी भूमि एक्वायर कर के उन लोगों को भगा देती है और कोई दूसरी जगह वहां के लोगों को भी नहीं देती और इस प्रकार के पुनर्वास का कोई प्रबन्ध भी नहीं होने पाता है । इस विधेयक में भी जो इस तरह के अधिकार दिये गये हैं वह बहुत खतरनाक हैं और उन से गरीबों का हित नहीं होगा ।

आप योजनायें बनाते हैं लेकिन उसके लक्ष्य तो पूरे ही नहीं होते हैं । हमारी तीसरी योजना खत्म हो रही है और उसके लक्ष्य अभी पूरे नहीं हुये हैं । अगर यही स्थिति रही तो हम किसी भी प्लान को पूरा न कर सकेंगे । हम अपनी, अगली चतुर्थ पंच वर्षीय प्लान बनाने से पहले अपनी पहली तृतीय पंचवर्षीय प्लान के काम को तो पूरा करें । हमें जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना था पहले उनको पूरा किया जाय, कोई काम बकाया में न रहे, पहले एरियर को पूरा करें और तब नई प्लान को हाथ में लें । उधर के वैसे से भी प्लान को अधूरा छोड़ कर चतुर्थ नीति नहीं है ।

मकानों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में माननीय ऊदल ने कहा कि कानपुर में मजदूरों के लिये मकान बने और उन का किराया इतना ज्यादा रखा गया कि साधारण मिल मजदूर या दूसरे लोग या मध्यम वर्ग के कर्मचारी उनमें नहीं रह सकते और वह किराया भी नहीं दे सकते, वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते ।

कारण यह है कि उनको ज्यादा किराया देना पड़ता है, जिसके भार को वे नहीं संभाल पाते हैं । हमारी सरकार इन मकानों के बनवाने में लाखों रुपया लगाती है । पर इन से गरीबों और मध्यम श्रेणी के लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंचा पाता है । बल्कि होता यह है है कि बड़े बड़े लोग किसी दूसरे के नाम एलाट कराके अधिक किराये पर ले लेते हैं । किरायेदार कोई और होता है और रहने वाला कोई और होता है । इस प्रकार वास्तविक मंशा को पूरा नहीं हो पाता ।

जहां तक मेरे प्रस्ताव का सम्बन्ध है, श्रीमन्, जो मैंने प्रस्तुत किया मैं समझता हूं कि सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने इसका समर्थन किया है । किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा है कि इसको प्रवर समिति में न भेजा जाय । इससे मैं यहीं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस विधेयक में बड़ी बड़ी कमियां है और इन्हें केवल इसको प्रवर समिति में पुनः भेजने से ही दूर किया जा सकता है ।

श्रीमन्, इस बिल में कमियों के सम्बन्ध में माननीय कन्हैयालाल जी ने कहा है कि इस बिल के अन्दर व्यवस्था की गयी है कि आफिशियल्स को ज्यादा बढ़ाया जाय ताकि वे मकान गिराने का काम अच्छी तरह से कर सकें । उनका कहना सही नहीं है । हमारे शहर लखनऊ में हजरतगंज से अमीनाबाद तक हमारे मेयर और डिप्टी मेयर, जो कि नौन आफिशियल्स ही हैं, ने जो अनअौथोराइज्ड एन्क्रोचमेंन्ट थे हटवा दिया तो इसमें अधिकारियों के रखने की क्या बात है । नियम की बात है । केवल यह कहना कि औफिशियल्स ही इस काम को कर सकते हैं, कुछ न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

श्रीमन्, हमारे माननीय राय जी ने भी यह कहा कि बिल जैसा है, हमें सन्देह है कि इससे कितना काम कर पायेंगे और कहां तक वे सफल होंगे । अतः इस बिल पर गम्भीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है । माननीय मेयर साहब ने भी एक बात कही कि इस प्रकार से जो सैकड़ों एकड़ जमीन जिसमें आपके भोजन के लिये अनाज बोया जाता है, उस जमीन को आप एक्वायर कर लेते हैं । क्यों नहीं आप दो मंजिलें, ३ मंजिलें मकान बनवाते हैं । इस प्रकार की इस बिल में जो कमियां हैं उन पर विस्तृत रूप से तभी विचार हो सकता है कि जब इस विधेयक को प्रवर समिति में पुनः भेजें । इस बिल के सम्बन्ध में माननीय मिश्रा जी ने भी कहा है कि इस बिल में बड़ी कमियां हैं । उन्होंने बड़े दबे दिल से कहा है कि यद्यपि इस बिल में बहुत कमियां हैं पर फिर भी हमें तो इसका समर्थन करना ही पड़ेगा । अतः इस बात की आवश्यकता है कि जो संशोधन मैंने रखे हैं उनको लाने के लिये इसको सदन की संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि इस पर पुनः विस्तृत रूप से विचार हो सके और यह देखा जा सके कि क्या इस बड़ी पुस्तिका में ही काम चलता है या किसी छोटे से विधेयक से भी काम चल सकता है । इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस प्रस्ताव की पुष्टि करता हूं और आशा करता हूं माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव से सहमत हो जायेंगे और मेरे संशोधन को मान लिया जायगा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने आज इस वाद विवाद में भाग लिया है और खास तौर से माननीय विजय सिंह जी का, जिन्होंने यह संशोधन इसमें रखा है लेकिन मुझे दुःख है कि मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता । वह इसलिये कि वह संशोधन स्वतः कुछ ऐसा है कि जिससे कोई भी मतलब हल नहीं होता है । उन्होंने संशोधन में सिर्फ यह कहा है कि इस विधेयक को कि फिर इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय । संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के सामने है और इसमें करीब करीब ४, ५ आदमियों को छोड़ कर सर्वसम्मति से यह प्रतिवेदन आया और जिन्होंने विमति टिप्पणी दी है वे ज्यादातर वे सज्जन हैं जो आज नहीं हैं । माननीय हिम्मत सिंह, माननीय रक्षपाल सिंह, बालोजी अग्रवाल आदि और माननीय विजय सिंह जिस दल से सम्बन्ध रखते हैं उसके भी प्रतिनिधि, उनसे ज्यादा सामने वाले इस संयुक्त प्रवर समिति में सदस्य थे । उन्होंने कोई विमति टिप्पणी नहीं दी, उन्होंने इस प्रतिवेदन को स्वीकार किया है । जो विमति टिप्पणी दी गयी है उसमें करीब करीब वह चीजें हैं जो माननीय विजयसिंह ने उठायी हैं और जैसा फूल सिंह जी ने कहा एक सैद्धान्तिक चीज हर चीज के लिये कही जाती है कि वह प्रजातांत्रिक नहीं है । मैंने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुये कहा था कि उद्देश्य एक ऐसी परिषद् बनाने का है जो कि मकानों की भारी कमी है उसको दूर करने का काम करे और साथ साथ विकास का कार्य भी हो और मकानों की कमी को जल्दी से जल्दी वह पूर्ण कर सके । वहां प्रजातांत्रिक ढंग की जरूरत होती है वहां वैसी संस्थायें बनायी जाती है, वह डेलीबरेटिव बाडीज होती हैं । लेकिन जहां कार्यकारिणी होती है वहां चुनाव का झमेला रखना ठीक नहीं होगा । इस विधान सभा के मातहत तो हर चीज है अतः वह भी गवर्नमेन्ट के माध्यम से आपको जवाबदेह होंगे । यह कहना कि वहां चुनकर आदमी भेजें यह ठीक नहीं रहेगा । इस संस्था में सरकार द्वारा नामजद लोग होंगे और गवर्नमेन्ट आपके प्रति जिम्मेदार है इसलिये सारी संस्थाओं के बारे में यहां विचार किया जा सकता है । तो जिस तरह से यह परिषद् चाहिये वह नहीं हो सकती, उस तरह से जैसे माननीय फूलसिंह ने कहा था ।

इसके अलावा मैं यह भी बता दूं कि यह संस्था बन रही है इसमें हमने यह कोशिश की है कि गैरसरकारी आदमियों की प्रधानता रहे ताकि कोई भी मामला हो तो उसमें जनता का दृष्टिकोण आगे रहे । इसलिये मद्रास के पैटर्न को लेते हुये हमने इस बात की तरमीम रखी है कि अध्यक्ष गैरसरकारी होगा, गैरसरकारी सदस्यों का बहुमत होगा और सरकारी सदस्य वही होंगे जो मदद कर सकते हैं, गवर्नमेन्ट में ज्यादा दिनों कोई चीज न पड़ी रहे, फौरन फैसला हो सरकार का जो व्यू प्वाइंट है वह सेक्रेटरीज अपने अपने विभाग के इस परिषद् को बता सकें और जो मदद सरकार के देने की है वह दिलायी जा सके । इसलिये इसका गठन हुआ है ।

तीसरी बात माननीय विजय सिंह ने कही थी कि इससे इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी । मैं नहीं जानता कि किस कारण से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी । अगर इधर-उधर से चुनाव करके, सारे म्युनिसिपैलिटीज में या उन सारी जगहों में जहां कि हाउसिंग बोर्ड्स हैं, हर म्युनिसिपैलिटीज में उनका चुनाव हो और उनको लेकर यह परिषद् बने तब शायद उनके खयाल से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी । लेकिन असली उद्देश्य तो यह है कि मकान जल्दी से जल्दी बन सकें, भवन जल्दी से जल्दी बन सकें, इस तरीके से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है । एक सही बात कही गयी और जैसा कि श्री फूल सिंह ने भी स्वयं कहा था कि यह इतना बड़ा काम है, उसके लिये क्या इस संस्था में इतनी क्षमता है कि उसको वह पूरा कर सकेगी । मैं कहता हूं कि इस चीज को हमें व्यावहारिक दृष्टि से लेना चाहिये । उन्होंने कहा कि ७ करोड़ मकान की जरूरत है शहरों के लिये । अब आप समझें कि अगर ये सारे मकान हम आज बनवाना चाहें तो हमारे प्रदेश का सारे का सारा बजट और केन्द्रीय सरकार का बजट भी अकेले मकानों के बनवाने में ही लग जायगा । लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से भी हमको देखना होता है कि सरकार की तरफ से या सरकारी प्रयत्नों से जो मकान बनते हैं उनके अतिरिक्त भी जनता की तरफ से भी मकान बनाते हैं । बहुत से लोग अपना मकान

बनाते हैं । सारा काम सरकार ही नहीं ले सकती है इसलिये जो कमी रह जाय और जो योजना के अन्दर साधन हो, उसे ही सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये । उन्हीं योजनाओं के लिये इसमें प्राविजन है कि जिसमें इसका प्राविधान है कि हम ज्यादा से ज्यादा उनको साधन दे सकें ताकि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो ।

इसके अलावा इसमें प्राविधान किया गया है कि जो सारे अनुदान केन्द्रीय सरकार से मिलते हैं भवन निर्माण योजनाओं के लिये और यहां का जो अनुदान होता है भवन निर्माण योजनाओं के लिये, भवन निर्माण के बाद वे सब इसी परिषद् की सम्पत्ति हो जायगी और उसके पास टैक्स के रूप में डेवलपमेंन्ट लेवी का पैसा भी आयेगा । इसके बाद परिषद् कर्जा भी ले सकेगी क्योंकि अब तो उसके पास साधन हो जायेंगे और इस तरह से उसके पास भवन निर्माण सम्बन्धी जितनी योजनायें होंगी उसको वह जल्दी से जल्दी पूरा भी करा सकेगी । यह बात ठीक है कि १२ करोड़ की रकम जो इसमें रखी गयी है वह बहुत कम है लेकिन फिर भी नानप्लान्ड स्कीम के लिये ३.६६१ करोड़ की रकम रखी गयी है और इस तरह से कुल मिला कर करीब २७–२८ करोड़ रुपया यह होगा । अब जैसा कि मैंने अर्ज किया जो और स्कीम्स आयेंगी वे भी इसमें आयेंगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में इसमें काफी काम होने को है और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम साधनों की कमी के कारण ही यह काम नहीं हो पाता था लेकिन अब यह होगा कि हम उन उद्देश्यों की पूर्ति करें । जितना कि आप कहते हैं, हम चाहते हैं कि जितनी कमी मकानों की है वह सब पूरी हो जाय । लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि प्राथमिकता की जरूरत है । पहले खाना चाहिये, फिर कपड़ा और बाद में मकान । सबसे पहले चूंकि खाने की जरूरत है तो उसे प्राथमिकता देनी पड़ेगी । इसलिये कृषि से सम्बन्धित जो योजनायें हैं उनको प्राथमिता देनी होती है । फिर जो बचेगा उस बजट से उसमें ज्यादा से ज्यादा मकान के लिये किया जायगा । इसके अलावा साधन होने पर कर्जे के द्वारा, डिबेन्चर्स के द्वारा मकानों की व्यवस्था की जा सकती है । जो महापालिकाओं की अलग अलग स्कीम्स हैं और जो पूरी नहीं हो सकीं इस परिषद् के बन जाने पर भवन निर्माण की सारी योजनायें तेजी से चलेंगी । इस तरह से आप देखेंगे कि यह विधेयक मकानों के निर्माण में काफी हद तक सहायक होगा, खास कर शहरों में जो मकानों की कमी है उसकी यह पूर्ति करेगा । यह कहा गया कि देहात को इग्नोर किया, केवल शहर के लोगों की तरफ ही ध्यान दिया गया है तो ऐसी बात नहीं है । देहात का आदमी भी शहर में रहता है । देहात में उतनी मकानों की कमी है नहीं जितनी शहरों में है चाहे वह शहरों में मजदूर की हैसियत से, छोटे तबके के लोगों की हैसियत से बस गये हों, चाहे माध्यम वर्ग के लोग हों, चाहे किसी रोजगार के कारण आये हों, चाहे नौकरियों के कारण शहर में आ गये हों । शहरों की आबादी बढ़ रही है, आज अर्बनाइजेशन हो रहा और किसी भी प्रगतिशील देश का यह लक्षण है कि जैसेशहरो की आबादी बढ़ती जायगी, उसकी प्रगति होती जायगी । जैसे जैसे उद्योग धन्धे बढ़ते जायेंगे, जैसे जैसे रोजगार बढ़ते जायेंगे शहरों की आबादी बढ़ती जायगी और गांव भी शहर बनजायेंगे और वह होना भी चाहिये । मैं भी यह मानता हूं कि जितनी तेजी से शहरों की आबादी बढ़ेगी उतनी तेजी से उसकी प्रगति होगी, यह कोई बुरी बात नहीं है कि गांव के लोग शहर में आये । जो प्रगतिशील देश हैं उनके यहां शहरों की आबादी अनुपात में देहातों की आबादी से बढ़ी है ।

समाजवाद का भी हल इसके जरिये होगा । जहां जरूरत है और जहां उस जरूरत की पूर्ति हो वहां उसे किया जाय । जहां अब आबादी बढ़ रही हो वहां मकान बनाये जायं । फिर अगर गवर्नमेन्ट पक्के मकान गांव में बनाने बैठे तो सारे काम ठप्प हो जायेंगे । अपने सूबे में डेढ़ लाख के लगभग गांव हैं और उनकी आबादी ७, ८ करोड़ है । ३, ४ आदमियों की एक फैमिली मान ली जाय तो २ करोड़ मकानों की जरूरत होगी तो कैसे ये मकान बन सकते हैं ? मैं माननीय केशरी प्रसाद जी की इस बात से अवश्य सहमत हूं कि आगे जो मकान वहां बनाये जायं वे पक्के बनने चाहिये । पुराने जमाने की बात और थी । दो दो पीढ़ी तक कच्चे मकान चल जाते थे क्योंकि उनका आसार करीब दो, दो गज के होता था । कालपी में मकान बना हुआ है उसके आधार में २ चारपाई आ सकती हैं । आजकल मेटीरियल की कमी है लिहाजा हम बड़े

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

आसार नहीं बना सकते । प्राइवेटली लोग कच्चा मकान बनायें उनके लिये देहातों में अथवा शहरों में कोई रोक नहीं है लेकिन सरकार पक्के मकान ही बनवायेगी । पक्के मकानों के लिय ही शिकायत होती है । कच्चे मकान प्राइवेट लोग बनायें तो मुमकिन है कि दो पीढ़ी चल जायं लेकिन अगर सरकार की तरफ से बने तो दो साल तक चलना मुश्किल हो जायगा । इसलिये मैं यह मानता हूं कि माननीय फूलोसह जी की आदर्शवाद की बात है । हमें तो मकान ऐसे बनाने चाहिये जिससे छोटे लोगों का प्रबंध हो सके । इसी तरह से योजना की गई ।

इस परिषद् का एक काम यह भी है कि यह ऐसे शोध कार्य करे जिससे सस्ते और अच्छे मकान बन सकें । मकानों को ऐसे डिजाइन तैयार करे और ऐसे मेटीरियल की शोध करे जिससे सस्ते और अच्छे मकान बन सके । जैसे अन्य चीजों में हम विदेशों के अनुभव से फायदा उठाते हैं उसी तरह से हम अपने यहां की परिस्थिति को देख कर लोगों को सस्ते मकान दिलायें । दूसरे जो सामान की कमी है उसको पूरा करने के लिये इसको साधन मुहैया करने चाहिये । चाह यह अपना भट्टा लागाये या लोहे तथा सीमेंट का स्टाक रखे । अपनी जरूरत के बाद यदि यह पब्लिक को दे सके तो दे । जहां तक भवन निर्माण का काम है इसका महत्वपूर्ण कार्य है ।

अभी मुआवजे देने की बात कही गई । मैं माननीय ऊदल जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मुआवजा देने की हमारी नीति रही है । हमने जमींदारियां तोड़ी उनका भी मुआवजा दिया और सरकार की नीति रही है कि यदि किसी की कोई चीज ली जायगी तो उसको उसका मुआ-दिया जायगा और शहरों में तो मुआवजा बाजार भाव पर दिया जाता है । हमारे रूल्स में भी यह लिखा हुआ है । लेकिन बाजार भाव से मुआवजा तय करने में कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है । इसके लिये भी विचार हो रहा है मंत्रि परिषद् में कि ऐसे नियम बना दिये जायं जिससे दिक्कत न हो ?

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

बाजार भाव से आपका क्या मतलब है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं अर्ज कर रहा था कि इसको मुकर्रर करने में दिक्कत होती है । हम विचार कर रहे हैं कि ऐसे नियम बना दिए जायं जिससे कोई बड़ा फर्क न मालूम हो । जो सदन की भावना है उससे सरकार भी सहमत है कि गरीब लोगों को खासतौर से पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी कहा कि हमारी नीति है कि जिससे कोई चीज ली जाय उसको उसका मुआवजा दिया जाय । आपने जमींदारी का उल्लेख किया । इसमें जो छोटे जमींदार थे उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है । मैंने कहा था कि जिसके पास एक बीघा जमीन है उसी पर उसकी जीविका चलती है । अगर आप उसकी जमीन ले लेते हैं तो उसको मुआवजा तो देंगे, लेकिन उसके पुनर्वास की क्या व्यवस्था कर रखी है ? यदि आप उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उसका पेशा छिन जायगा और वह कहीं का नहीं रहेगा ।

श्री चर्तुभुज शर्मा--

यह तो बहुत सी बातें हैं । कानूनी अड़चने भी होती हैं । लेकिन आम नीति बता दी है कि सरकार की मुआवजा देने की नीति है और पर्याप्त रूप में देने की मंशा है । यह तो छोटी सी चीज है । इसका उद्देश्य सड़कें बनाना, मकान बनाना तथा मैटीरियल इट्ठा करना है । यह तो छोटा सा अंग है । फूलसिंह जी ने दो बातें कहीं थीं । मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने बहुत सी बातें सदन को बतायीं । उन्होंने क्षमता की भी बात कही । इस परिषद् को क्षमता दी जाय तो उसका सदुपयोग होगा, उससे दो तीन गुना क्षमता इस परिषद् को जायगी ।

दूसरे उन्होंने कहा कि कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा । मकानों का प्लान तो है ही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है। उसमें हाउसिंग का अलग अंग है। उसके लिए रुपया रखा हुआ है। उसके अलावा अलग अलग महापालिकाओं की अपनी योजननायें हैं मकान बनाने की। उनका जो रुपया होगा वह एक जगह पूरा हो जायगा । जो बड़े-बड़े शहर हैं उनमें मास्टर प्लान बने हुए हैं, जैसे लखनऊ में। हम चाहते हैं कि दूसरे बड़े बड़े शहरों में भी हर जगह योजनायें बनवाने की कोशिश करें, अपने विभाग से। हर शहर अपना मास्टर प्लान तैयार करवाये ताकि विकास सुव्यवस्थित ढंग से और शीघ्र हो। तो जितनी योजना हो सकती है, साधनों के अनुसार, उसके लिए कार्य किया जा रहा है।

श्री बलवानसिंह--

एक आने गज तो कपड़ा भी नहीं आता।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात सुन लें। फूलसिंह जी ने एक बात और कही। प्रदेशीय सरकार में और बोर्डों में उन्होंने बताया कि यह यह कमियां हैं। मैंने सब बोर्डों, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वेयरहाउसिंग बोर्ड आदि, का विधान नहीं देखा है। मैं यह नहीं कह सकता कि उनमें क्या कमियां है। हम ने इस बिल में यह जरूर, गुंजाइश रखी है कि अगर हमारी योजना के अनुसार परिषद् में कार्य नहीं होता है तो अध्याय १० में, धारा ९२ में प्राविजन रखा है --

> "(२) राज्य सरकार परिषद् को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या इष्टकर हों, और तदुपरांत परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का पालन करे।
>
> (३) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी स्थानीय प्राधिकरण को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में, परिषद् को इस अधिनियम को प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समर्थ बताने के निमित्त आवश्यक या इष्टकर हों, और तदुपरांत स्थानीय प्राधिकरण का यह कर्त्तव्य होगा वह ऐसे निदेशों का पालन करें।"

यहां तक हमने रखा है कि अगर परिषद् जिन उद्देश्यों और कार्यों के लिए बनी है वह पूरा नहीं करती तो उसको हम खत्म कर सकते हैं।

जब हमने उनको अधिकार दिया है और एक काम सौंपा है तो मैंने इसमें यह प्राविधान भी रखा है कि वह इन कामों को हमारे डायरेक्शन के साथ करें और यदि वह ऐसा न करें तो हम उस परिषद् को समाप्त कर दें और कोई दूसरी नई व्यवस्था करें। तो जहां तक हो सकता है वह चीजें इसमें रखी गयी है। अभी एक चीज कही गयी कि इसमें देहातों का काम छोड़ दिया गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं यह देहात भी इसमें शामिल है, इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि इसमें सिर्फ शहर ही आएंगे और गांव को छोड़ दिया जाएगा। दूसरी चीज यह कही गयी थी कि यह सारे प्रदेश में एक साथ क्यों नहीं लागू की गयी है। इसमें भी ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, वह सारे प्रदेश में भी एक दम से लागू हो सकती है। लेकिन एक बात कहीं जाती है कि एक दम से हम इसे सारे प्रदेश पर लागू करें और उस पर खर्च करें और काम कहीं न हो उसमें हमारे धन का कितना दुरूपयोग होगा, यह आप सोचें। क्योंकि धन तो हमारे पास सीमित ही है और हमने काम को इतना फैला दिया कि सब स्थानों पर धनाभाव के कारण स्कीम फेल हो गई तो उससे क्या लाभ

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

होगा । हम जहां चाहे सारे प्रदेश में इसे शुरू कर सकते हैं । जहां-जहां इसकी जरूरत होगी। यह लागू कर दी जाएगी, लेकिन धीरे धीरे सीमित साधनों का ख्याल रखते हुये । इसमें किसी तरह से यह नहीं है कि यह केवल शहरों में रखना है । जनसंघ के माननीय सदस्यों की ओर से विमति में जो टिप्पणी दी गयी है, उसके सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहता हूं ,उन्होंने जो कहा कि जो इकाइयां वहां बनें उनको पूरी ताकत होनी चाहिये । हमारे नायर साहब भी यह कह रहे थे । लेकिन इस टिप्पणी में जो उन्होंने अपना नोट दिया है कि उनको पूरी पावर होना चाहिये किन्तु उनकी वर्तमान अवस्था को देखते हुए यह किसी भी तरह उचित नहीं है कि उन्हें पूरा-पूरा अधिकार दिया जाये । जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे, मैंने कोशिश की कि उनकी सारी शंकाओं का मैं समाधान करूं और मैं समझता हूं कि उनका अवश्य हल मिल गया होगा और मेरे ख्याल से इस विधेयक पर विचार होना चाहिये, जो संशोधन दिये गये हैं वह स्थिति को ठीक नहीं कर सकेंगे । जो माननीय सदस्य दूसरे दलों के थे उन्होंने उसका विरोध नहीं किया है । जिन साहब ने विमति की टिप्पणी दी है या जो सुझाव दिये गये हैं, वे इसके खिलाफ पड़ते हैं, इसलिये इसका कोई असर नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं आपके सामने मूल प्रस्ताव पढ़ूंगा। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, विधेयक, १९६५ जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक लेखा समिति, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिड वाइव्ज कौंसिल के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री उपाध्यक्ष—

अब एक सूचना मुझे आपको देनी है, जो इस प्रकार से है—इस सचिवालय के पत्र संख्या ६५८७/४२(स)–६५, दिनांक २ अगस्त, १९६५ के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि "लोक लेखा समिति" के १ सदस्य (श्री गेंदासिंह के रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु) "उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड" के ३ सदस्य (जिसमें एक महिला होगी)तथा' 'उत्तर प्रदेश नर्सेज ऐन्ड मिडवाइफ कौंसिल" के २ सदस्यों के निर्वाचनों के हेतु प्राप्त नाम निर्देशनों की सूक्ष्म –परीक्षा नियत समय पर की गयी और सब नाम निर्देशन –पत्र (सूची संलग्न) ठीक पाये गये हैं। चूंकि उक्त समिति/परिषद् में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र प्राप्त हुये है,अतः यदि अतिरिक्त नाम २३ अगस्त १९६५ के सायंकाल ५ बजे तक वापस न लिये गये तो निर्वाचन २५ अगस्त,१९६५ को विधान भवन के कमरा नं० ५० में १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा ।

अब हम उठते हैं, और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्तल,
सचिव ,विधान सभा ,
उत्तर उदेश ।

लखनऊ
१६ अगस्त ,१९६५ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६१ पर)

मछली पकड़ने हेतु श्री अब्दुल करीम के मंजूर किये गये टेन्डर रेट

मछली की किस्म	रेट
१--छिलकेदार मछलियां /रोहू, नैन, करौंच, भाकुर तथा महासेर।	
१, १/२ किलोग्राम से ऊपर	३४.७५,रूपये प्रति क्विन्टल
२--अन्य मछलियां।	२७.२५ रूपये प्रति क्विन्टल

मछली खरीदने हेतु श्री अब्दुल करीम के मंजूर किये गये टेन्डर के रेट

१--छिलकेदार मछलियां /रोहू, नैन, करौंच, भाकुर तथा महासेर १, १/२ किलोग्रोम व १ १/२ किलोग्राम से ज्यादा वजन की	१००.२५ रुपये प्रति क्विन्टल ।
२--छिलकेदार मछलियां /रोहू, नैन, करोंच, भाकुर तथा महासेर १, १/२ किलोग्राम से कम वजन की ..	६५.१० रुपये प्रति क्विन्टल
३--वगैर छिलकेदार मछलियां /टेंगन, पढ़िन, सोल, मोय, गौंच इत्यादि ।	५५.०५ रुपये प्रति क्विन्टल
४--अन्य छोटी मछलियां	३५.२५ रुपये प्रति क्विन्टल

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९६ पर)

आगरा नगर के बेकर्स तथा बिस्कुट फैक्ट्रीज के नाम	मैदा तथा शकर का २६-४-६५ से स्वीकृत कोटा	
	मैदा	शकर
१--सर्वश्री आर० बी० जैसाराम, काश्मीरी बाजार	७५ बोरा	२५ बोरा
२--,, आर्मी ब्रेड मैन्यूफैक्चरिंग, शाहगंज ..	२३० ,,	१४ बोरा २५ किलो
३--,, भगवान दास मलका बाजार	२४ ,,	८ बोरा
४--,, दीप्ती राम चित्रा टाकीज	२४ ,,	७ ,,
५--,, लेखूमल रुई की मंडी	१८ ,,	८० किलो०
६--,, मिर्चूमल मलका बाजार	१२ १/२	१ बोरा २० किलो०
७--,, मोना बिस्कुट फैक्ट्री मान टोला	१६ ,,	५ बोरा
८--,, त्रिलोकी चन्द्र वर्मा पिपल मंडी ..	१२ १/२	२ बोरा
९--,, चन्दूमल समर लाल गुजराती पारा ..	२० ,,	६ ,,
१०--,, गोवरधन दास रुई की मंडी	६ ,,	३० किलो०
११--,, रेवती राम छंगा गोदीपुल	६ ,,	४० ,,
१२--,, प्यारे लाल लोहामंडी	६ ,,	३० ,,
१३--,, राम शरन दास सदर बाजार	१२ ,,	९० ,,
१४--,, मेघराज सदर बाजार	९ ,,	६० ,,
१५--,, अमीरबक्स सुल्तानपुर	६ ,,	४० ,,
१६--,, चुन्नीलाल चावला नामनर ..	६ ,,	८० ,,
१७--,, मुमताज हु सेन बालूगंज	६ ,,	३० ,,
१८--,, गफ्फार बालू गंज	६ ,,	४० ,,
१९--,, महाबीर प्रसाद बालूगंज	६ ,,	४० ,,
२०--,, बासदेव बालूगंज	९ ,,	८० ,,
२१--,, केवल राम सीय राम सिंह छितियां आजाम खां	६ ,,	३० ,,
२२--,, धरमपाल	६ ,,	४० ,,
२३--,, बृज मोहन चर्च दरवाजा	४ ,,	..
२४--,, अब्दुल सत्तार खां ..	६ ,,	४० ,,
२५--,, हरपाल सिंह रतनपुरा	६ ,,	४० ,,
२६--,, रोशन लाल	४ ,,	८० ,,
२७--,, घासी राम	६ ,,	४० ,,
२८--,, घूरे लाल	४ ,,	..
२९--,, झम्मन सिंह ,, ...	६ ,,	४० ,,
३०--,, शिरोमल बाग एम खान	२ ,,	३० ,,
३१--,, पी०एस० चौहान दयालबाग	९ ,,	८० ,,
३२--,, हर नरायन मंडी सईद खान	६ ,,	४० ,,
३३--,, फूल सिंह ,, ,, ...	६ ,,	४० ,,
३४--,, लछमन सिंह, मंडी सईद खां ..	६ बोरा	४० किलो
३५--,, कन्हैयालाल लछमनदास नाई की मंडी ..	६ ,,	४० ,,
३६--,, प्रहलाद मल ,, ,, ..	१० १/२ ,,	८० ,,
३७--,, रहमत खान ,, ,, ..	६ ,,	४० ,,

				मैदा		शकर	
३८—श्री नसरूद्दीन	,,	,,	..	६	बोरा	३०	बोरा
३९—,, मुन्ना खां	,,	,,	..	४	,,	४०	,,
४०—,, गुलाब राय	,,	,,	..	७ १/२	,,	४०	,,
४१—,, पारस राम	,,	,,	..	६	,,	३०	,,
४२—,, ताराचन्द सदर भट्टी			..	६	,,	४०	,,
४३—,, नाथूराम मानटोला			..	७ १/२	,,	६०	,,
४४—,, आसिक हुसैन पटिया मामू भाञ्जा			..	६	,,	४०	,,
४५—,, सत्यपाल चक्की पाट			..	७ १/२	,,	६०	,,
४६—,, विजय पाल राली ..			..	४	,,	..	
४७—,, भगतराम काश्मीरी बाजार			..	१२ १/२	,,	१ बोरा ४०	किलो
४८—,, राम प्रसाद पुलटी बाजार			..	९	,,	८०	किलो
४९—,, मुरलीधर टहलराम तिलक बाजार			..	६	,,	३०	,,
५०—,, नरायन दास शिरोमल तिलक बाजार			..	६	,,	४०	,,
५१—,, नानक चन्द गुलाम खान			..	६	,,	३०	,,
५२—,, विशम्भरनाथ कचेरी घाट			..	४	,,	..	
५३—,, लखामल कश्मीरी बाजार			..	६	,,	५०	,,
५४—,, शान्तूमल मलका बाजार			..	९	,,	६०	,,
५५—,, खेमचन्द रूचीराम मलका बाजार			..	४	,,	४०	,,
५६—,, शौकतअली शायन कटरा			..	४	,,	३०	,,
५७—,, गुरुमुखदास छुटा राजाकाशी			..	७ १/२	,,	६०	,,
५८—,, मंगतराम चित्रा टाकीज			..	१२	,,	८०	,,
५९—,, हरबंश लाल कटरा			..	६	,,	४०	,,
६०—,, हेमनदास मिर्चूमल ताजगंज			..	४	,,	३०	,,
६१—,, राम दयाल धुलिया गंज			..	७ १/२	,,	६०	,,
६२—,, बनारसीदास हींग की मंडी			..	७ १/२	,,	१	बोरा
६३—,, देशराज लोहामंडी			..	६	,,	४०	किलो
६४—,, अजीज हुसैन भाई की मंडी			..	६	,,	३६	,,
६५—,, ताराचंद निहाल चंद रुई की मंडी			..	६	,,	..	
६६—,, हंडा मल मलका बाजार			..	१५	,,	१	बोरा
६७—,, हरीशंकर अशोक नगर			..	४	,,	..	
६८—,, प्रभु दयाल राली			..	४	,,	४०	किलो
६९—', अब्दुल रसीद सदर बाजार			..	६	,,	..	
७०—,, सराफत अली मामा भाञ्जा			..	४	,,	..	
७१—,, हनीफ खां नाई की मंडी			..	६	,,	..	
७२—,, मु० जमील वास्ते इलाही बक्स प्रतापपुरा			..	२	,,	..	
७३—,, मैनेजर युनिवर्सिटी बेकरी, युनिवर्सिटी हाउस				४	,,	..	
७४—,, कलकत्ता बेकरी सदर बाजार			..	५	,,	८०	किलो

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०२ पर)

ग्रामों की सूची

अमरोहा ब्लाक	जोया ब्लाक
१—जम्बूगढ़	१—सिरहा मोहन
२—गुलरिया	२—डुटौरी
३— शर्फ उद्दीनपुर	३—ताजगंज मजरा
४—गड़इयां	४—नगला पन्ना
५—खुर्द घोसी	५—चुपका
६—बहादुरपुर	६—अनोरी अहीर
७—जम्दा	७—खालिकपुर खुर्द
८—दौलतपुर	८—फौंदापुर
९—मुनब्वरपुर	९—नरैनी
१०—मडइयां अट्टा	१०—हरियाना
११—बोरी	११—ढकिया
१२—अमरोहा	१२—बरहमपुर
१३—अलीपुरा	१३—कनूपुरा
१४—बीजरा	१४—सेंथली
१५—हकदादपुर	१५—नौरंगपुर
	१६—अतरासी
	१७—हैदतपुर
	१८—टकनपुर
	१९—जलालपुर।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०३ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या २ से सम्बन्धित तालिका

जेल विभाग के अध्यापकों का वेतन-क्रम

१९४७ से पूर्व--

प्रधान अध्यापक (हेड मास्टर) ३५--१/२--५० रु०

अध्यापक (मास्टर) २५--१।२--३५ रु०

१९४७ से (१ अप्रैल, ४७ से)--

प्रधान अध्यापक (हेडमास्टर) ५०--२--६०--द० रो०--३--७५ रु०

अध्यापक (मास्टर) ३५--२--४५--द० रो०--३--६० रु०

१९५५ से (१ अप्रैल, १९५५)--

प्रधान अध्यापक ५०--१--६५ तथा विशेष वेतन २० रु०।

अध्यापक ५०--१--६५ तथा विशेष वेतन १५ रु०।

१९५५ में परिवर्तित वेतन-क्रम अब भी चल रहा है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८१४ पर)

Collector's Court Room
BIJNOR
19—7—65

DEAR SRI KESHAV SARAN

I will be thankful if you could see me atonce in my court room.

Yours sincerely,
(Vishwa Nath)
I/C Collector.

Sri Keshav Saran,
President, Distt.
Congress Committee,
BIJNOR.

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १०९—एल० ए० १९६५—८६२ ।